पंचम माला, खंड 38, अंक 33 | मंगलवार, 9 अप्रैल, 1974/19 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 33 | Tuesday, April 9, 1974/Chaitra 19, 1896 (Sak)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupe

[(यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is a translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.)]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33—मंगलवार, 9 अप्रैल, 1974/19 चैत्र, 1896 (शक)

No. 33—*Tuesday April* 9, 1974/*Chaitra* 19, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
607	गोरखपुर (उ० प्र०) में ताप बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Gorakhpur (U.P.) .	1–3
608	बदरपुर तापीय बिजली घर के परियोजना इंजीनियरों को निर्माण तथा बिजली उत्पादन भत्ता देना	Payment of Construction and Generation Allowance to Project Engineers of Badarpur Thermal Station . .	3–4
610	एक ब्रिटिश कम्पनी के संयोग से आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तट-दूर तेल की खोज	Offshore oil exploration by OIL in collaboration with a British Company	4
613	केरल की लोअर पेरियार और पेरिंजाकुट्टी पन-बिजली योजनाओं के बारे में अग्रिम परियोजना प्रतिवेदन	Advance Project Report on Lower Periyar and Perinjakutty Hydro Electric Scheme of Kerala	4–5
614	रेलवे गार्डों के आन्दोलन के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains due to agitation by Railway Guards.	8–10
615	कोचीन तेल शोधनशाला के लिये अशोधित तेल का उपलब्ध न होना	Non-availability of Crude for Cochin Refinery . .	11–14
616	सिचाई परियोजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव	Proposal from West Bengal for Irrigation Projects . .	14–15
617	केरल में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in Kerala.	5–8
618	प्रबंध एजेन्सी प्रणाली जारी रखना	Continuance of Managing Agency System	16–18
620	दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बिना इस्तेमाल हुई रेलवे रसिदों का गुल होना	Blank Railway receipts found missing from Parcel Office, Delhi Station . . .	18–19

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actully asked on the floor of the House by him.

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ०सू०प्र० संख्या S.N.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7	कलकत्ता टेलीफोन (विभाग का कार्य करण)	Functioning of Calcutta Telephones	19–27

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.			
611	इटली के सहयोग से उर्वरक सहयोत्री की स्थापना	Setting up of Fertiliser Plants in collaboration with Italy .	27
612	कोयले की कमी के कारण दिल्ली में बिजली की कमी	Power cut in Delhi due to Coal Shortage	27–28
619	उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग न करना	Non-utilisation of installed capacities of Fertilizer Plants .	28
621	मद्रास की महानगरीय रेल परीयोजना के लिये धन देने में विलंब	Delay in grant of funds for Metropolitan Railway Project for Madras	28
622	वैगन एककों के लिए रोलर बियरिंग व्हील्स की कमी	Shortage of Roller Bearing Wheels for Wagon Units .	28–29
623	काकीनाडा में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्रिटन की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोसिएशन से सहायता	Assistance from Overseas Development Association of U. K. for Fertiliser Plant at Kakinada	29
624	टैंकरों के द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding distribution of Kerosene Oil by tankers	29
625	वीयेना में पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन की बैठक	Meeting of OPEC at Vienna .	30
626	कलकत्ता भूमिगत रेलवे पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Calcutta Tube Railway	30–31

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
6064	उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चुनाव कार्य पर नियुक्त किये गये एक जुनियर अध्यापक की हत्या	Murder of Junior Teacher posted on election duty in Balia District, U. P. . . .	31
6065	उद्योगों में विद्युत् जनित्र लगाना	Setting up of Power Generators in Industries . . .	31
6066	नई दिल्ली और समस्तीपुर के बीच चलायी गई नयी गाड़ी का समय	Timings of new train introduced between New Delhi and Sammastipur	32
6067	बिहार में 1974–75 के दौरान प्रस्तावित उपरी पुलों का निर्माण	Proposed over-bridges to be constructed in Bihar during 1974-75	33

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6068	कर्नाटक में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Karnataka	33–34
6069	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे प्लेटफार्म पर पेय जल की सुविधाएं	Drinking water facilities at Railway Platforms on North Eastern Railway . . .	34
6070	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच	Departmental enquiries against employees on North Eastern Railway	34
6071	डीजल का राशन करने का प्रस्ताव	Proposal for Rationing Diesel Oil	34–35
6072	ग्वालियर-शिवपुरी रेलवे लाइन को लाभकर बनाना	Gwalior-Shivpuri Railway line as Economic line. . .	35
6073	कैलारस रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के निकट सीमेंट कारखाने को कच्चे पत्थर की ढुलाई के लिये माल डिब्बे	Wagons for Transportation of Raw Cement Stone Factory near Kailaras Railway Station (Central Railway) . .	35
6074	नैरो गेज लाइनों के रेल इंजनों का उत्पादन	Manufacturing of Narrow Gauge Locomotives . .	35–36
6075	ग्वालियर स्टेशन पर एक अन्य प्लेटफार्म का निर्माण	Construction of another platform at Gwalior Station .	36
6076	मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जल की सप्लाई	Supply of Water for Irrigation in Madhya Pradesh .	36
6077	राजहर्रा से बैलाडीला तक बड़ी रेल लाइन	Broad Gauge line from Rajhara to Bai'adila . . .	37
6078	त्रिवेन्द्रम्-क्विलोन सैक्शन पर अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव	Proposal to introduce additional crossing Stations on Trivandrum-Quilon Section . .	37
6079	दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट सेक्शन में रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Railway line in Olavakkot Section of Southern Railway	37–38
6080	विद्युत की कमी के कारण जल के विद्युत् विश्लेषण पर आधारित अमोनिया संयंत्रों का विवश होकर बंद किया जाना	Forced Closing of Ammonia Plants based on Electrolysis of Water due to Power Shortage	38
6081	मध्य प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा खपत	Per Capita Availability and Consumption of Power in M. P. .	38–39
6082	बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश द्वारा मांगी गई धनराशि	Funds asked for by M.P. power shortage	39
6083	मध्य रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption in the Health Department of Central Railway	39–40

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6084	चौथी योजना में मध्य प्रदेश में ग्रामिण विद्युतीकरण का लक्ष्य	Target for Rural Electrification in M. P. in Fourth Plan .	40
6085	खंडवा-अजमेर रेलवे लाईन पर माल यातायात	Goods Traffic on Khandwa-Ajmer Railway line . .	40
6086	बीकानेर तथा जोधपूर डिवीजनों पर अपने स्टालों को किराये पर देनेवाले वेंडोरों के लाईसेंस रद्द करने का प्रस्ताव	Proposal to Cancel Licences of vendors who sublet their stalls on Bikaner and Jodhpur divisions	40–41
6087	डल्लूपुरा गांव (दिल्ली—51) में नहर में दरार आने से रबी की फसल को नुकसान	Damage to rabi crop due to breach in canal in Dallupura Village (Delhi-51) . .	41
6088	जबलपुर (मध्य प्रदेश) में विद्युत उत्पादन के बारे में विद्युत् इंजीनियर महासंघ की बैठक	Meeting of Power Engineers' Federation held at Jabalpur (M.P.) on Power Generation .	31–42
6089	पटना जंकशन के विश्रामालायों में स्थान का अभाव	Scarcity of accommodation in retiring rooms of Patna Junction	42
6090	बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, कलकत्ता का आंतरिक कार्यकरण	Internal functions of Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta . .	42–43
6091	भेषजों के मूल्यों के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की सिफारिशें	Recommendations of Bureau of Industrial Costs and Prices on Prices of drugs . . .	43
6092	भेषज उद्योग पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव	Impact of shortage of raw materials for pharmaceutical industry	43–44
6093	कच्चे माल के अभाव में केमिकल्स एंड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड का बंद होना	Closure of Chemicals and Fibres of India Limited for want of raw material . . .	44
6094	पांचवी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of Super Thermal Power Plant in West Bengal in Fifth Plan . . .	44
6095	रसायनों की सप्लाई के लिये निर्माताओं द्वारा विदेशियों के साथ सौदे	Chemical manufacturers entering into deals with foreigners for supply of chemicals .	45
6096	दिल्ली से पंजाब में बिजली भेजने के लिये पंजाब राज्य से अनुरोध	Request from Punjab State for diversion of power from Delhi to Punjab	45
6097	पश्चिम रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों का इंटरव्यू	Interview of Commercial Clerks, Western Railway . .	45-46

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6098	ईंधनों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने के बारे में यात्रा एजेंटों की मांग	Demand from Travel agents for withdrawal of excise duty on fuel	46
6099	अगले वर्ष में भू-तापीय बिजली की खोज तथा विकास	Exploration and development of Geothermal power during next year	46
6100	झरिया कोयला क्षेत्रों में जमा हुए कोयले की उपभोक्ता केन्द्रों में पहुंचाने के लिये रेलवे अधिकारियों का प्रयास	Efforts of Railway authorities to remove coal stocks piled up at Jharia coal fields . .	47
6101	डिविजनल एकाउन्टस् आफिसर, कोटा (पश्चिम रेलवे) के पास अनिर्णीत पड़े समयोपरी भत्ते के बिल	Overtime bills pending with Divisional Accounts Officer, Kota (Western Railway) .	47
6102	भारतीय रेलवे में जल-पान संबंधी ठेकों को समाप्त करने संबंधी निर्णय	Decision on termination of catering contracts on Indian Railways	47–48
6103	रेलों के टाईम में परिवर्तन	Changes in Railway Timings .	48
6104	बिहार राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Bihar .	48
6105	वर्ष 1973-74 में डीजल रेलवे इंजनों के उत्पादन में कमी	Decrease in Production of Diesel Railway Engines during 1973-74	48–49
6106	अस्थिर उत्पादन वाले उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants where production has not been stabilised .	49
6107	हावड़ा-आमता रेलवे का पुनर्निर्माण	Re-modelling of Howrah-Amta Railway	49–50
6108	फरक्का बांध के निर्माण कार्य पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Construction Work of Farakka Barrage	50
6109	पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण करने संबंधी निर्णय	Decision on Construction of Railway Lines in Sunderban Areas of West Bengal . .	50
6110	पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Railway Lines in Sundarban areas in West Bengal	51
6111	वर्ष 1973-74 के दौरान केरल में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Kerala during 1973-74 . .	51
6112	केरल में सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities in Kerala .	51–52
6113	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान केरल के लिये बड़ी सिंचाई योजनाएं	Major Irrigation Schemes for Kerala during First Year of Fifth Plan	52
6114	बड़े एजेंसी गृहों की आय में वृद्धि	Increase in the Income of Big Agency Houses . . .	52–53

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6115	टीस्टा बांध परियोजना के बारे में पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव	Proposal from West Bengal Regarding Teesta Barrage Project	53
6116	माल डिब्बों के संचालन में धीमी गति को दूर कर के रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने संबंधी उपाय	Measures to Improve Railway Finances by Removing Slackness in Movement of Goods Wagons	53
6117	दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाना	Consignment Booked Underweight from Delhi Station to Howrah by Parcel Staff, Delhi Station	54
6118	रेलवे में तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध	Disturbed Industrial Relations in Railways . . .	54–55
6119	इंधन मितव्ययता के लिये पेट्रोल में मैथेनाल का मिलाया जाना	Mixing Methanol with Petrol for Fuel Economy . .	55
6120	वर्ष 1973 के दौरान पूर्वी रेलवे में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि	Increase in cases of crimes on Eastern Railway during 1973 .	55–56
6121	वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक तथा मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को ज्ञापन	Memorandum by Commercial Clerks to General Manager and Chief Commercial Superintendent, Western Railway .	57
6122	दिल्ली के बदरपुर बिजलीघर के कार्यकरण के बारे में समिति की नियुक्ति	Appointment of a committee on working of Badarpur Power Station in Delhi . . .	57
6123	दिल्ली में आयोजित हुए आल इंडिया यंग लॉयर्स कान्फ्रेंस में पारित संकल्प	Resolution Passed at All India Young Lawyers Conference held at Delhi . . .	58
6126	राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में और कमी करना	Further reduction in Kerosene Oil Quotas of States . .	58
6127	बदरपुर ताप बिजलीघर के इंजीनियरों द्वारा "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन	Work to rule agitation by Engineers of Badarpur Thermal Power Station . . .	59
6128	फालतू नेफ्था का निर्यात	Export of Surplus Naphtha .	59
6129	इलाहाबाद डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को एसिस्टेंट यार्ड मास्टरों (पूर्व रेलवे) के रूप में पदोन्नत करना	Promotion of ASMs of Allahabad Division as Asstt. Yard Masters (Northern Railway) .	60
6130	विधान सभाओं तथा लोक सभा में स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats in Vidhan Sabhas and Lok Sabha . .	60
6131	प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Plastic Industry . . .	61

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6132	प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली कम्पनियां और कच्चे माल का आयात	Plastic Manufacturing Companies and Import of Raw Material	61–63
6133	पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में मीटर गेज लाईन को ब्राड गेज लाईन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Line into Broad Gauge in Gujarat State during Fifth Five Year Plan	63
6134	जामनगर-बेदी लाइन पर यातायात	Traffic on Jamnagar-Bedi Line.	64
6135	केन्द्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों द्वारा पैट्रोल का उपयोग	Petrol consumed by Central Minister and Ministries .	64
6136	एल्युमिनियम उदयोग के लिए बिजली की दरें	Power rates for Aluminium Industry	64–65
6137	पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की स्थिति बिगड़ना	Deterioration in Power supply in West Bengal . . .	65
6138	पांचवीं योजना में ताप बिजली घरों के लिये स्थानों के चयन हेतु समिति की नियुक्ति	Setting up a Committee for selection of sites for Thermal Stations in Fifth Plan .	65
6139	आसाम के चरली नामक स्थान में तेल का पाया जाना	Oil Source Discovered at Charali in Assam	65–66
6140	दिल्ली में गर्मी के महिनों में बिजली फेल होने को रोकने के उपाय	Measures against Power Failures in Delhi during summer months	66
6141	दिल्ली विद्युत् संस्थान द्वारा पारेषण में विद्युत् की हानि	Power Loss in Transmission by DESU	66
6142	बलियापट्टम् (केरल) में रेल तथा सड़क पुल की खराब हालत	Dilapidated Condition of Rail-cum-Road Bridge at Ballapattam (Kerala) . . .	67
6143	हावड़ा तथा हुगली जिलों में मार्टिन लाइट रेल्वे के मार्गों के लिये बड़ी लाइन	Broad Gauge Line for Martin Light Railway Routes in Howrah and Hooghly Districts	67
6144	डी० जी० टी० डी० की अनुमति के बिना औषध फर्मों द्वारा कुछ वस्तुओं का विविधीकरण	Diversification of certain items by Drug Firms without Permission from DGTD . .	67–68
6145	मैट्रोनिडाजोल बनाने के लिये मे एंड बेकर को जारी किया गया अनुमति-पत्र	Permission letter issued to May and Baker for Manufacturing Metronidazole . . .	68–69
6146	मेसर्ज जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड को माल डिब्बों के लिये दिये गये आर्डर	Wagons ordered with M/s. Jessop and Co. Ltd. . .	70

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6147	पश्चिम बंगाल के माल-डिब्बा निर्मिताओं को माल-डिब्बे बनाने के लिये मिले आर्डरों में कमी	Decrease in orders for Wagons received by West Bengal's Wagon Builders . . .	70
6148	वर्ष 1974-75 के दौरान रेल-माल डिब्बों की आवश्यकता	Requirement of Railway Wagons during 1974-75 . .	70–71
6149	मैसर्स इंडियन स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०, हावडा और मैसर्स टैक्समैकों, कलकत्ता द्वारा वैगनों की सप्लाई	Delivery of Wagons by M/s. Indian Standard Co. Ltd. Howrah and M/s Taxmaco, Calcutta.	71–72
6150	मैसर्ज बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा को प्राप्त आर्डर में वैगनों की संख्या और इस संबंध में उनके द्वारा की गई सप्लाई	Number of Wagons ordered to and delivered by M/s. Burn and Co. Ltd., Howrah. .	72–73
6151	कटिहार डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के लोको कर्मचारियों की मांगें	Demand of Locomen of Kathihar Division (Northeast Frontier Railway) . . .	73
6152	अक्तूबर, 1973 में खान आलमपुर यार्ड में एक माल डिब्बे में आग लगने के कारण	Causes of Fire in a Railway Wagon at Khan Alampur Yard in October, 1973 . . .	73
6153	प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन के चुनाव के लिय गुप्त मतदान	Secret Ballot for Election of one Union on each Railway	74
6154	पूर्वोत्तर रेलवे में खाद्यानों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये रेल कर्मचारियों की उपभोक्ता समितियां	Railwaymen's Consumer Socieites for Foodgrains and other Essential Commodities on North Eastern Railway .	74–76
6155	हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में पनबिजली के उत्पादन के लिये विशेष व्यवस्था	Special Provision for Generation of Hydel Power in H. P. and J. & K.	76
6156	होशियारपुर तथा जालंधर (पंजाब) के बीच चलने वाली गाडियों से खतरे की जंजीरें हटाने की मांग	Demand made for Withdrawal of Alarm chain from Trains runnning between Hoshiarpur and Jullunder (Punjab)	77
6157	होशियारपुर स्टेशन से बम्बई तथा कलकत्ता के लिये पांच पांच सीटों का आरक्षण-कोटा	Reservation Quota of Five seats for Bombay and Calcutta each from Hoshiarpur Station. .	77
6158	पांचवीं योजना में आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Irrigation Projects in Andhra Pradesh during Fifth Plan	77
6159	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन को पूरा करना	Completion of Hassan Mangalore Railway Line . .	78
6160	भागीरथ पत्रिका का प्रकाशन	Publication of Bhagirath	78

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6161	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में हिन्दी के कार्य के लिए मंजूर किये गये पद	Posts sanctioned for Hindi work in Ministry of Irrigation and Power	78
6162	कोसी नदी में सिल्ट (गाद) के कारण सिंचाई जल की कमी	Shortage of Irrigation Water due to Silits in Kosi River . .	78–79
6163	गत तीन वर्षों में राज्यों को सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Irrigation during the last Three Years	79
6164	पांचवीं योजना के पहले वर्ष में रेल इंजनों की आवश्यकता	Need of Locomotives During First Year of Fifth Plan .	79
6165	तांबे के तार के कंडक्टरों के बदले एल्यूमीनियम तार के कंडक्टरों का प्रयोग	Replacement of Copper Wire Conductors by Aluminium Wire	79–80
6168	गोरखपुर उर्वरक कारखाने द्वारा बिजली की कमी के कारण यूरिया का उत्पादन बंद कर देना	Stopping production of Urea at Gorakhpur Fertilizer Factory for want of Power Supply	80
6169	हुगली नदी परियोजना	Hugli River Project	80
6170	गुजरात में 15 मार्च, 1974 के हिंसात्मक आन्दोलन के कारण हुई हानि	Loss suffered due to violent agitation on the 15th March, 1974 in Gujarat . .	81
6171	पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे गार्डों द्वारा नियमानुसार काम करने के आन्दोलन का कोयले के परिवहन पर प्रभाव	Effect on movement of Coal due to work to rule Agitation by Railway Guards, in Dhanbad Division (Eastern Railway) .	81
6172	इन्द्रप्रस्थ तापीय काम्पलैक्स में कार्य में अवरोध	Breakdown in Indraprastha Thermal Complex . . .	81–82
6173	संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने संबंधी समिति	Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies .	82
6174	भारतीय फार्मसूटिकल्स फर्मों की बिक्री की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Limit on Sales of Indian Pharmaceutical Firms . . .	82–83
6175	रामघाट रोड क्रासिंग (उत्तर रेलवे) पर ऊपरि पूल के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct over bridge at Ramghat road crossing (Northern Railway) . .	83
6176	भारतीय और विदेशी फर्मों द्वारा औषध निर्माण में समानता	Parity in Production of Drugs by Indian and Foreign Firms	83
6177	कुछ फर्मों द्वारा फार्मूले बनाया जाना	Manufacture of Formulations by some Firms	84

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6178	मैसर्स एस० के० एफ० द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये एम्पिसिलिन का फार्मूला बनाया जाना	Introducting Ampicilin Formulations by M/s. S. K. F. without permission . . .	84
6179	डायरेक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट को प्रस्तुत की गयी उत्पादन विवरणियां	Submission of production returns to DGTD . . .	84–85
6180	विविधीकरण के अधीन औषध निर्माण के लिय जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस	COB Licences issued for Drug Manufacturing under Diversification	85
6181	कालीनदी पनबिजली परियोजना के सूपा बांध पर व्यय	Expenditure on Supa Dam of Kalinadi Hydel Project .	86
6182	भारतीय रेलों में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के पदों पर आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes holding Class I, II, III and IV Posts in Indian Railways	86
6183	महाराष्ट्र में प्रत्येक नई रेल लाइन की प्रगति और उस पर व्यय	Achievement and Expenditure on each new line in Maharashtra	87
6184	रेल गाड़ियों में भोजनयान समाप्त करने संबंधी निर्णय	Decision to do away with dining cars in Railways . . .	87–88
6185	रेलवे के भोजनालयों में खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in the Prices of Eatables in Railway Restaurants .	88–89
6186	खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में रेलवे गार्डों द्वारा अचानक हड़ताल	Lightening Strike by Railway Guards in Khurda Road Division (South Eastern Railway).	89–90
6188	उड़ीसा की रगुली परियोजना का निष्पादन	Execution of Renguli Project in Orissa	90
6189	पांचवीं योजना में उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Major and medium Irrigation schemes for Orissa in Fifth Plan	90
6190	सोडा बनाने के कारखानों की स्थापना	Setting up of Soda Manufacturing Factories . . .	91
6191	मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Major Irrigation Projects in M. P. . .	92
6192	भाप के इंजनों के चलते रहने का समय	Life of Steam Engines .	92–93
6193	कर्नाटक द्वारा कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाना	Taking up of Krishna Tribunal Award to Supreme Court by Karnataka	93

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6194	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को उत्तर न देने के कारण फर्मों को जुर्माना	Firms fined for sitting over replies to Monopolies and Restrictive Trade Fractices Commission	93–94
6195	ईरान द्वारा भारत को अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude oil by Iran to India	94
6196	गुजरात राज्य के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण हेतु राशि का नियतन	Allocation of funds for Rural Electrification in Gujarat	94–95
6197	रेलवे गार्डों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के बाद उनकी शिकायतों पर विचार किया जाना	Consideration of grievances subsequent to end of strike by Railway Guards	95
6198	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप रेल कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears of Pay and allowances in railway employees due to implementation of recommendations of Third Pay Commission	95–96
6199	राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं की लाभ प्रदता	Profitability of Irrigation Projects in States	96
6200	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल उत्पादक देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव	Proposal to give training to officials of oil producing countries by ONGC	96–97
6201	वार्ता असफल रहने के कारण रेलवे के सुपरवाइजरों द्वारा आन्दोलनों को जारी रखना	Rail Supervisors to continue stir due to failure of talks	97
6202	विद्युत परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कार्यवाही	Steps taken to improve performance of Power Projects	97–98
6203	अपर कृष्णा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना माना जाना	Upper Krishna Project as a National Project	98
6204	उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिट्टी के तेल के मूल्य में अंतर	Difference in price of Kerosene oil in Uttar Pradesh and Delhi	98
6205	भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत-भूटान करार	Indo-Bhutan agreement on Chukha Hydro Electric Project in Bhutan	99

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6206	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा समेकित स्थानान्तरण नीति की मांग	Demand for unified transfer policy by All India Station Masters Association . . .	99
6207	अहमदपुर-कटवा (नेरोगेज लाईन) का रखरखाव	Maintenance of Ahmadpur Katwa (Narrow Gauge Line) .	99–100
6208	भारतीय तेल, निगम द्वारा ग्राहकों को सप्लाई किये जाने वाले तेल को मापने के लिये प्रबंध	Arrangement for measuring oil supplied to customers by IOC	100
6209	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिये विद्युत उत्पादन का लक्ष्य	Power Generation target for first year of Fifth Plan . .	101
6210	चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये विद्युत उत्पादन का लक्ष्य	Power Generation target for Orissa in Fourth Five Year Plan	101
6211	नई रेल लाइनों के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशें	Andhra Pradesh Government's Recommendations for new Railway lines . . .	101–102
6212	रेल लाइनों के फिर से बिछाने/मरम्मत करने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशें	Andhra Pradesh Government's recommendation on Relaying/Repairing of Railway Lines	103
6213	मद्रास में वायरलैस आपरेटरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना	Non payment of overtime to Wireless operators at Madras	103
6214	भारतीय रेलवे के वायरलैस आपरेटरों के संबंध में संशोधित वेतनमानों में स्थिरता	Stagnation in Revised Scales in respect of Wireless Operators, Indian Railways . .	103–104
6215	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग हिमालियन सैक्शन का अनुरक्षण	Maintenance of Darjeeling Himalayan Section of North East Frontier Railway . .	104–105
6216	नीलाम्बूर-शोरानूर रेलवे लाईन का कालीकट तक विस्तार	Extension of Nilambur Shoranur Railway line to Calicut	105

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6217	केरल के मालाबार भाग में मेलादूर-फैरोक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Melaltur-Feroke Railway in Malabar Part of Kerala . . .	105
6218	दिल्ली क्षेत्र में रेलवे के श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के कर्मचारियों के पास क्वार्टर	Occupation of accommodation in Delhi areas by Class I, II, III and IV of Railways . .	105–106
6219	लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के 1971 और 1972 के चुनावों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by Central and State Govts. on elections to Lok Sabha and State Assemblies in 1971 and 1972 .	106–107
6220	भारतीय रेलवे के यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों के अधिकारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Officers of Traffic and Commercial Departments of Indian Railways .	107
6221	भारतीय रेलवे के बारे में गृह मंत्रालय से जारी आदेशों का लागू किया जाना	Application of Orders issued by Ministry of Home Affairs on Indian Railways . .	107–108
6222	कमर्शियल क्लर्कों के प्रतिनिधिमंडल की 12 नवम्बर, 1973 को रेलवे बोर्ड के मेम्बर (स्टाफ) से वार्ता	Meeting of Deputation of Commercial Clerks and Member (Staff) Railway Board on 12th November, 1973 . . .	108–109
6223	अखिल भारतीय कमर्शियल क्लर्क संघ की मिरज शाखा द्वारा उठाये गये मामले की जांच	Investigation into matter raised by All India Railway Commercial Clerks' Association, Miraj Branch . . .	109–110
6224	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बस्तर क्षेत्र में रेलवे लाइनें बिछाना	Railway lines in Baster area during Fifth Five Year Plan .	110
6225	दाहोद (पश्चिम रेलवे) में उपरि पुल का निर्माण	Construction of over bridge at Dahod (Western Railway) .	110
6226	राजभाषा (विधायी) आयोग	Official Language (Legislative) Commission . . .	111–112
6227	टिकट ट्यूबों से टिकटों के गुम होने और राशि को बुकिंग क्लर्कों के नाम-खाते में चढ़ाना	Amount debited to Booking Clerks and loss of Tickets from Tickets Tube . .	112
6228	भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान	Post Card Campaign by Commercial Staff, Indian Railways	112–113
	दिल्ली में भूमि के गलत ढंग से कथित आवंटन किये जाने के बारे में	Re. Alleged Irregular allotment of land in Delhi . . .	113–114

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लखीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा संगिनों से कथित हमला किये जाने के संबंध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में अशुद्धता के बारे में	Re. Inauccuracy in Minister's statement on alleged bayonet charge by R. P. F. Personnel at Lakhisarai Railway Station	114–117
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	117–118
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
39वां प्रतिवेदन	Thirty-ninth Report . .	118
लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
103 वां प्रतिवेदन	Hundred and Third Report .	118
नियम 377 के अंतर्गत मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) दिल्ली में भूमि का गलत ढंग से आवंटन	(i) Irregular allotment of land in Delhi . .	118–119
(दो) जोधपुर में श्री नाथुराम मिर्धा के मकान पर हमले का समाचार	(ii) Reported attack on Shri Nathuram Mirdha's house at Jodhpur . . .	119–120
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री आई० के० गुजराल)	Personal Explanation by Minister (Shri I. K. Gujaral) .	120
अनुदानों की मांगें 1974-75—	Demands for Grants, 1974-75—	
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—	Ministery of Education and Social Welfare and Department of Culture—	
श्री माधुर्य हाल्दार	Shri Madhuryya Haldar .	121–122
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey .	122–123
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	123–124
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	124–125
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	125–126
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	126–127
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	127–128
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit . .	129
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri .	129
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P. V. G. Raju . .	129–130
श्री वाई एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . .	130–131
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	131–133
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	133
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	134
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar .	134
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	134–135
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	135–136
श्री सी० एच० मोहम्मद कोय.	Shri C. H. Mohammed Koya	136–137
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote .	137
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam . .	137–138
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey . . .	138

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 9 अप्रैल 1974/19 चैत्र, 1896 (शक)
Tuesday, April 9, 1974/Chaitra 19, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of Thermal Power Station in Gorakhpur (U.P.)

*607. **Shri Ram Surat Prasad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a 400-Megawatt thermal power station is proposed to be set up near Sahjanwan in Gorakhpur Janpad in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the progress made in this regard?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant): (a) and (b) To meet the growing demand for electric power in the Eastern Region of Uttar Pradesh, the State Electricity Board had considered various proposals for installation of a thermal station with an installed capacity of 400 MW in the Gorakhpur area. A number of possible sites for the location of the power station were studied, and one such site was at Sahjanwan about 25 Kms. west of Gorakhpur. As a result of this study, it was found that the Sahjanwan site would not be suitable.

Shri Ram Surat Prasad: Mr. Speaker, Sir, first of all I want to say that Sahjanwan is not 25 Kms. from Gorkhpur, it is only 15 Kms. away. I want to know the details of the various proposals which are considered by the U. P. Electricity Board for the location of this thermal power station and also the names of the new probable site which were studied and the difficulty experienced for the location of the same at Sahjanwan?

Shri K. C. Pant: First of all in September, 1971 the Government of U.P. submitted the estimate for the setting up of this station at Sahjanwan. Then the C.W.P.C. asked them to find out some more facts and to examine further in this regard. Thereafter, the Government of U. P. appointed consultants for this, studied the following six sites:

1. Gorakhpur (Western Bank of Ramgarh Tal).
2. Sahjanwan.
3. Dohrighat.

2—12 L.S.S. (N.D.)/74

4. Ayodhya City.
5. Raonahi Pumping Station.
6. Mahripur Pumping Station.

The last three sites are in Faizabad district. These six sites were inspected and studied.

The reason for not recommending Sahjanwan, according to them, was that there was a proposal for constructing a barrage at Sahjanwan over Rapti river and thus this power station could not be set up because sufficient water would not be available on account of that barrage.

Shri Ram Surat Prasad: I want to know the name of the site regarding which a final decision has been taken for the setting up of the thermal power station?

Shri K. C. Pant: No final decision has been taken yet in this regard. At present, the report of the Consultants is being considered by U.P. Government and after studying it, they would write to the Central Government and then any final decision would be taken in this regard.

Shri K. M. Madhukar: There was likelihood of setting up of a thermal power station at Muzzaffarpur in Bihar. . .

Mr. Speaker: The question is not related to Bihar.

Shri K. M. Madhukar: I want to know as to what progress has been made in this regard.

Mr. Speaker: It is not relevant.

Shri Narsingh Narain Pandey: Mr. Speaker, Sir, Sahjanwan is part of my constituency and, efforts are being made for not implementing the scheme for setting up of the thermal power station on the plea that it is a low-laying site. Mahavir Jute Mills is situated near Sahjanwan which is functioning since long. May I know whether the Hon'ble Minister would take note of it that the ex-landlord, whose land would be taken for the installation of the station, has been pressurising the officials by fair and fowl means so that it may not be installed there. May I know whether the Hon'ble Minister is aware that Hon'ble Chief Minister of U.P., Shri H. M. Bahugana had himself declared at Sahjanwan in the presence of 25 thousand people that he would set up the thermal power station at that place? I want to know whether he would examine it and would prepare a scheme for the setting up of the power station at the said place?

Shri K. C. Pant: I have not said that the level of the land is low there. I had only said that there was a proposal to construct a barrage over Rapti river near Balrampur, because of which there would be less flow of water in the river and the sufficient water would not be available for cooling the water on account of this and so Sahjanwan site would not be suitable. This report has been submitted by the U. P. Government on the basis of the study made by their Consultants.

So far as the other thing is concerned, we would inform the Government of U.P. so that they may consider it while taking their decision in this regard.

Shri Madhu Limaye: May I know whether the works of the railway workshops and the production of Fertilizer factory and the sugar factories in Gorakhpur area

have been adversely affected and if so, what steps are being taken by the Government for the supply of power until the new power station is ready for generating power?

Mr. Speaker : This question has been asked about a specific power station only. You have gone beyond its scope.

Shri Madhu Limaye : This question is about the power station.

Shri Sarjoo Pandey : The proposal for installation of a thermal power station with an installed capacity of 400 MW in Gorakhpur Janpad. . .

Mr. Speaker : How has Janpad come in here.

Shri Sarjoo Pandey : It has been written here. I want to ask the names of the sites where Government propose to set up the power stations in Uttar Pradesh during the Fifth Five Year Plan for generating power, keeping in view of the shortage of the power?

Mr. Speaker : This question is not relevant here. You should ask a separate question for it.

Shri Sarjoo Pandey : The whole of Gorakhpur is affected because of which I had asked this question.

बदरपुर तापीय बिजली घर के परियोजना इंजीनियरों को निर्माण तथा बिजली उत्पादन भत्ता देना

\+
***608. श्री राम सहाय पांडे :**
श्री राम प्रकाश :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर के परियोजना इंजीनियरों को अन्य विद्युत् परियोजनाओं में कार्य कर रहे उनके जैसे इंजीनियरों की भांति निर्माण और बिजली उत्पादन भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निर्माण पर लगे तकनीकी स्टाफ के लिए "बदरपुर हेतु विशेष निर्माण भत्ता" और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रचालन और रख रखाव पर लगे तकनीकी स्टाफ के लिए "उत्पादन भत्ता" देने का फैसला किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri R. S. Pandey : I think it has been decided after I had asked the question. It is good that they have decided to make the payment. I want to know whether the installed capacity of Badarpur Thermal Power Station for the generation of power has not been fully utilised and whether it is a fact that there is a rift between the Government and the Engineers and the Engineers and Employees, as a result of which the production has fallen. If so, what steps are being taken in this regard?

Shri Siddheshwar Prasad : So far as Badarpur Thermal Power Station is concerned, the production has not fallen there due to the Engineers. When any thermal power station is commissioned, it takes 3-4 months to stabilise its working

and the Engineers and the Employees who are working there, have given us sufficient co-operation in this regard and the commissioning of the power station has helped much in the adequate generation of power.

Shri R. S. Pandey: It would be better if you explain about the rift between the Engineers and the management there.

Shri Siddheshwar Prasad: No question of any rift has arisen in Badarpur.

Shri Ram Prakash: The Government has taken a good decision, but has it taken such a decision in regard to other States, including Punjab and Haryana, for the benefit of their Engineers and technical staff?

Shri Siddheshwar Prasad: So far as the other States are concerned it is for the concerned State Governments to take any decision in this regard.

Shri Ram Prakash: May I know whether the case of Thermal Power stations of Punjab and Haryana is also under their consideration?

Mr. Speaker: You have already put one question. Second member can ask one question only.

एक ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तट-दूर तेल की खोज

+

*610. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के एक संयुक्त उद्यम आयल इण्डिया लिमिटेड ने एक ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से तट दूर अशोधित तेल की खोज करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार किसी अन्य विदेशी कम्पनी के सहयोग से तट-दूर तेलकी खोज करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के एक संयुक्त उद्यम, आयल इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव किसी ब्रिटिश कम्पनी से सहयोग करने का है ।

मंत्री महोदय ने उसका नकारात्मक उत्तर दिया है ।

श्री देवकान्त बरुआ : पहले भी कई प्रश्नों तथा चर्चाओं के उत्तर में मैंने कहा था कि कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है ।

केरल को लोअर पेरियार और पेरिंजाकुट्टी पन-बिजली योजनाओं के बारे में अग्रिम परियोजना प्रतिवेदन

*613. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत कार्यकारी दल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अग्रिम कार्यवाही के लिए लोअर पेरियार और पेरिंजाकुट्टो पन बिजली योजनाओं की सिफारिश की है;

(ख) यदि इन योजनाओं को आरंभ नहीं किया गया तो क्या विद्युत के अभाव के कारण केरल राज्य व समस्त दक्षिणी राज्यों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा;

(ग) क्या इन योजनाओं के बारे में अग्रिम प्रतिवेदन वर्ष 1973 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग को भेज दिया गया था ; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवार्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही के लिए परिव्यय में पुनरीक्षण करने हेतु सरकार का इस संबंध में नए सिरे से विचार करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) से (ग) : योजना आयोग के विद्युत् पर कार्यकारी दल ने पांचवी योजना के दौरान लोअर परियार और पेरिंजाकुट्टो जल-विद्युत् स्कीमों पर अग्रिम कार्यवाही करने की सिफारिश की है ताकि छठी योजना अवधि में उनसे लाभ मिल सकें। बहरहाल, अभी तक राज्य सरकार ने इन स्कीमों को कोई परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की हैं और केवल एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में उपलब्ध है। अध्ययनों से मालूम होता है कि जबकि केरल में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फालतु विद्युत् उपलब्ध हो जाएगी, दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्यों में प्रत्यशित मांगों को पूरा करने हेतु पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध नहीं होगी। यदि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ती हुई विद्युत् की मांग को पूरा करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त स्कीमों को हाथ में नहीं लिया जाता तो छठी योजना अवधि के उत्तरार्ध में केरल में भी विद्युत् की कमी हो सकती है।

(घ) पांचवी योजना की परियोजनाओं की प्रगति एवं उपलब्ध संसाधनों को रोशनी में विद्युत् क्षेत्र में अग्रिम कार्यवाही के लिए योजना परिव्ययों का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 617 भी इसी तरह का ही प्रश्न है। हम इन दोनों को एक साथ लेंगे। आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं।

केरल में बिजली का उत्पादन

*617. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से उस राज्य में और अधिक बिजली का उत्पादन करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रुपयों में	की गई कार्रवाई
1	इद्दिक्को जल विद्युत परियोजना चरण दो	3×130	11.58	पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत।
2	साइलेंट वैली जल विद्युत् स्कीम	3×40	24.88	

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रुपयों में	की गई कार्रवाई
3	इदमालायर जल विद्युत स्कीम	2×37.5	18.75	पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत।
4	केरल भवानी बहुद्देश्यीय परियोजना	2×50	12.25	स्कीमों में तमिलनाडु के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं जिनको स्वीकृति देने से पहले तय किए जाने की आवश्यकता है।
5	मान्नथडी बहुद्देश्यीय परियोजना	4×50	16.12	
6	पंडियार-पुन्नापुझा जल-विद्युत् परियोजना	2×35	11.22	स्कीम रिपोर्ट को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में संवीक्षा की जा रही है।
7	कक्कड (साबिरोगिरि टेल-रेस) जल विद्युत् परियोजना	2×35	15.68	संशोधित रिपोर्ट को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में संवीक्षा की जा रही है।
8	इदिक्को जल विद्युत् स्कीम चरण-तीन	कोई अतिरिक्त क्षमता परिकल्पित नहीं है परन्तु यह ऊर्जा में योगदान करेगी।	4.10	संशोधित स्कीम पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा दिसम्बर, 1973 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर केरल के प्राधिकारियों से प्रत्याक्षित हैं।

श्री एम० एम० जोजफ : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के अग्रिम कार्यों के लिए कुल कितना धन रखा गया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पांच करोड़ रुपया।

श्री एम० एम० जोजफ : क्या इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए यह धनराशि कम नहीं है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह धनराशि केवल अग्रिम कार्य के लिए है, योजनाओं के लिए नहीं।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को यह निवेदन किया गया है कि साइलेंट वैली जल विद्युत योजना के लिए मित्र देशों से, विशेषतया कनाडा से सहायता प्राप्त की जाय और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक इन दो योजनाओं का सम्बन्ध है, इनके बारे में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अभी यह निर्णय किया गया है कि पांचवीं योजना के दौरान अग्रिम कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिये, इसीलिए, अग्रिम कार्य के लिए पांचवीं योजना में कुछ धनराशि नियत की गई है। अभी तक जांच पड़ताल और स्वीकृति के लिए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास नहीं पहुंचे हैं। अतः यह अभी प्रारम्भिक चरण में है। जब परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तब केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जायगी और उसी समय अन्य सम्बन्ध पहलुओं यथा वित्त पोषण आदि के बारे में विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या परियोजना प्रतिवेदन योजना आयोग की स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की स्वीकृति के लिए ? मैं यह जानना चाहती हूं कि अन्य स्वीकृत परियोजनाओं के साथ इन परियोजनाओं को भी शीघ्र आरम्भ करने और पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह परियोजनायें कब आरम्भ होंगी और कब उनका कार्य पूरा हो जायेगा, क्योंकि अभी तो स्वीकृती के लिए परियोजना प्रतिवेदन भी हमारे पास नहीं पहुचे हैं। राज्य सरकार को परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देकर उन्हें केन्द्र सरकार को भेजना होगा और मैं समझता हूं जब तक यह नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी और कब इनसे लाभ होना आरम्भ हो जायेगा।

जहां तक अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना के दौरान ही लाभ उपलब्ध करवाने के लिए तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, और यह हैं, इड्क्की जल विद्युत परियोजना, चरण दो, साइलैंट वैली जल विद्युत स्कीम और इदमालाचर जल विद्युत योजना। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है मैंने उसमें सभी आठ योजनाओं का, उनके विभिन्न वर्तमान चरणों सहित, ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में मंत्री महोदय द्वारा केरल भवानी बहुउद्देश्यीय परियोजना और मान्नथोडी बहुउद्देश्यीय परियोजना का उल्लेख किया गया है। इन दोनों योजनाओं के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि जिस नदी पर इन्हें बनाया जाना है उसके बारे में अभी अन्तर्राज्यीय जल विवाद चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में अन्तिम निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ? अन्तर्राज्यीय जल विवाद के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए अपना इरादा बनाने में सरकार को कितना समय लगेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उसी नदी पर कर्नाटक राज्य को काबिनी परियोजना आरम्भ करने की स्वीकृति दे दी गई है और यह परियोजना पूर्ति के अन्तिम चरण में चल रही है जब कि केरल राज्य की दो परियोजनाओं को अभी तक प्रारम्भिक स्वीकृति भी नहीं दी गई है ? क्या अन्तर्राज्यीय जल विवाद के नाम पर यह स्पष्ट भेदभाव का मामला नहीं है ? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरे श्री एम० एम० जोजफ के प्रश्न संख्या 613 के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये, मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि दक्षिणी राज्यों में बिजली की कमी होने की संभावना है और यदि इन योजनाओं को आरम्भ न किया गया तो केरल में भी बिजली की कमी हो सकती है कि क्या केरल सरकार द्वारा भेजी गई सभी योजनाओं को स्वीकृति दे दी जायेगी ताकि वहां बिजली पैदा करने का कार्य जल्दी आरम्भ किया जा सके जिससे कि सम्पूर्ण देश को लाभ हो सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके बारे में हमें यह देखना होगा कि हम दोनों राज्यों में समझौता करवाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके। इस समय इस सम्बन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, केरल तथा अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई योजनायें हैं। हम पूरे क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हैं। इसके साथ

ही, हम प्रत्येक राज्य की स्थिति को भी दृष्टिगत रखते हैं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना के दौरान वहां कोई कमी होने वाली नहीं है। वर्तमान स्थिति तो यही है। छटी योजना के अंत में ही कुछ कमी होने की सम्भावना है। फिर भी चूंकि यह जल विद्युत योजनायें हैं, अतः हमें इन के पूरा होने में लगने वाले लम्बे समय को भी दृष्टिगत रखना होगा और छटी योजना के दूसरे अर्धचरण में ही हमें इन परियोजनाओं का अग्रिम कार्य आरम्भ करना होगा। इस पर विचार किया जा चुका है। इड्डिकी योजना अपने द्वितीय चरण में चल रही है, मैंने इन तीनों ही परियोजनाओं के नाम दे दिये हैं और अन्य परि-योजनायों के भी जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

रेलवे गार्डों के आन्दोलन के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

*614. **श्री रानेन सेन**† :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे गार्डों के हाल के आन्दोलन के दौरान सभी रेलवे जोनों में कितनी रेलगाडियां रद्द की गई ;

(ख) रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने से देश में आवश्यक वस्तुओं की सामान्य सप्लाई की स्थिति पर कितना असर पड़ा है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) हाल में रेलवे गार्डों के "नियमानुसार काम" आन्दोलन के दौरान कुल 144 सवारी गाड़ियां और 1452 माल गाड़ियां रद्द की गयीं।

कुल मिलाकर देश में अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई की सामान्य स्थिति बनाये रखी गयी। लेकिन दक्षिण-पूर्व रेलवे पर स्थिति में मामूली सी गड़बड़ हो गयी थी।

हड़ताल समाप्त हो गयी है और गार्ड वापस ड्यूटी पर आ गये हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि रेलवे गार्ड अपनी परिषद के माध्यम से अपनी कुछ शिकायतों को दूर करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं और वे समस्यायें रेल अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी थी कि वे कौनसी शिकायतें हैं जिनके लिए वे आन्दोलन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे गार्डस परिषद के साथ बातचीत करने में सरकार ने इतना अधिक समय क्यों लगाया और बाद में समझौता होने पर वे शान्त हुए ? इस विलम्ब का क्या कारण है, जिसके परिणाम-स्वरूप लगभग 1452 मालगाड़ियों को रद्द करना पड़ा और जिसकी वजह से गम्भीर परेशानी हुई और देश में आम जनता को परेशानी हुई ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि रेलवे गार्ड समय समय पर इन मामलों को उठाते रहे हैं। दस तारीख को "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन शुरु करने से पहले ये सभी मामले ठोस रूप में नहीं थे। और छः दिन के अन्दर ही मामले का समाधान कर दिया गया।

डा० रानेन सेन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्व रेलवे में कुछ गाड़ियां बिना गार्डों के चलाई गई थीं ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्वी रेलवे और दक्षिण-पूव रेलवे द्वारा की गई इस कार्यवाही को रेलवे बोर्ड अथवा रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कोई भी मालगाड़ी गार्ड के बगैर नहीं चल सकती, परन्तु छूट दी जा सकती है ।

Shri Shrikrishna Agrawal: I would like to know from the honourable Minister whether no goods train has been running for the last 15 days at Raipur in Waltair Division in S.E. Railways?

Mr. Speaker: How could he know about all the trains?

Shri Shrikrishna Agrawal: They are not running even now.

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है ।

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों को रद्द करने का क्या कारण है ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है और गार्ड काम पर वापस आ गये है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी गाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में इससे किस सीमा तक सहायता मिली है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वे सभी गाड़ियां, जो गार्डों के "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन के कारण रद्द कर दी गई थीं, अब सामान्य रूप से चलने लगी है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय के वक्तव्य के पहले पैरा में अभी हाल के "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन की बात कही गई है, जबकि अन्तिम पैरा में हड़ताल की बात कही गई है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि "नियमानुसार कार्य करो" आन्दोलन और "हड़ताल" में क्या अन्तर है ? लोगों के नियमानुसार काम करने के आन्दोलन को हड़ताल क्यों समझा जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि लोग नियमानुसार काम कर सके और हड़ताल न हो ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : "नियमानुसार काम" नया गढ़ा गया शब्द है । वस्तुत: इसका अर्थ काम बन्द करना है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, is it not a fact that the rules governing railways are out-dated and if the rules are applied, the work cannot be carried out and the Railway administration is forcing the workers to work beyond the rules and when the workers work according to the rules, the work is stopped. Is it a crime to work according to the rules? Will the Government consider the question of changing the rules?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: There is need to make certain modification in the rules also. But the work was going on smoothly according to the rules and how could these rules become defective all of a sudden? They want to stop the work on one pretext or the other.

Mr. Speaker: If a Member goes out after signing the register, it is considered the work of the whole nation.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हम चाहते हैं कि रेलवे पूरी तरह से एक आदर्श नियोजक हो। क्या यह सच है, जैसा कि मंत्री महोदय के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारी अर्थव्यवस्था के इस अत्यधिक गम्भीर चरण में 144 यात्री गाड़ियां और 1452 मालगाड़ियां रद्द करनी पड़ी ? मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह भी सही है कि रेलवे में कर्मचारियों के प्रति उच्च अधिकारियों द्वारा नरमी का बर्ताव करने के कारण अनुशासनहीनता बढ़ रही है और दूसरे, "नियमानुसार काम करो" की आड़ में नियमों का दुरुपयोग किया जाता है जिसके लिए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती ? यदि यह सच है, तो रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने रेलवे की आदर्श नियोजक के रूप में प्रशंसा की है। हम निश्चित रूप से आदर्श नियोजक बनाना चाहते हैं। इसके अलावा, हम कुछ स्थितियों से निपटने के लिए अनुशासन भंग नहीं होने देंगे।

Shri Nathu Ram Ahirwar: Is it a fact that according to the Guards' rules, if a train does not get signal for ten minutes, the train should not move and the Guard should put a cracker at a distance of 300 metres and the signal should be down, when he comes back. But the train cannot move until the Guard comes back after putting the cracker. When Guard comes back, the signal goes up. Due to this practice, a train was held up for eight hours at a station near Bina. Why do they not change such rules?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It is obvious then that despite the rules, the Guard can hold up a train.

Shri Narsingh Narain Pandey: The various categories in Railway have started resorting to "Work to Rule" agitation. Will the honourable Minister be pleased to hold a discussion with the trade union leaders keeping in view the grave circumstances? Will he hold a conference so that all sorts of agitations could be postponed for a few years.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: For the last two years, there has been one strike or the other every week. That is why we are having discussions with all the recognised unions. The honourable Minister had convened a big conference in the recent past, in which all the important office bearers of the Central Labour Unions were invited. We are trying to advise all the unions to help the railways function smoothly.

Shri Sarjoo Pandey: Mr. Speaker, Sir, the honourable Minister had assured the Railway Guards to meet their demands during the Railway Guards' recent strike. I would like to know as to what demands were accepted during the talks and whether the guards are feeling agitated due to non-implementation of those demands? I would like to know whether the assurance is going to be fulfilled at the earliest in the near future?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The agreement with railway guards by itself shows that they are completely satisfied with it and all the assurances which we have given would be implemented.

कोचीन तेल शोधन शाला के लिये अशोधित तेल का उपलब्ध न होना

*615. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**† :
श्री वयालार रवि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधन शाला को अशोधित तेल उपलब्ध न होने के कारण मार्च, 1974 के पहले सप्ताह में कुछ दिन के लिये बन्द कर दिया गया था; और

(ख) इस प्रकार की स्थिति को पुनः न उत्पन्न होने देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) विभिन्न बातों के समिश्रण के कारण जैसे उपयुक्त अशोधित तेल की अनुपलब्धता, अशोधित तेल की परिवहन व्यवस्था करने आदि में कठिनाइयों के कारण कोचीन शोधनशाला का इसके पूर्ण क्षमता पर कार्यारम्भ करना सम्भव नहीं है। 4 से 9 मार्च, 1974 तक शोधनशाला में कुछ अवधि के लिए कार्य बन्द करना बड़ा।

दिसम्बर, 1973 के पश्चात् सप्लायर द्वारा शोधनशाला के लिए अशोधित तेल सप्लाई के सम्बन्ध में ठेकों को नवीनीकरण नहीं किया गया था।

नौवहन ठेकेदार जिसके साथ शोधनशाला ने माल संविदा के लिए दीर्घावधि ठेका किया था, ने अन्ततः ठके को समाप्त कर दिया। परिवहन एवं अशोधित तेल सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शोधनशाला को इसके पूर्ण क्षमता पर प्रारम्भ करने में आधी कठिनाईयों पर तेजी से काबू पाया जा रहा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान जी, माननीय मंत्री ने बताया है कि कोचीन तेल शोधन शाला को इस कारण बन्द कर दिया गया कि जिन लोगों ने जहाजों की सप्लाई करनी थी, उन्होंने एकतरफा तौर पर इस समझौते को रद्द कर दिया। दूसरे, उन्होंने कहा है कि तेल के ठेके का दिसम्बर, 1973 के पश्चात् नवीकरण नहीं किया जा सका। क्या माननीय मंत्री सभा को इस बारे में बतायेंगे कि इस विचित्र बात के क्या कारण थे और नौवहन के संबंध में समझौते के एकतरफा तौर पर रद्द करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री देवकान्त बरुआ : तेल की सप्लाई करने वाली सी० एफ० पी० नामक एक फ्रैंच कम्पनी थी और वह वार्षिक ठेके के आधार पर ईरानी तेल की सप्लाई करती थी। दिसम्बर, 1973 में उसने कहा कि अब और अशोधित तेल की सप्लाई करना उन के लिये सम्भव नहीं है और उन्होंने श्रेष्ठ अधिकार के अन्तर्गत ऐसा किया, क्योंकि इसे प्राप्त करना कठिन है। दूसरे, मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हमारे साथ ठेके का नवीकरण नहीं करना चाहती। जहां तक अशोधित तेल की ढुलाई का संबंध है, "ट्राटोन" नामक कम्पनी के साथ समझौता किया गया था और वह कम्पनी एकतरफा तौरपर अपने बचन से मुकर गयी और उसने हमें आवश्यक टैंकर की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया। इसलिये हमें अशोधित तेल की सप्लाई करने तथा तुरन्त माल की ढुलाई करने का प्रबन्ध भी स्वयं करना पड़ा। जहां तक ढुलाई का संबंध है, अब हमने एन०ए०एस० ट्रांसपोर्टेशन कम्पनी नामक सिंगापुर की एक कम्पनी से एक समझौता किया है। सप्लाई के संबंध में, इस विभिन्न साधनों से तेल की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। इस तेल क्षेत्रोंसे अपने अशोधित तेल की सप्लाई भी प्राप्त कर रहे है। हमें आशा है कि बहुत थोड़े समय में कोचीन तेल शोधन शाला से तेल की सप्लाई सुनिश्चित कर दी जायगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जो कुछ घटा है, मंत्री महोदय ने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। किन्तु व्यक्तियों के बीच किये गये सौदे में भी इस प्रकार एकतरफा ढंग से समझौते को रद्द करना ठेके का उल्लंघन करना होता है और एक राज्य और राज्य के स्वामित्व की कम्पनी के संबंध में तो यह अधिक गम्भीर मामला बन जाता है। क्या सरकार ने इस मामले को इस प्रकार गम्भीर माना है ? क्या उन्होंने इस नौवहन कम्पनी से या उस राज्य से जो इस नौवहन कम्पनी की मालिक है, क्षतिपूर्ति के लिये कहा है। क्या तेल सप्लाई करने वाली कम्पनी ने यह कहकर एकतरफा तौर पर तेल की सप्लाई बन्द कर दी कि मूल्य बढ़ गये हैं ? यदि ऐसा हुआ है, तो क्या उन्होंने उस कम्पनी से क्षतिपूर्ति की मांग की है ? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि भविष्य में इस प्रकार एकतरफा तौर पर सप्लाई बन्द न कर दी जाये।

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक अशोधित तेल की सप्लाई करने वाली कम्पनी का संबंध है, हमने दीर्घावधि ठेका किया था किन्तु ठेके का प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाना होता है। इसलिये, उस कम्पनी को यह छूट थी कि वह इस ठेके का नवीकरण करे अथवा नहीं। जब यह समझौता किया गया था, उस समय अशोधित तेल की उपलब्धता के बारे में कोई कठिनाई नहीं थी अब गत दिसम्बर में उस कम्पनी ने कहा कि वह ठेके का नवीकरण करने की स्थिति में नहीं है। यह एक प्रकार से समझौते का उल्लंघन नहीं है। एक तरह से हम सभी संभव स्तरों पर इस कम्पनी के साथ इस मामले पर बातचीत करते रहे हैं, किन्तु इस बीच हम तेल प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, जहां तक हमारे देश के लिये तेल की सप्लाई प्राप्त करने हेतु सब से बड़ी गारंटी का संबंध है वह अरब देशों और अब ईरान के साथ हमारी मैत्री ही है। जहां तक नौवहन का सम्बन्ध है 'ट्राटोन' एक बडी अमरीकी कम्पनी है। वह अपने वचन से मुकर गयी। उसने इस मामले पर हमसे बातचीत करना पसंद नहीं किया और ठेके की शर्तों के अनुसार हमें मध्यस्थता की मांग करनी पड़ी। मध्यस्थता अमरीका में होती है। किन्तु एक बात मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भाड़ें की दरें बढ़ गयी है। मार्च तक यह भाड़ा 60 सेंट प्रति टन था। अब यह बढ़कर 88.5 सेंट हो गया है मई 1973 में स्पाट टैंकर के लिये मूल्य बढ़कर 400 सेंट प्रति टन हो गया है। अब हम ने एन० ए० एस० शिपिंग के साथ 70 सेंट प्रतिबैरल की, अर्थात 235 सेंट की दर से ठेका किया है। मूल्य काफी बढ़ गया है। किन्तु इस स्थिति हम नया सौदा करने के लिये बातचीत करने को तयार हैं। उस कम्पनी ने हम से बातचीत करना भी पसंद नहीं किया। अत: हमने सिंगापुर की एक अन्य कम्पनी से समझौता किया है जो हमारे लिये "टैंकज" का काम करेगी। जहां तक इस मामले का संबंध है, यह न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राजा कुलकर्णी : हमें यह मालूम नहीं है कि मंत्री महोदय फिलिप पेट्रोलियम कम्पनी की जो कोचीन शोधनशाला को अशोधित तेल की सप्लाई के लिये जिम्मेदार हैं भूमिका के बारे में सभा को सूचना क्यों नहीं दे रहे है क्योंकि सरकारने अशोधित तेल की सप्लाई के लिये उस कम्पनी के साथ समझौता किया हुआ है। या तो उस कम्पनी ने एक अवधि के दौरान अपना अशोधित तेल अमरीका को भेज दिया है अथवा किसी अन्य को सप्लाई कर दी है और वह कम्पनी कोचीन को पूरी मात्रा में इसकी सप्लाई करने में समर्थ नहीं है अथवा इस कम्पनी के साथ किये गये समझौते में कोई दोष रह गया है जिसका उपयोग इस कम्पनी द्वारा कठिनाइयां पैदा करने के लिये किया जा रहा है ?

श्री देवकान्त बरूआ : मुझे वास्तव में ही यह बात मालूम नहीं है। मैं यह कहने की स्थिति में में नहीं हूं कि यह समझौता ठीक था अथवा नहीं। यह बहुत समय पहले किया गया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर अगस्त, 1966 में हुये थे। यह मेरे मंत्री बनने से पूर्व की बात है। किन्तु यह समझौता इस कम्पनी के साथ किया गया था और फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी एक साझेदार कम्पनी है और उसके इस कम्पनी में 26.43 प्रतिशत शेयर हैं; इस में से 52 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के हैं और 7 प्रतिशत केरल सरकार के हैं। अत: अशोधित तेल की सप्लाई हेतु यह समझौता फिलिप्स के साथ नहीं हुआ था, अपितु सी० एफ० पी० के साथ किया गया था। आप इस को इसलिये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकतें। फिलिप्स भी

तेल उत्पादक कम्पनी है। किन्तु समझौता यह हुआ था कि वह तेल की सप्लाई नहीं करेगी, प्रत्युत सी० एफ० पी० के माध्यम से तेल प्राप्त करेगी। यह समझौता 1966 में हुआ था और गत वर्ष तक यह सुचारु रूप से लागू था।

श्री राजा कुलकर्णी : इस समझौते के अन्तर्गत अशोधित तेल की सप्लाई करने की जिम्मेदारी फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी की है।

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने तो यह कहा था आज श्रेष्ठ अफिसरों के अन्तर्गत सभी समझौतें को रद्द किया जा सकता है। यदि मुख्य कम्पनी या एजेन्ट कम्पनी श्रेष्ठ अधिकारी के अन्तर्गत ऐसा करने का दावा करे, तो इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उस के लिये सदैव एक खण्ड का उपबन्ध किया जाता है। ऐसे मामले में कोई भी श्रेष्ठ अधिकारों के अन्तर्गत दावा कर सकता है, क्योंकि ऐसा उभ परिस्थितियों के कारण किया गया जिनपर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।

जैसा कि मैंने कहा है, मुझे समझौते की सभी बातों की जानकारी नहीं है। यदि फिलिप्स पेट्रोलियम द्वारा तेल लाने की भी बात हो, तो भी वह केवल किन्हीं एजेंसियो के माध्यम से ही ला सकती है और उस एजेंसी ने यह दावा किया कि वह वार्षिक ठेके का नवीकरण करने की स्थिति में नहीं है और ठेके का नवीकरण न करने का उनका अधिकार है। इसलिये, हमें अब अशोधित तेल की सप्लाई के लिये प्रबंध करना है। मैं कड़ी भाषा के प्रयोग करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, किन्तु मुझे आशा है कि हम इस का प्रबन्ध करने में समर्थ हो जायेंगे। जैसा कि मैं ने कहा है। इसकी सब से बड़ी गारंटी अरब देशों तथा अब ईरान के साथ हमारी मैत्री है।

श्री वयालार रवि : फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी कोचीन तेल शोधनशाला की सहयोगी कम्पनी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अशोधित तेल की सप्लाई करने की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी की जिम्मेदारी आंशिक है अथवा क्या भारत सरकार तेल शोधनशाला को अशोधित तेल की सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है?

जहां तक नौवहन कम्पनी का संबंध है, "ट्राटोन" एक अमरीकी कम्पनी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने यह मामला फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के साथ उठाया है कि वह 'ट्रोटल' के साथ बातचीत करे अथवा उससे निपटे? अब नियमित रूप से तेल की सप्लाई के लिये नया प्रबंध क्या किया जा रहा है?

श्री देवकान्त बरुआ : मुझे इस समझौते की पूरी बातें मालूम नहीं हैं। किन्तु, तेल शोधन शाला के बन्धक . . .

श्री वयालार रवि : अभी तक प्रबन्ध निदेशक फिलिप्स कम्पनी का ही व्यक्ति है। मुझे यह मालूम है, क्योकि मैं वहां के संघ का अध्यक्ष हूँ।

श्री देवकान्त बरुआ : मुझे यह बात मालूम है। समझौते के अन्तर्गत, प्रबंध फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी का होता है और इसलिये निश्चित रूप से प्रबन्धक अशोधित तेल की सप्लाई का काम करते ह और इसके "टैंकेज" भी उन्हें मिलता है। जैसा कि मैं माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में बता चूका हूँ, फ्रांस की कम्पनीने, जो राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है, कहा था कि वे ठेके का नवीकरण नहीं करेंगे परन्तु जहाँ तक "ट्रिटोन" शिपिंग कम्पनी का सम्बन्ध है उन्होंने बिना नोटिस दिये ही ठेके को रद्द कर दिया और इसलिये हम न्यायालय में गये।

श्री वयालार रवि : फिलिप्स वालों ने क्या किया? ये दोनों अमरीकी कम्पनियां हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : जैसे कि हम सभी भारतीय है । जितना भारतीयों के बारे में सामान्यीकरण करना कठिन है उतना ही अमरीका वालो के बारे में भी ।

मैंने बताया है, मामला न्यायालय में जा रहा है और हम इस मामले पर फिलिप्स कम्पनी के साथ बात चीत कर रहे हैं । आज यह एक बहुत विशेष परिस्थिति है । मुलतः भारतीय तेल कम्पनिओं ने दूसरी तेल कम्पनियों से बात चीत की थी । परन्तु परिस्थिति विशेष में सरकार को कठिनाईग्रस्त कम्पनियों के मामले में हस्तक्षेप और सहायता करनी पड़ी क्योंकि ये चीजें कम्पनियों के नियंत्रण से परे थीं ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव

*616. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से, इस राज्य के सुन्दरबन क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने जानबुझ कर मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिया है । सिंचाई का अर्थ पानी की सप्लाई ही नहीं है । सुन्दरबन में गम्भीर समस्या है और विशेष कठिनाई है । 2200 मील के लगभग तटबन्ध है ...

अध्यक्ष महोदय : आप अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय बोल सकते हैं । अब हमारा सम्बन्ध विशिष्ट प्रश्न से है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं आप से संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संरक्षण का प्रश्न नहीं है । उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : सुन्दरबन की विशेष भौगोलिक कठिनाई है । यहां 2200 मील का तटबन्ध है । सदैव बाढ़ आती रहती है । यह सिचाई विभाग का कार्य है । वहां सुन्दरबन डल्टा नामक परियोजना चल रही है । क्या उन्हें पता है कि इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं और यह कहा गया है कि इस पर विचार किया जा रहा है । डेल्टा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ...

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं ? मेरी समझ में नहीं आता । आपने पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई परियोजना भेजा है और मंत्री महोदय ने कहा है कि नहीं ?

श्री शक्ति कुमार सरकार : एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष महोदय : किस लिये ?

श्री शक्ति कुमार सरकार : सुन्दरबन डेल्टा परियोजना के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने धन राशि मांगी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से तर्क करना नहीं चाहता ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कोई सिंचाई परियोजना नहीं है । एक दूसरी परियोजना है । यह संरक्षण परियोजना है, जल निष्कासन परियोजना है । पश्चिम बंगाल सरकार को एक पुरानी परियोजना थी । बाद में उन्होंने उसका पूरी तरह पुनरीक्षण कर दिया । अब वे निर्णय करेंगे कि क्या दृष्टिकोण अपनायें । डच अनुभव पर आधारित पहला दृष्टिकोण अथवा वर्तमान बांधों को मजबूत करने और उनमें बहुत से जल प्रवाह मार्ग बनाने का दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाये । यह वर्तमान स्थिति है । अन्ततः मूल दृष्टिकोण पर निर्णय किया जाना है । कोई एक बात बताना हमारे लिये कठिन है। इस पर निर्णय करना राज्य सरकार का कार्य है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : सुन्दरबन क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुये क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होने वाले पानी की सप्लाई सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप अनुपूरक प्रश्नों संबंधी नियमों को पढ़ें । आप कल्पनात्मक प्रश्न नहीं पूछ सकते । प्रत्येक प्रश्न का आधा भाग इसी प्रकार का है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उसको देखते हुये क्या सुन्दरबन के सम्बन्ध में, जिसके बारे में सदन में इस क्षेत्र में सुधार परियोजनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, सरकार दृष्टिकोण की भिन्नता डच दृष्टिकोण अथवा चाहे जो भी अन्य दृष्टिकोण हो, के अतिरिक्त एक ठोस वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं है और क्या मंत्री महोदय सिंचाई परियोजना और जल निष्कासन परियोजना में भेद करके इस क्षेत्र के प्रति, जो वर्षों से उपेक्षित रहा है, दायित्व को नहीं त्याग रहें हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री शक्तिकुमार सरकार ने सुन्दरबन डेल्टा परियोजना के विषय में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । इस परियोजना का अपना इतिहास है । यह परियोजना डच अनुभव पर आधारित थी । डच परामर्शदाता बुलाये गये थे । मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुये बता रहा था कि इस समय इसकी क्या स्थिति है, इस पर विचार किस स्थिति में है और क्या कठिनाइयां सामने आ रही है ।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पश्चिम बंगाल सरकार उस क्षेत्र के संरक्षण के अन्य पहलुओं तथा जलनिष्कासन योजनाओं को प्रगति नहीं दे रही है । वास्तव में अब भी, उनकी योजना 100 जल निष्कासन मार्ग बनाने की हैं और सरकार ने इस क्षेत्र में इन प्रवाही मार्गों का निर्माण करने आरम्भ कर दिया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । इस विषय पर पहले ही बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं । यद्यपि मूल उत्तर "जी, नहीं" और "प्रश्न ही नहीं उठता" दिया गया है, माननीय सदस्य अब भी बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं । मुझे खेद है कि मुझे अगला प्रश्न लेना पड़ेगा ।

प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली जारी रखना

*618. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली को अप्रल, 1970 में समाप्त कर दिया गया था फिर भी सचिवालय सहायता, विपणन प्रबन्ध, वित्त आदि के सम्बन्ध में, भूत पूर्व प्रबन्ध एजेंटो के प्रबन्धाधीन और नियंत्रणाधीन चाय कम्पनियों से उनके द्वारा किये गये सेवा करारों के माध्यम से चाय उद्योग में उक्त प्रणाली अभी विद्यमान है; और

(ख) क्या उक्त सेवा करारो के लिये कम्पनी विधि प्रशासन की स्वीकृति सांविधिक रूप से आवश्यक है, और यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृति के लिये कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार का ध्यान इस प्रकार के दृष्टान्तों की ओर आकृष्ट हुआ है कि चाय उद्योग में संलग्न कम्पनियों ने अपने भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओ अथवा, सचिव व कोषाध्यक्षों के साथ, प्रबन्ध, वित्त, कार्मिक, लेखांकन, सचिवीय कार्य आदि की बावत उनकी सेवाये प्राप्त करने के लिये अनुबंध किये हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

तथापि, संसद् के समक्ष प्रस्तुत कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 में, इस बावत कुछ बंधन लगाने की चाहना की गई है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, ऐसा रहस्यपूर्ण उत्तर मैंने कोई नहीं सुना है । मेरे प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में उन्होने 'हां' कहकर सहमति प्रकट की है कि सरकार के पास निश्चित जानकारी है कि कुछ चाय कम्पनियां, बड़े चाय औद्योगिक गृह किसी नाम से किसी न किसी तरह प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली अपना रही है परन्तु अगले भाग का उत्तर मंत्री महोदय ने "जी, नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" कहकर दिया है । सरकार से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है । तीसरे भाग में उन्होंने कहा कि कम्पनी अधिनियम 1972 के और संशोधन अभी भी सदन के विचाराधीन हैं ।

क्या वास्तव में उन्हें पता है कि कुछ कम्पनियां, धारा 324A में संशोधन करके, जैसा कि 1969 में संशोधन किया गया था, कम्पनी अधिनियम के विशिष्ट उपबन्धों का उल्लंघन कर रही हैं और सरकार ने ऐसे उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दंड का प्रावधान होने के उपरान्त, क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री बैदब्रत बरुआ : केवल चाय कम्पनियां ही नहीं, अन्य कम्पनियां भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपना रही हैं । उन्होंने ऐसी कार्यवाही की है जैसी कि वे प्रबन्ध अधिकरण समझौता समाप्त हो जाने के बाद भी, जब व मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में थीं, कर रही थीं । उन्होंने नये करार किये हैं जिनके अन्तर्गत उन्ह कम्पनियों पर बहुत अधिकार मिल गये हैं । परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी करार पर तब तक किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जब यह प्रबन्धाधिन कम्पनी के लिए कष्टसाध्य नहीं हो जाता । अतः हम कुछ संशोधन कर रहे हैं ।

जहां तक धारा '324 क के उल्लंघन का प्रश्न है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, हमने कुछ विशिष्ट मामलों की जांच की है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जबकि इन समझौतों का प्रारूप एक विशेष ढंग से तैयार किया गया है और उनमें पुरानी प्रणाली के अनुसार वहीं कहीं कमियां हैं, तत्काल यह कहना संभव नहीं है कि वे प्रबन्ध अभिकरण हैं। सभी मामलों में, उन्हें प्रबन्ध अभिकरण बताना संभव नहीं है। हम कुछ मामलों में यह पता लगाने के लिये निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या निदेशक मंडल की शक्ति समाप्त कर दी गई है और वास्तव में प्रबन्ध अधिकरण अभी भी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। अधिनियम में प्रबन्ध अभिकरण की परिभाषा कुछ ऐसी है कि प्रबन्ध अभिकरण को चाहे जिस नाम की कम्पनी हो उसके प्रबन्ध के अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार अथवा पर्याप्त अधिकार होगा। उन करारों से यह सदैव प्रदर्शित किया जा सकता है कि उनके पास विशेषज्ञ कानूनी परामर्श उपलब्ध है। अतः हमने संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया है और प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपलब्ध है। विधेयक पारित हो जाने पर सभी दोषों का समाधान हो जायेगा और कम्पनियों से उनके करारों को सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ कम्पनियों के करारों और शर्तों का विभाग द्वारा निरीक्षण एवं जांच की गई है और इस बारे में अन्तिम निर्णय करना कि क्या वास्तव में उल्लंघन है अथवा नहीं, कठिन कार्य है। मैं चाय उद्योग के बारे में इस विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के करार किन किन कम्पनियों में किये गये हैं और किस किस के बारे में जांच की गई है और क्या सरकार इन सभी कागजात को सभा पटल पर रखेगी जिससे हम भी इनका निरीक्षण कर सकें ? अन्तिम निर्णय लेने में क्या कठिनाइयां है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली 1970 में समाप्त कर दी गई थी। इसके पश्चात् पता चला कि बहुतसी कम्पनियों ने कुछ करार किये हैं जो प्रबन्ध अभिकरण के प्रकार के हैं। अतः हमें उनकी जांच करनी थी और क्योंकि इन करारों के लिये सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं थी अतः सर्वप्रथम, जांच के बाद, हमने विधि कार्य विभाग को वास्तविक स्थिति जानने के लिये यह मामला भेजा और तब हमने कुछ कम्पनियों का निरीक्षण किया।

श्री बी० के० दासचौधरी : उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : जयश्री टी एन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड नामक कम्पनी इन में से एक कम्पनी है जिसकी जांच की जानी है कि क्या उनके द्वारा किय गये करारों का स्वरूप प्रबन्ध अभिकरण का है और हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरे प्रकार के करार भी हमारे सामने हैं परन्तु वे करार प्रबन्ध अभिकरण के स्वरूप के नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वर्ष 1970 में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त करने के बाद से बहुत से मैनेजिंग एजेन्ट, सचिव, कोषाध्यक्ष सेवा करार करने की आड़ में, अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सरकार, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, इस बारे में एक विशिष्ट व्यवस्था लागू करेगी ? परन्तु मैं एक विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये सेवा करार कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जाने चाहिये और यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि इसका विधेयक पारित होने के समय से 5 वर्ष पूर्व से, जबकि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त की गई थी भूतलक्षी प्रभाव होगा।

श्री वेदब्रत बरुआ : संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य को पता है कि क्या कार्यवाही की गई है और क्या सुझाव दिये गये हैं तथा सिफारिशें की गई हैं। मेरे विचार से वे बहुत व्यापक हैं। भूतपूर्व मैनेजिंग एजेन्टों के साथ 5 वर्ष पूर्व जो ठेके किये गये, ये उन सभी पर लागू होंगी और संशोधन विधेयक पारित होने के 5 वर्ष बाद तक लागू रहेंगी। इन सभी पर सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होगी और सरकार को यह परामर्श देने का अधिकार होगा कि ठेका किस प्रकार किया जाये ताकि वह प्रबन्धाधीन कम्पनी के लिये कष्टसाध्य न बने। अन्य उपबन्ध भी हैं। उदाहरण के लिए, उन कम्पनियों के मामले में जिनकी साझपूंजी एक करोड़ से अधिक है, सरकार की अनुमति के बिना कोई कम्पनी और निदेशकों के बीच कोई करार नहीं हो सकता। एक दूसरी धारा भी है, जिसके अनुसार विक्रय और क्रय करने वाली एजेन्सियों के लिए भी कुछ मामलों में सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इन सब बातों को देखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विधेयक सदन के विचाराधीन है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि 1970 से अब तक जो कुछ हुआ, अब इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रबन्ध अभिकरणों के सम्बन्ध में वह स्थिति जारी न रहे।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या मंत्री महोदय को पता है कि 1970 में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त कर देने के पश्चात, कुछ प्रबन्ध अभिकरणों ने प्रबन्ध शब्द हटाकर केवल एजेन्ट रहने दिया और एजेन्ट कहकर ही कुछ चाय कम्पनियों का प्रबन्ध चला रही हैं। वे ऋण लेते हैं और चाय कम्पनियों का वित्तीयपोषण करते हैं। समस्त चाय उत्पादन को समेट कर खुले बाजार में बेचते है। क्या यह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के क्षेत्राधिकार में आता है ?

श्री वेदब्रत बरुआ : सरकार को इस बात का पता है। हम इन सब बातों की जांच कर रहे हैं। एक बार संशोधन विधेयक पारित हो जाये तब इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा। हमें इन सब बातों का पता है। जहां कही भी ऐसी बातें हमारे ध्यान में आयी हैं, हमने कम्पनियों से स्थिति का स्पष्टीकरण करने को कहा है। हमने यह पता लगाने के लिये कि वास्तव में भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकरण कम्पनी को कितनी शक्ति हस्तांतरित की गई है कुछ उपयुक्त मामलों का निरीक्षण किया है।

दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बिना इस्तेमाल हुई रेलवे रसीदों का गुम होना

*620. **श्री महावीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेशन के स्टाक कार्यालय, पार्सल कार्यालय से कुछ बिना इस्तेमाल हुई रेलवे रसीदों के गुम होने की रिपोर्ट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ये रसीदें मुद्रणालय से ठीक रुप में प्राप्त की गई थीं, उनकी ठीक जांच की गई थी व गिनी गई थीं और स्टाक रजिस्टर में दर्ज की गई थीं; और

(ग) क्या उक्त रसीदों को जाली रुप से इस्तेमाल कर के रेलवे को धोखा देने के उद्देश्य से स्टाक कार्यालय में रखी खाली किताबों से निकाला गया था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

Shri Mahadeepak Singh Shakya: The hon. Minister has conceded that the information regarding missing of blank Railway receipts from parcel office, Delhi station is correct. It means corruption is rampant in the Railways. I want to know whether the hon. Minister had got the information regarding this, before the receipt of my notice; if so, when the information was received and when the investigation was started?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: We got information on 8th February 1974 and investigations were started on the same day.

Shri Mahadeepak Singh Shakya: Has the hon. Minister made any arrangements to seal the concerned papers before making enquiry so that the culprits who have been cheating, may not be able to repeat the same trick?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Not only the concerned papers have been sealed but information regarding missing of papers has been published in the gazette.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

+

अ०स०प्र० संख्या 7. श्री समर गुह :

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह गत 25 मार्च का कलकत्ता टेलीफोन विभाग की शिकायतों की मौके पर जांच करने के लिए कलकत्ता गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता टेलीफोन विभाग की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां । मैं 24 व 25 मार्च, 1974 को कलकत्ता गया था और वहां कलकत्ता टेलीफोन्स के अधिकारियों के साथ टेलिफोन प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में विस्तार से विचार विनिमय हुआ था ।

(ख) इस बारे में सरकार ने जो कदम उठाए हैं या जो कदम उठाने का प्रस्ताव है उनका उल्लेख विवरण-पत्र में किया गया है । यह विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

कलकत्ता टेलीफोन्स के सामने जो समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाय हैं या जो कदम उठाने का प्रस्ताव है, उनका विवरण —

(क) उठाए गए कदम :

(i) कलकत्ता टेलीफोन्स के सामने जो प्रमुख समस्याएं आईं उनमें से एक प्रमुख समस्या यह थी कि एक्सचेंज उपस्कर और टेलीफोन यंत्रों का रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों की कमी पाई जाती रही है । इन फालतु पुर्जों का उत्तरोत्तर उत्पादन किया गया और उन्हें कलकत्ता टेलीफोन्स को सप्लाई कर दिया गया । संचार मंत्री

ने पहले यह आदेश दिया था कि जो कुछ बकाया मदें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, उनका बंगलूर के भारतीय टेलीफोन उद्योग में प्राथमिकता के आधार पर विशेषरूप से उत्पादन कीया जाए और उन्हें कलकत्ता टेलीफोन्स को सप्लाई किया जाए। ये पुर्जे सप्लाई कर दिए गए है

(ii) ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कलकत्ता टेलीफोन्स की लगातार उत्पन्न होने वाली भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुर्जों की सप्लाई निरन्तर होती रहे।

(iii) इस समय कलकत्ता टेलीफोन्स के ज्यादातर एक्सचेंजों में ट्रैफिक का भार अधिक है। बहुत बढ़े हुए इस ट्रैफिक को चलाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक रिलीफ उपस्कर स्थापित करने की तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पांच एक्सचेंजों में ट्रैफिक रिलीफ उपस्करों की स्थापना की जा रही है। आशा है कि अगले 12 से 15 महीनों के अन्तर्गत सभी मुख्य टेलीफोन एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर ट्रैफिक रिलीफ उपस्करों की स्थापना कर दी जाएगी।

(iv) कलकत्ता में जो 2000 लाइनों का ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा था, वह शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। तत्पश्चात्, आसनसोल के साथ अगस्त 1974 तक और खड़गपुर के साथ नवम्बर, 1974 तक उपभोक्ता ट्रन्क डायलिंग सेवा (एस०टी०डी०) चालू कर दी जाएगी। भुवनेश्वर और कटक के साथ मार्च, 1975 तक और जमशेदपुर के साथ वर्ष 1976 के अंत तक एस०टी०डी० सेवा चालू कर दी जाएगी। आशा है कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान दिल्ली के साथ एस०टी०डी० सेवा चालू कर दी जाएगी।

(v) कलकत्ता और मद्रास के बीच का एक्सियल ट्रंक केबिल और कलकत्ता और नागपुर के बीच माइक्रोवेव लिंक की स्थापना की जा रही है। आशा है कि ये लिंक अगले वर्ष के दौरान चालू हो जाएंगे और इनसे कलकत्ता को मद्रास और बम्बई के साथ संचार संबंध जोड़ने के लिए एक स्थायी ट्रंक साधन उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली के ट्रंक मार्ग पर माइक्रोवेव लिंक की स्थापना कर के इस मार्ग को डुप्लीकेट बनाया जा रहा है।

(vi) कलकत्ता टेलीफोन्स के प्रबंधकारक सेट-अप का तुरंत पुनर्गठन कर के उसे मजबूत बनाया जा रहा है। इसके लिए कई पदों की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) उठाए जाने वाले कदम :

(i) कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों में जो उपस्कर खराब पड़े हैं, उन्हें आगामी 4 से 6 सप्ताहों के दौरान ठीक कर दिए जाने की संभावना है।

(ii) कलकत्ता में टेलीफोन सेवा की कुशलता पर बुरा असर डालने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या इस समय यह है कि शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार बिजली का भार कम रहता है। बिजली का भार कम होने के दौरान वातानुकूलन संयंत्र बंद कर दिये जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप धूल मिश्रित हवा उपस्करों के कमरों में प्रवेश कर जाती है। इसके कारण टेलीफोन सेवा में ह्रास आ जाता है और पुर्जे तेजी से बिगड़ जाते हैं। इस महत्वपूर्ण समस्या पर संचार मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था और उनसे यह निवेदन किया था कि ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं जिनसे विद्युत भार कम होने (पावर शैडिंग) का टेलीफोन एक्सचेंजों पर यथासंभव बुरा असर न पड़े और एक्सचेंजों व निकटतम पावर सब-स्टेशनों के बीच सीधे पोषक केबिल भी लगा दिए जायं। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि कलकत्ता के बहुत से एक्सचेंजों

को विद्युत-भार की कमी के प्रभाव से बचाना उनके लिए संभव न होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पोषक केबिलों का लगाना बड़ा ही खर्चीला कार्य है और इसमें समय भी काफ़ी लगेगा। विभिन्न एक्सचेंजों में जो इंजन आल्टरनेटर लगे हुए हैं वे एक्सचेंज उपस्करों को चलाने का भार तो उठा सकते हैं लेकिन वातानुकूल-संयंत्रों को चलाने का भार नहीं उठा सकते। कुछ एक्सचेंजों में ज्यादा क्षमता वाले डीज़ल इंजन आल्टरनेटरों को लगाने की संभावना की जांच की जा रही है।

(iii) विभिन्न एजेन्सियों की काम करने वाली पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर सड़कों की खुदाई करने की वजह से टेलीफोन के जमींदाज केबिलों को प्राय: नुकसान पहुंचता है। संचार मंत्री ने इस महत्वपूर्ण समस्या पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था। सड़क की खुदाई करने वाली विभिन्न एजंसियों और कलकत्ता टेलीफोन जिले के बीच बहुत निकट का समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि टेलिफोन केबिलों का नुकसान रोका जा सके।

(iv) जमींदाज केबिलों की चोरी की वजह से भी टेलीफोन सेवा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। संचार मंत्री ने इस महत्वपूर्ण समस्या पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया और उनसे यह निवेदन किया कि इस तरह की चोरियों को कम करने के लिए पुलिस द्वारा और अधिक सतर्कता और निगरानी रखी जाए।

(v) केबिल की खराबियों और खराब एक्सचेंज़ उपस्कर की वजह से विभिन्न एक्सचेंजों के बीच के लगभग 8 से 10 प्रतिशत जंक्शन संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप कालें नहीं मिलती थीं। एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और आशा है कि अगले 4 से 6 हफ्तों के दौरान खराब जंक्शन ठीक कर दिये जाएंगे।

(vi) टेलीफोनों की खराबियों और शिकायतों को दूर करने, लाइनों को एक इलाके से दूसरे इलाके में बदलने, नये टेलीफोन कनेक्शन देने आदि के लिए कलकत्ता में आजकल जो विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई जा रही हैं, उन्हें तुरंत आसान बनाया जा रहा है, ताकि सभी स्तरों पर विलंब को कम किया जा सके।

(vii) 5 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता के टेलीफोन-जाल का विस्तार कर के 92,000 और लाइनें बढ़ा दी जाएंगी जिससे इसकी वर्तमान 1.3 लाख लाइनों की क्षमता बढ़ कर 2.2 लाख लाइनें की हो जाएगी। कलकत्ता की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में करीब 60,000 आवेदक हैं जिनमें से करीब 10,500 अर्जियां ओ०वाई ०टी० योजना के अंतर्गत है।

(viii) कलकत्ता टेलीफोन्स का कर्मचारियों और सामान के मामले में विशेष सहयोग दिया जा रहा है ताकि कलकत्ता टेलीफोन्स प्रबंधक टेलीफोन उपभोक्ताओं को लगातार कुशल सेवा प्रदान कर सकें।

(ix) कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

श्री समर गुह : मुझे हर्ष है कि मंत्री महोदय हमारे अनुरोध पर कलकत्ता गए और उन्होंने वहां अधिकारियों के साथ बातचीत की। शायद उन्हें मालूम होगा कि इस सभा में इस संबंध में वाद विवाद हुआ था और भूतपूर्व मंत्री श्री बहुगणा ने अनेक आश्वासन दिए थे परन्तु दुर्भाग्यवश स्थिति पूर्ववत् रही, जैसे अनियमित कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं, गलत

कनेक्शन, मंजूरशुदा लाइनों को कनेक्शन देने में विलम्ब, स्थानान्तरण में विलम्ब तथा अन्य अनेक भ्रष्ट कार्य, मैं नहीं जानता कि क्या मुझे कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था संकटपूर्ण व्यवस्था कहना चाहिए। यहां यह कहा जाता है कि 8 से 10 प्रतिशत लाइनें काम नहीं करती हैं। परन्तु यदि आप कलकत्ता जाकर सर्वेक्षण करें तो आप पायेंगे कि 50 से 60 प्रतिशत टेलीफोन कनेक्शन कुछ समय तक लगभग प्रति दिन काम नहीं करते हैं।

उन्होंने इसके ये कारण बताए हैं : फालतू पुर्जों की कमी, अतिरिक्त उपकरणों की कमी, बार बार बिजली का फूल हो जाना, आदि। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बीच फालतू पुर्जों और टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री बहुगणा ने जो आश्वासन दिया था, उसमें से ठीक-ठीक कितने टेलीफोन उपकरणों तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई की गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां शीघ्र स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक उपकरण किस प्रकार के हैं? क्या सरकार एक डिप्टी मैनेजर की अध्यक्षता में एक विशेष सेल स्थापित करेगी जो मेरे द्वारा पहले की गई शिकायतों की जांच करे ताकी उनका निपटारा शीघ्रता से हो सके? शिकायती पर्चियां प्रत्येक उपभोक्ता को दी जानी चाहिए ताकि शिकायतें अधिकारियों को शीघ्रता से भेजी जा सकें।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : भाग (ख) के उत्तर में मैंने जो विस्तृत ब्यौरा दिया है उसमें उन कदमों का उल्लेख है जो उठाए गए हैं अथवा भविष्य में उठाये जाने वाले हैं जैसा कि उसमें बताया गया है। कुछ पुर्जे आवश्यक हैं और वास्तव में हमने उन्हें भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर से भेजा है। कुछ उपकरणों में त्रुटियों पाई गई हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। वास्तव में गत 10 अथवा 12 दिनों में काफ़ी काम किया गया है। हमारा निर्धारित समय है जिसके अंदर इन सभी त्रुटियों को देखा जाना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, अधीनस्थ कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है, अतिरिक्त जनरल मैनेजर की भी मंजूरी दी गई है। इसलिए हम अपनी क्षमता के अनुसार, विभिन्न कार्य-वाहियां कर रहे हैं।

परन्तु कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमारी क्षमता से बाहर हैं। जैसे बार-बार बिजली का फेल हो जाना, तांबे की चोरी और केबलों के साथ छेड़ा तानी। मैंने मुख्य मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर दिलाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को भी लिखा है तथा उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। कुछ मामलों में वे कुछ बेबस थे परन्तु फिर भी उन्होंने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

मुझे आशा है कि आगामी चार से छह सप्ताहों में स्थिति सुधरेगी। जहां तक अधिक राशि के बिल बनाने और अन्य त्रुटियों का संबंध है, मैंने बम्बई और दिल्ली जैसे कुछ अन्य महानगरों की तुलना की। मैंने तुलना करने पर यह देखा कि कलकत्ता की स्थिति कुछ अच्छी है।

श्री समर गुह : एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। बोर्ड के सदस्य के नाते मैंने एक शिकायती अनुभाग की स्थापना का सुझाव दिया था। दुर्भाग्यवश कुछ कठिनाइयों के कारण जनरल मैनेजर उक्त अधिकारियों से इस कार्य के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं कर सके और वे अपनी कठिनाई बता रहे हैं। क्या मंत्री महोदय एक डिप्टी मैनेजर की देखरेख में शिकायती प्राधिकार गठित करने को तैयार है? ताकि सभी शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जा सके जिसके लिए शिकायती स्लिपें उपभोक्ताओं को दी जाएंगी।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : जी हां, [हम वह भी कर रहे हैं । उपभोक्ताओं के टेलीफोनों आदि की जांच करने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम शीघ्र ही लागू किया जायेगा । आगामी तीन महीनों में प्रत्येक एक्सचेंज में आधे टेलीफोनों की, जिनके सभी महत्वपूर्ण नम्बर हैं, पूरी तरह जांच की जाएगी तथा दोनों को दूर किया जायेगा ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि वर्ष 1950 में दो अन्य महानगरों तथा बम्बई और दिल्ली, की तुलना में कलकत्ता में सबसे अधिक टेलीफोन थे ? क्या यह सच है कि बम्बई और दिल्ली की तुलना में कलकन्ता में अब कम संख्या में टेलीफोन कनेक्शन हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? दूसरे, यदि बम्बई और दिल्ली से अन्य सभी बड़े नगरों को डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था है तो कलकन्ता को, जो पूर्वी भारत का व्यापारिक केन्द्र है यह सुविधा क्यों नहीं प्राप्त है ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : कलकत्ता वर्ष 1969 तक इस मामले में आगे था वर्ष 1969 के बाद बम्बई आगे बढ़ गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि हम सत्तारुढ़ हुए थे ।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मेरा ऐसा मतलब नहीं है, प्रश्न के अनुकूल मैं उत्तर दे रहा हूं ।

वर्ष 1966 में कलकत्ता में 1,08,000 कनेक्शन थे ; बम्बई — 71,000 ; दिल्ली — 65,000 । वर्ष 1969 में कलकत्ता में 1,18,000 कनेक्शन थे ; बम्बई—1,35,000 ।

श्री ज्यो।तमय बसु : उसके बाद ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मेरे पास वर्ष 1971 तक के आंकड़े हैं वर्ष 1971 — कलकत्ता में 1,26,000 कनेक्शन थे ; बम्बई — 1,47,000 ; दिल्ली — 95,000 । और मद्रास — 55,000 ।

वास्तव में यद्यपि कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची 60,000 व्यक्तियों की है, बम्बई में वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1,05,000 व्यक्तियों की है, परन्तु हमारा विचार केवल लगभग 1,50,000 व्यक्तियों ....

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतीक्षा सूची कब से चली आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्नकर्ता और मंत्री महोदय के बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहां तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाओं का संबंध है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि कलकत्ता में एक विशेष डायरेक्ट टाईप सिस्टम की व्यवस्था है जो 1950 के मध्य में लागू किया गया था]। इसलिए इसे डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के बराबर लाने के लिए इसमें काफ़ी संशोधन करना आवश्यक है, वास्तव में, जैसा कि मैंने बताया है, डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाओं को सुधारा जा रहा है । **(व्यवधान)**

जैसा कि मैंने कहा है, डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करने से पूर्व कलकत्ता में लगाये गए "डायरेक्ट टाइप सिस्टम" में काफी संशोधन करना पड़ेगा। इससे कलकन्ता में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करने में कुछ विलम्ब हो गया है ।

कलकत्ता में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करने के लिए डाइरेक्ट सिस्टम को सुधारा जा रहा है और वर्ष 1974 के अन्त तक 2000 लाइन ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज चालू किए जा रहे हैं। इसके तुरन्त बाद आसनसोल से कलकत्ता तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू की जाएगी और कलकत्ता से आसनसोल डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था अगस्त, 1974 के अंत तक आरम्भ की जाएगी। इसके बाद नवम्बर, 1974 तक कलकत्ता और खड़गपुर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से कलकत्ता को भुवनेश्वर और कटक से मार्च 1975 तक और जमशेदपूर से 1976 के अंत तक जोड़ा जाएगा। दिल्ली तक यह सेवा पांचवीं योजनावधि में आरम्भ की जाएगी, आप देखेंगे कि कलकत्ता के मामले में कोई उपेक्षा नही की गई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को देखते हुए कि कलकत्ता की टेलीफोन व्यवस्था भारत में बहुत ही खराब और कष्टकर है। स्वतंत्रता के बाद गत 24 वर्षों में कलकत्ता के साथ भेदभाव बरता गया है। क्योंकि वर्ष 1947 से वर्ष 1971 तक कलकत्ता ने बम्बई, दिल्ली अथवा मद्रास की तुलना में सबसे अधिक किराया तथा काल दरे दी है। इस खराब स्थिति को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता स्थित डाक तथा तार फैक्टरी, जो देश में सबसे पुरानी है और बेमरम्मती की दशा में है, की देखभाल क्यों नहीं की जा रही हैं; पूर्वी क्षत्र में समुद्रपारीय संचार सुविधाओं हेतु कलकत्ता और निकट के सभी संबंधित क्षेत्रों के लिए भू-स्टेशन की योजना क्यो नहीं बनाई गई है और क्या कारण है कि कलकत्ता को दिल्ली के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के लिए पांचवीं योजना की अवधि के अंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? मैं इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। विशेषकर इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता के साथ गम्भीर रूप से भेदभाव किया जा रहा है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह कहना सच नहीं है कि कलकत्ता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम यह बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि कलकत्ता के साथ भेदभाव न किया जाये। वास्तव में 1966 तक कलकत्ता में जो दरें ली जाती थी, वे कुछ अधिक थीं परन्तु 1966 के बाद कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बीच इस मामले में कोई अंतर नहीं रहा है। जहां तक रूपनारायणपुर में कारखाने का संबंध है यह सच है कि इसकी स्थापना 1954 के आसपास हुई थी और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत दो वर्षों से रूपनारायणपुर अच्छा कार्य कर रहा है। जहां तक भू-स्टेशन का संबंध है। यह विचाराधीन है, । मैं आज कोई निश्चित वक्तव्य नहीं दे सकता हूं परन्तु यदि तीसरे स्टेशन की स्थापना की जाएगी तो यह कलकत्ता के आसपास होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस समय कलकत्ता में अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार अधिक है। क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया और यदि हां तो जहां तक कलकत्ता का संबंध है, इन एक्सचेंजों में कार्यभार कब से अधिक है ? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कब पाया गया कि कलकत्ता स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार अधिक है, ऐसी स्थिति कितने वर्षों से है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे दुःख है कि मैं सही तारीख नहीं बता सकता। परन्तु यह पाया गया था कि कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार अधिक है और वे अभी नए कनेक्शन देने में असमर्थ हैं, यह स्थिति कुछ क्षेत्रों में विकट है। इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में तथा आगामी वर्ष कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने का विचार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच हैं कि इस समय कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार अधिक है। यह निर्णय निश्चय ही सर्वेक्षण करके अथवा वस्तुस्थति का पता लगाने के लिए किए गए कार्य का परिणाम है। हम जानना चाहते हैं कि इन एक्सचैंजों में कार्यभार कब से बढ़ा है ....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । इससे पता लगता है कि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं उनको यही बता सकता हूं कि टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार बराबर अधिक रहा है ।

श्री ब्री० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विभाजन के समय से 1966 तक विशेषकर मद्रास, दिल्ली तथा बम्बई की तुलना में कलकत्ता में टेलीफोन तथा टेलेक्स की दरें अधिक थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1966 तक बम्बई तथा अन्य स्थानों की तुलना में कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन अधिक थे और इस तथ्य को भी देखते हुए कि गत 19 वर्षों में कलकत्ता टेलीफोन्स ने कलकत्ता तथा आस-पास के क्षेत्रों में कनेक्शनों के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक लिए हैं। तथा डाक तथा तार विभाग ने ऐसा भेदभाव तथा बड़ी मात्रा में शोषण किया है और इस तथ्य को देखते हुए कि कलकत्ता और दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपलब्ध की जाएगी और कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच 6 मिनट के लिए डिमांड काल के 64 रुपये या अधिक पड़ते हैं। जबकि बम्बई तथा दिल्ली में केवल 34 रुपये पड़ते हैं। क्या कलकत्ता टेलीफोन को दिल्ली तथा अन्य स्थानों को ट्रंककाल के लिए विशेष रियायत दी जाएगी? क्योंकि कलकत्ता टेलीफोन्स ने विगत काल में 100 करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए हैं ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : इस आरोप का मैं खंडन करता हूं । जैसे कि मैंने बताया है, 1966 तक दरों में कुछ भिन्नता थी,। 1966 के बाद, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बीच दरों में कोई अन्तर नहीं है ।

जहां तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया है कि चूंकि कलकत्ता में विशेष प्रकार का डायरेक्ट सिस्टम है, इसलिए डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने से पूर्व काफी संशोधन करना पड़ेगा। और मैंने उस कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत कर दिया है जो हाथ में लिया गया है तथा यह भी बता दिया है कि, जहां तक कलकत्ता-आसनसोल और कलकत्ता-भुवनेश्वर का संबंध है, यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा । जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता-नागपुर के समान कलकत्ता को मद्रास तथा अन्य स्थानों से सूक्ष्म तरंग द्वारा जोड़ा जा रहा है । कलकत्ता को दिल्ली के साथ जोड़ने में निश्चय ही कुछ समय लगेगा । यह पांचवीं योजनावधि में पूरा किया जायेगा और मेरा पश्चिम बंगाल से आने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह महसूस न करें कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरे द्वारा वर्णित तथ्यों को देखते हुए, क्या कलकत्ता में टेलिफोन उपभोक्ताओं को कुछ वर्षों तक, जब तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई विशेष रियायत दी जाएगी। कृपया इस संबंध में कुछ कीजिए।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मुझे दुख है कि ऐसा संभव नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्यों? क्या 100 करोड़ से अधिक रुपये की वसूली के उपरांत भी यह संभव नहीं है ?

Shri Bibhuti Mishra: Calcutta is a pipe line of the whole of Bihar and eastern region. The work pertaining to export and import in Bihar has direct connection with Calcutta; people live in Calcutta in connection with service but there is no direct link between any district headquarters and Calcutta. Mr. Speaker, Sir, I seek your protection. When we take Jute to Calcutta, it is said that telegram has come from Calcutta that the prices of jute have fallen. At that time, the farmers have no facility to ask on telephone from Calcutta whether the prices of jute have slumped or not. Taking into consideration all these hardships, is the Government prepared to connect Calcutta with all headquarters of the eastern region or not? If so, by when?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह असंगत प्रश्न है ।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि पटना और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था है और पटना और मुजफ्फरनगर के बीच तथा कटिहार और कलकत्ता के बीच सूक्ष्म तरंग लाइन है ।

यदि मुजफ्फरपुर और कटिहार के बीच सूक्ष्म तरंग द्वारा संबंध है तो पटना होते हुए दिल्ली और कलकत्ता के बीच ट्रंक डायलिंग प्रणाली आसान हो जाएगी । यह संभवतः विचाराधीन है । मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं ।

श्री पीलू मोदी : उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने अपना काम नहीं किया है ।

डा० रानेन सेन : विवरण के पृष्ठ 5 पर मद संख्या 7 में कहा गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता टेलीफोन का विस्तार किया जायेगा, आदि, आदि । इस समय कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची लगभग 60,000 की है और 10,000 आवेदक ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत हैं । मैं जान सकता हूं कि :

(क) क्या मंत्री महोदय इस तथ्य को जानते हैं कि 1956 से बृहत कलकत्ता क्षेत्र में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनपत्र कलकत्ता टेलीफोनस् के समक्ष विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस अनिर्णित आवेदन-पत्रों को निपटाने का आश्वासन कलकत्ता टेलीफोनों के विकास के लिए पर्याप्त होगा ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समय ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कम से कम पुराने आवेदनपत्रों को केन्द्रीय डाक तथा तार महानिदेशक की मदद से शीघ्र ही निपटाया जा सके ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : जी नहीं, यह पहिले ही बता दिया गया है कि कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची में 60,000 आवेदन पत्र दर्ज हैं और पांचवीं योजना के दौरान हमारा विचार 95,000 लाईनें देने का है। आप जानते ही होंगे कि अतिरिक्त लाइनों का मतलब डाक तथा तार विभाग को और अधिक आय देना है । इसलिए हम इस काम में तेजी लाना चाहते हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह उत्तर है ? क्या वे जानते हैं कि गत 20 वर्षों से कितने आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वे इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह उत्तर है—वे इसे पांचवीं योजना के दौरान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि जो भी संभव है, वह किया जायेगा। उन्होंने बताया है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में 95,000 लाइनें दी जाएंगी और प्रतीक्षा सूची केवल 60,000 की है।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : वास्तव में ऐसा है। बम्बई में आज प्रतीक्षा सूची 1,35,000 की है और हमारा विचार 1,05,000 टेलीफोन कनेक्शन देने का है जबकि कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची ...

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : क्योंकि व्यवहारिक रूप से ऐसा सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of Fertilizer Plants in collaboration with Italy

***611. Shri Mukhtiar Singh Malik :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to set up five fertilizer plants in collaboration with Italy; and

(b) if so, what are the terms of collaboration?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) While no such proposal is under consideration, the Italian credit assistance of around $ 25 million is proposed to be utilised towards meeting the foreign exchange cost of the one of the projects to be set up in the public sector during the Fifth Five Year Plan period.

Power cut in Delhi due to coal shortage

***612. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to effect a cut in power keeping in view the shortage of coal in Delhi Power House;

(b) the extent to which power is proposed to be cut; and

(c) the period for which the power cut will continue?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) There is no cut in power generation on account of shortage of coal. Every effort is being made to ensure timely supply of adequate quantity of coal for Delhi power stations

and there is no need to restrict power generation on this account. The Delhi Administration, has however, imposed certain restrictions in the consumption of electricity in Delhi with a view to curbing ostentatious or avoidable consumption and providing relief to the neighbouring power systems. These will have to continue till such time as the power supply position in the region improves.

उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग न करना

*619. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग बहुत कम हो रहा है तथा इन संयंत्रों में चौथी योजना के लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं , और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मद्रास की महानगरीय रेल परियोजना के लिये धन देने में विलम्ब

*621. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास के लिए महानगरीय रेल परियोजना के निर्माण हेतु धन देने में विलम्ब किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच धनराशि की मंजूरी देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) तमिल नाडू राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे यातायात सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किये जा रहे हैं । आशा है कि परियोजना व्यावहारिकता रिपोर्ट को मार्च, 1975 तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा और इसके बाद मद्रास के लिए महानगर रेलवे के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

वैगन एककों के लिये "रोलर बियरिंग व्हील्स" की कमी

*622. **श्री देवन्द्र सिंह गरचा :**
श्री धामनकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोलर बीयरिंग व्हील्स की अत्यधिक कमी के कारण विभिन्न वैगन एककों में उत्पादन लगभग ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या स्थिति सामान्य बनाने के लिए उनका आयात तत्काल करना पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पहियों के सेटों की वार्षिक आवश्यकता कुल देशी उत्पादन से कहीं ज्यादा होती है इसलिए प्रतिवर्ष शेष मात्रा के आयात की व्यवस्था करनी पड़ती है । इस वर्ष भी, रोलर बेयरिंग पहिया सेटों की आवश्यक मात्रा के आयात की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और इन आर्डरो के अनुसार सप्लाई शीघ्र होने की आशा है ।

काकीनाडा में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोशिएशन से सहायता

***623. श्री रामगोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस के लिए विदेशी मुद्रा का ऋण प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोसिएशन से बातचीत की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) यू० के० की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोसिएशन के विचार करने हेतु प्रस्तावित प्रायोजनाओं में से यह एक है ।

टैंकरों के द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण के बारे में शिकायतें

***624. श्री पी० गंगादेव :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि दिल्ली में अनेक स्थानों पर मिट्टी के तेल के टैंकर पूरा तेल वितरित किये बिना ही चले जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) (i) जनवरी, 1974 से लोगों को सीधे टैंक लारियों से मिट्टी का तेल देने की पद्धति समाप्त कर दी गई है ।

(ii) एजेंटों से फुटकर विक्रेताओं को मिट्टी के तेल की सप्लाई अब आबंटन आदेशों द्वारा नियमित की गई है ।

वीयना में पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन की बैठक

*625. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के 12 राष्ट्रीय संगठन की मार्च, 1974 के तीसरे सप्ताह में बैठक हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया ; और

(ग) उसमें लिए गए निर्णयों का भारत की अशोधित तेल की सप्लाई पर क्या प्रभाव होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् 1 जुलाई, 1974 तक अशोधित तेल का मूल्य स्थिर रखने का निर्णय लिया गया था ।

(ग) 1 जनवरी, 1974 से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे पर खर्च की गई धनराशि

*626. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता भूमिगत रेलवे के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान कितना कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ग) काम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और कितना काम किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) मार्च, 1974 के अंत तक, कलकत्ता भूगत रेलवे, अर्थात् दमदम-डालीगंज द्रुत परिवहन लाइन जिस का निर्माण-कार्य 1973 के मध्य में प्रारम्भ हुआ था, के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 4.1 प्रतिशत प्रगति हुई है । अब तक 5.21 करोड़ रुपये खर्च किय गये हैं ।

1974-75 के बजट में 12.50 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गयी है और तब तक 10 प्रतिशत कार्य के पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है । यह काम सम्भवत: 1979 के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा ।

वर्ष-वार कितनी रकम खर्च की जायेगी और कितना काम पूरा किया जायेगा इसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)	समग्र प्रगति का प्रतिशत
1975–76 . . .	22.00	30%
1976–77 . . .	27.00	48%
1977–78	34.00	70%
1978–79	30.00	85%
1979–80	9.00	100%

खर्च की बकाया रकम 1979–80 के बाद चलस्टाक और सिगनल-व्यवस्था पर खर्च किये जाने की आशा है ।

लेकिन इस कार्यक्रम में भविष्य में सम्भावित नयी परिस्थितियों के अनुसार वर्षानुवर्ष परिवर्तन हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में निर्वाचन कार्य पर नियुक्त किये गये एक जूनियर अध्यापक की हत्या

6064. **श्री लम्बोदर बलियार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) में निर्वाचन कार्य पर नियुक्त जूनियर हाई स्कूल के एक अध्यापक की ड्यूटी से वापस आते समय हत्या कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का सारांश क्या है ; और

(ग) क्या उस अध्यापक के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) प्रश्न में निर्दिष्ट अध्यापक की हत्या 26 फरवरी, 74 को की गई थी, जब वह मत-पेटियां और कागजात जमा करने के पश्चात् अपने गांव वापस जा रहा था ।

(ग) जी नहीं ।

उद्योगों में विद्युत् जनित्र लगाना

6065. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की कमी को देखते हुए उद्योगों को अपने स्वयं के जनित्र लगाने की अनुमति दी जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उद्योगों को अपने जनित्रों को स्थापित करने के लिए अनुमति देने की कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है । बहरहाल, विशिष्ट मामलों में, जहां विद्युत जनन तथा औद्योगिक प्रक्रम के लिए संयुक्त रूप से वाष्प का प्रयोग करके अथवा उपोत्पादन इंधन अथवा उष्मा का प्रयोग करके कुल ऊर्जा धारणा को अपनाने से काफी किफायत संभव है, उद्योगों को इजाजत दी जा रही है कि वे अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित कर ले ।

नई दिल्ली और समस्तीपुर के बीच चलाई गई नयी गाड़ी का समय

6066. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और समस्तीपुर के बीच हाल ही में नई गाड़ी चलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्टेशनों पर इसके आने और छूटने का समय क्या है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस गाड़ी को गोहाटी/डिब्रूगढ़ तक बढाने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । 1-11-1973 से सप्ताह में दो बार चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस चलायी गयी है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं । चूंकि गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ मीटर लाइन पर पड़ते हैं इसलिए (क) में उल्लिखित बड़ी लाइन की गाड़ी का प्रस्तावित विस्तार व्यावहारिक नहीं है ।

विवरण

154 डाउन				153 अप
19.25	छू०	नयी दिल्ली	प०	11.30
22.20	प०	टूण्डला	छू०	7.36
22.30	छू०	टूण्डला	प०	7.26
1.40	प०	कानपुर सेन्ट्रल	छू०	4.30
1.55	छू०	कानपुर सेन्ट्रल	प०	4.15
4.48	प०	इलाहाबाद	छू०	1.25
4.58	छू०	इलाहाबाद	प०	1.15
7.30	प०	मुगलसराय	छू०	23.10
7.50	छू०	मुगलसराय	प०	22.55
10.34	प०	दानापुर	छू०	19.36
10.54	छू०	दानापुर	प०	19.26
11.05	प०	पटना	छू०	19.16
11.15	छू०	पटना	प०	19.06
13.40	प०	बरौनी	छू०	17.15
14.10	छू०	बरौनी	प०	16.55
15.05	प०	समस्तीपुर	छू०	16.00

गाड़ियों के चलने के दिन—

रविवार और बुधवार को नयी दिल्ली से ।

मंगलवार और शनिवार को समस्तीपुर से ।

Proposed over-bridges to be constructed in Bihar during 1974-75

6067. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of new over-bridges proposed to be constructed by Government in Bihar during the financial year 1974-75;

(b) the number of over-bridges for the construction of which proposals have been submitted to the Central Government by the State Government of Bihar; and

(c) the amount of expenditure proposed to be incurred by the Central Government on the construction of new bridges and over-bridges in that State during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) One new work of road over-bridge in place of existing level crossing in Bihar State has been included in the 1974-75 Budget. Further, four works of road over-bridges in place of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1974-75 Budget.

In addition to the works mentioned above, there are 15 more proposals from the State Government for construction of road over under bridges. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

Railway's share of expenditure on construction of road over-bridges in Bihar State during 1974-75 is expected to be Rs. 5 lakhs.

In addition, there are proposals for 15 works of road over/under bridges to be constructed by the Railways as 'deposit' works at the cost of the State Government/Road Authority. Three such works are in progress and other 12 are in various stages of investigations and planning.

Irrigation and Power Projects in Karnataka

6068. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of the various irrigation and power projects being run by Central Government in Karnataka at present;

(b) the number of irrigation and power projects for Karnataka under consideration of Government at present;

(c) the total amount of financial assistance given by the Central Government to the State Government during the last two years as against the amount sought by the State Government; and

(d) the total amount of financial assistance proposed to be given to the State Government during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Irrigation being a State subject, no irrigation or power project is being run by the Central Government in Karnataka.

(b) Forty-three new irrigation and four new power generation schemes received so far from the Government of Karnataka are under consideration of the Government of India.

4—12 L.S.S. (ND 74

(c) and (d) Central assistance is given in the form of block loans and grants to the State Plan as a whole and is not related to any individual sector of development or project. The distribution of Central assistance amongst various States is done by the Planning Commission on the basis of the formula laid down by the National Development Council. The Central assistance to the developmental plans of Karnataka was Rs. 36.28 crores for 1972-73 and 35.46 crores for 1973-74 and is proposed to be Rs. 35.46 crores for 1974-75.

Drinking water facilities at Railway Platforms on North Eastern Railway

6069. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of platforms on the North Eastern Railway at present where drinking water facilities have not been provided; and

(b) the future scheme of Government to provide drinking water on all platforms there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Drinking water supply arrangements exist at all passenger platforms on North Eastern Railway.

(b) Does not arise.

Departmental enquiries against employees on North-Eastern Railway

6070. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway employees against whom departmental enquiry was made on charge of pilferage of railway property on the North-Eastern Railway, during the last two years;

(b) the number of employees against whom departmental enquiry is in progress at present; and

(c) the number of employees against whom enquiry has been made through the Central Bureau of Investigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Sixteen.

(b) Ten.

(c) Nil.

डीजल का राशन करने का प्रस्ताव

6071. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल का राशन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस बारे में कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) जी, नहीं। कृषि संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के समग्र हित में राज्य सरकारों को सप्लाइयों पर आवश्यक सीमा तक नियंत्रण रखने के लिये सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Gwalior-Shivpuri Railway Line as Economic Line

6072. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the steps being taken by Government to make uneconomic Gwalior-Shivpuri narrow gauge Railway line on the Central Railway as economic Railway line?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The following steps have been taken to reduce the losses on the uneconomic Gwalior-Shivpuri section of the Central Railway :—

(a) staff have been curtailed to the bare minimum.

(b) stations on the section are closed down at night.

(c) other expenses like expenditure on maintenance, staff etc., has been cut down to the minimum.

(d) close watch is kept on the general working of the line.

Wagons for transportation of raw cement stone factory near Kailaras Railway Station (Central Railway)

6073. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Manager of the Cement Factory, Bamor situated between Bemor Cement and Kailaras Railway station at Gwalior-Sheopur Kalan narrow gauge line in Gwalior area on the Central Railway has requested the Railway authorities to provide more wagons for transporting raw cement stone;

(b) whether more traffic carriage capacity is required on this Railway line for transporting sugarcane for new sugar factory in Kailaras; and

(c) the scheme being formulated by the Railway Administration to augment traffic carriage capacity of this narrow gauge line in order to meet the aforesaid demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Manufacturing of narrow gauge locomotives

6074. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of narrow gauge line locomotives manufactured in the country every year and the number of those imported from foreign countries every year; and

(b) the steps taken to meet the requirement of these locomotives by manufacturing them in the country itself?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) While capacity available with the Railways Production Units has not been ear-marked specifically for the manufacture of N.G. locomotives, 10 N.G. diesel hydraulic locomotives were manufactured by CLW during the IVth Plan period i.e. in the year 1970-71.

At present the outstanding orders for manufacture are for 20 High Horse Power and 10 Low Horse Power Narrow Gauge Diesel locomotives for use on selected Narrow Gauge lines in the country. These are proposed to be manufactured by Chittaranjan Locomotive Works during the Vth Plan. The last occasion when 25 Narrow Gauge diesel hydraulic locos were imported from West Germany was in 1964.

(b) Since then, no NG locomotives have been imported as Railways have developed capacity and know how for manufacture of NG locomotives in their own Production Units. A review is in hand to assess the further requirements on additional and replacement accounts.

Construction of another platform at Gwalior Station

6075. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the steps proposed to be taken by Government to construct another platform at Gwalior station on the Central Railway in order to remove the present difficulties experienced at the platform in connection with the arrival and departure of the narrow gauge train?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): There is no proposal at present for the construction of another platform at Gwalior station for Narrow Gauge trains, as the present arrangements are not considered inconvenient.

Supply of water for irrigation in Madhya Pradesh

6076. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the acreage of land proposed to be irrigated in Bhind and Gwalior Districts in Madhya Pradesh as per agreement reached between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh State Governments indicating the quantum of water proposed to be supplied for the purpose; and

(b) the steps being taken to remove the difficulties being faced in the implementation of the said agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) According to an agreement reached between the representatives of Uttar Pradesh, erstwhile Vindhya Pradesh and Madhya Bharat Governments in 1953 an area of 28000 ha. in Madhya Bharat (areas of Gwalior and Bhind districts in present Madhya Pradesh) is to be irrigated from the Bhandear Canal system which is a part of the Matatila Project of Uttar Pradesh.

In November 1973, Madhya Pradesh complained of irregular releases by Uttar Pradesh to the Bhandar Canal for Rabi irrigation. Supply of 6.5 TMC of water to Madhya Pradesh for the Bhandar Canal for Rabi 1973-74 has been agreed to on an *ad hoc* basis, pending final allocation as a result of joint calculations to be made by both the State Governments.

Broad gauge line from Rajhara to Bailadila

6077. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to lay broad gauge railway line from Rajhara to Bailadila;

(b) if so, the time by which the work will be started thereon; and

(c) the estimated expenditure to be incurred on this work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) A final Location Engineering Survey for Dhalli Rajhara-Jagdalpur (near Bailadila) line has been sanctioned and the survey is in progress. The decision regarding construction of this line and also the expenditure to be incurred thereon will be taken after the survey is completed and the results become known.

त्रिवेन्द्रम--क्विलौन सैक्शन पर अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

6078. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण रेलवे का त्रिवेंद्रम-क्विलौन सैक्शन इस क्षेत्र का सबसे अधिक भीड़-भरा सैक्शन है और यातायात की गहनता के कारण विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियां रुकी खड़ी रहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिये वहां तीन या चार अतिरिक्त क्रासिंग-स्टेशन बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस समय इस खण्ड पर निर्धारित क्षमता की 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है ।

एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम परियोजना के भाग के रूप में इस खण्ड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पहले से ही किया जा रहा है जिसके पूरा हो जाने पर इस खण्ड पर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो जायेगी ।

थुम्बा राकैट स्टेशन द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार उनकी लागत पर एक निक्षेप कार्य के रूप में थुम्बा में एक नया पार स्टेशन खोलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

यातायात की जरूरतों को देखते हुए इस समय और पार स्टेशन बनाने का औचित्य नहीं है ।

दक्षिण रेलवे के आलवक्कोट सेक्शन में रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

6079. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट सेक्शन में रेलवे लाईन को दोहरा बनाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान अलग से राशि आवंटित किये जाने के बावजूद रेलवे बोर्ड द्वारा इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति न दी गई और यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं और कार्य को शीघ्र शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) शोरवन्नूर-आलवा खण्ड में 18 कि० मी० की लम्बाई में कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है और आशा है कि दिसम्बर, 1974 तक यह काम पूरा हो जायेगा। शोरवन्नूर-आलवा खंड के शेष भाग और आलवक्कोट-शोरवन्नूर खंड में दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में यातायात की सम्भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

Forced closing of Ammonia Plants based on Electrolysis of water due to Power shortage

6080. Shri Vayalar Ravi: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of Ammonia plants based on Electrolysis of water which have been forced to close down during the last one year due to power shortage in different parts of the country and the facts of each case;

(b) whether Government are aware that there is large scope for setting up such a plant in Kerala where abundant supply of water and electricity is available and on the demand side 50,000 tonnes of ammonia per year is being imported for the Cochin Fertilizer Plant; and

(c) if so, whether Government have examined the possibility of shifting one of these closed down units to Kerala or setting up a new unit in that State on the basis of electrolysis of water; and if so, the results thereof; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No fertilizer plant based on electrolysis of water had to close down during 1973-74 due to power shortage, though the Nangal unit had to curtail production due to the power constraints in the region.

(b) and (c) The development of fertilizer capacity is decided mainly on techno-economic considerations. In the context of the growing pressure on power, it would not, presently, be economical or feasible to base plants for ammonia production by the electrolytic process.

Per capita availability and consumption of power in M.P.

6081. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the latest position regarding the per capita availability and consumption of power on various districts of the Sampurana Mahakaushal area (M.P.) and how it compares with that of the rest of Madhya Pradesh and other parts of the country; and

(b) the steps being taken to bring Sampurana Mahakaushal area, particularly Hoshangabad and East Nimar districts at par with the rest of Madhya Pradesh and other parts of the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The per capita consumption of power in the various districts of the Sampurana Mahakaushal area during 1972-73 based on the 1971 census is as under:

District	Per Capita consumption (in kWh.)
Raipur	34
Bastar	12
Bilaspur	36
Raigarh	18
Durg	290
Sarguja	38
Jabalpur	130
Narsinghpur	18
Mandla	4
Damoh	8
Sagar	32
Chhindwara	47
Balaghat	11
Seoni	8
Hoshangabad	47
Betul	22
East Nimar	158

The per capita consumption of power in the rest of Madhya Pradesh was 39 kWh and the all India average was 96.6 kWh.

The per capita availability of power (energy) depends on generating capacity plus possible import over inter-connections and cannot be given districtwise. Per capita availability of energy in Madhya Pradesh was 79 kWh in 1972-73.

(b) In consonance with the policy of the Government to remove disparities between different States and even in different areas within the same State, electrification schemes are being undertaken in different districts so as to bring about more rapid development of the relatively backward districts. Similarly, the planning for power and industries, etc. has the removal of disparities between States as one of the objectives.

Power generation projects aggregating to 940 MW are envisaged for installation during the Fifth Five Year Plan in Madhya Pradesh.

Funds asked for by M.P. Power shortage

6082. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted any memorandum to the Centre asking for funds to meet the anticipated shortage of power in the State;

(b) if so, the main points made therein; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Cases of Corruption in the Health Department of Central Railway

6083. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of cases of corruption in the Health Department of the Central Railway brought to the notice of Government during the last three years; and

(b) the action taken thereon and the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Complaints in 19 cases of alleged corruption had been received.

(b) In 5 cases the complaints were found pseudonymous and hence not investigated. One case was dropped. In 6 cases the allegations could not be substantiated. 3 cases are still under investigation while in other 3 cases investigations have been completed and the cases are being finalised. In one case disciplinary action against the charged employees, is in progress.

Target for rural electrification in M.P. in Fourth Plan

6084. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the target of rural electrification programme of Madhya Pradesh, as envisaged in the Fourth Plan, would be achieved; and

(b) if not the extent to which it would remain to be achieved?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) During the Fourth Plan a target had been fixed only for energisation of pumpsets. The target for Madhya Pradesh was 50,000 pumpsets. Upto 28-2-74, 111548 pumpsets had been energised. Thus the target has far exceeded.

The electrification of villages is incidental to energisation of pumpsets. During the Fourth Plan upto 28-2-1974 the State Government has electrified 7705 villages.

Goods traffic on Khandwa-Ajmer Railway line

6085. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Khandwa-Ajmer railway line is ready for goods traffic as per target fixed therefor; and

(b) if not the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Khandwa-Ajmer railway line is open to goods traffic since long. The present offering of goods traffic on this Section is being cleared by and large. There are occasional delays in supply of wagons because of various extraneous factors like shortage of loco coal, staff agitations etc. However, additional facilities have been planned to cater for the anticipated requirements of traffic because of expansion of cement factories at Chanderia and Khemli, commissioning of a new cement factory at Nimbahera and increased rockphosphate movement. Works are in progress for re-modelling the yards, provision of crossing stations, loop lines etc.

Proposal to Cancel licences of vendors who sublet their stalls on Bikaner and Jodhpur Divisions

6086. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to cancel the licences of some of the vendors in Bikaner and Jodhpur divisions of Northern Railway who have sublet their rehries-khomchas, tea stalls, puri-sweet-dal-roti stalls to other persons and are charging Rs. 200 to 300 per month from them but show them as their servants;

(b) whether Government have received any memorandum from the persons actually running these stalls as servants requesting that they may be given vending licences; and

(c) if so, the action being taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Subleting of contracts is prohibited under the Rules and hence in all the cases where such subleting is established, the contract is terminated. The Government have received a Memorandum from Bikaner Division and the same is under investigation. No such memorandum has been received from Jodhpur Division.

Damage to Rabi crop due to breach in canal in Dallupura village (Delhi-51)

6087. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that on account of breach of culvert of canal caused by excessive pressure of water in Dallupura village (Delhi-51) in 1972 rabi crop had been submerged in water and consequently perished;

(b) whether Government did not pay any compensation to the persons affected thereby;

(c) whether canal irrigation tax has been recovered from these persons for the said crop; and

(d) whether Government propose to exempt the residents of the said village from the payment of the irrigation tax?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The State Government have reported that some people removed the gates of the inlet of the Hindan Canal in an unauthorised manner with a view to irrigating rabi crops in Dallupura village which lies on the right bank of the Canal. As a result, water from the Canal rushed through the inlet and got out of control of the people who had opened the gates. Thus, instead of the expected benefits from the canal water, the rabi crops of the people concerned got damaged due to overwatering and submergence.

(b) The question of payment of compensation to any person did not arise because the damage was caused due to an unauthorised action on the part of the cultivators.

(c) The Dallupura village does not lie in the command area of the canal and as such the question of recovering canal irrigation tax from the cultivators of the village does not arise.

(d) Does not arise.

Meeting of Power Engineers' Federation held at Jabalpur (M.P.) on Power Generation

6088. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the suggestions made to Government by the All India Power Engineers' Federation in a meeting held recently at Jabalpur (Madhya Pradesh) for improving power generation;

(b) whether this federation has also pointed out to Government that fall in power generation is the consequence of faulty national policy in regard to planning for power; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) A resolution on the Power situation in the country was passed at a meeting of the Federal Council of the All India Power Engineers' Federation held recently at Jabalpur. However, this has not been formally communicated to the Government of India. Any suggestions made for improving power generation would be taken into account while restructuring the power supply industry.

पटना जंक्शन के विश्रामालयों में स्थान का अभाव

6089. **श्री योगेश चन्द्र मुरमू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के विश्रामालयों में स्थान का इतना अभाव है कि वहां अति विशिष्ट व्यक्तियों तक को स्थान देने से इनकार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने कमरे हैं तथा क्या वहां और अधिक कमरों का निर्माण करने तथा विस्तार करने की काफी गुंजाइश है ;

(ग) क्या विश्रामालयों का रख-रखाव इतना अधिक खराब है कि वहां फटी हुई चादरें दी जाती हैं तथा शौचालय गन्दे रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए तथा कालिंग बैल और कमरों में रहने वाले व्यक्तियों के नामों को दर्शाने वाला चार्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पटना जंक्शन स्टेशन पर सात विश्रामालय (तीन, तीन खाट वाले और चार, दो खाट वाले) और दस खाटों वाला एक डोरमेट्री है। विश्रामालय में स्थान की अतिरिक्त मांगों की पूर्ति के लिए दो-दो खाट वाले दो अतिरिक्त कमरों की स्वीकृति दी गयी है। अति विशिष्ट व्यक्तियों को विश्रामालय में स्थान न दिये जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) विश्रामालयों में मानक स्तर के, ठीक तरह धुले हुए और स्वच्छ काम लायक सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। नयी चादरें, पर्दे और चारपाई के समीप गलीचों की व्यवस्था कर दी गयी है और विश्रामालयों में बुलाने की घंटी तथा वहां रहने वालों के नाम सूचित करने वाला चार्ट भी उपलब्ध किया गया है। प्रसाधन स्थलों की नियमित रूप से सफाई भी की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच की जाती है कि वे स्वच्छ स्थिति में रखे जाते हैं। विश्रामालयों और उनमें रहने वालों की देखभाल के लिए एक प्रभारी और दो परिचरों की व्यवस्था की गयी है। प्रायः रोज़ निरीक्षण किया जाता है और यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, कलकत्ता का आन्तरिक कार्यकरण

6090. **श्री झारखंडे राय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, कलकत्ता के आन्तरिक कार्यकरण के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, कलकत्ता और रायल एक्सचेंज, दि सेन्ट्रल कमर्शियल रिप्रेजेनटेशन फंड, दि वैस्ट बंगाल कमर्शियल रिप्रेजेनटेशन फंड, दि कलकत्ता लाइसेंसड् मेजरर्स तथा कुछ अन्य संस्थाओं के बीच संबंधों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Recommendations of Bureau of Industrial Costs and Prices on prices of Drugs

6091. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the broad recommendations of the Industrial Costs and Price Bureau appointed for determining criteria for fixing retail prices of drugs and medicines;

(b) the reaction of Government thereto and the action being taken on each of the recommendations;

(c) the expenditure incurred on this Bureau; and

(d) the total number of recommendations made by the Bureau and the number of those accepted by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a), (b) and (d) The Report of the Working Group set up under the chairmanship of Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices is under consideration of Government, and a decision is likely to be taken soon. It will not be in the public interest to disclose the recommendations made by the Working Group until a decision thereon is taken by Government.

(c) The Bureau of Industrial Costs and Prices is a Governmental Organisation having a regular Establishment. The Bureau is entrusted with various studies relating to cost investigations by the different Ministries/Departments of Government of India, from time to time, and no separate accounts are maintained by them for expenditure incurred on specific studies referred to them. However, the Budget Grants for the year 1970-71, 1971-72 and 1972-73 in respect of the Bureau as a whole were as under:

1970–71	Rs. 6.96 Lakhs
1971–72	Rs. 12.71 Lakhs
1972–73	Rs. 13.97 Lakhs

भेषज उद्योग पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव

6092. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल, पैक करने के सामान, सेवाओं और उपयोगिता की भारी कमी तथा अत्यधिक मूल्यों तथा क्षमता और उत्पादन के विस्तार पर नीतिगत प्रतिबन्धों का पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भेषज उद्योग के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की सम्भावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तेल संकट ने कच्चे माल की विषम स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया है तथा कमी पहले से ही दिखाई दे रही थी और उद्योग ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) तेल के संकट के कारण विश्व बाजार में कच्चे माल की उपलब्धि तथा मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। औषध उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल, दोनों देशज एवं आयातित तथा पकिंग सामग्री की उपलब्धि पर निगरानी रखी जा रही है और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर पुनरीक्षण भी किया जाता है। जहां कहीं बताया गया है, क्या संभव सीमा तक सुधार करने संबंधी उपायें अपनाये जाते हैं। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत औषध एवं भेषज यूनिट उत्पादन संबंधी लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण औषधों के मूल्य बढ़ाये जाने के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों पर वी०आई०सी०पी० द्वारा विचार किया जाता है। कमियों एवं कच्चे माल की ऊंची लागतों के कारण पांचवीं योजना अवधि के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव पर निगरानी रखी जायेगी।

कच्चे माल के अभाव में केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड का बन्द होना

6093. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चे माल के अभाव में केमिकल्स एण्ड फाइबर्स लिमिटेड आफ इन्डिया लगभग बन्द हो गया है और 900 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस को निर्यात के बदले में कच्चा माल आयात करने की अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना के लिये लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लि० ने कच्चे माल के अभाव में अपना पोलियस्टर फाइबर यूनिट बन्द कर दिया है। तयापि किसी कर्मचारी की अब तक न तो छंटनी की गई है न ही किसी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है।

(ख) और (ग) पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर वाले कपड़ों और सूत्रों का निर्यात करने के लिये डी० एम० टी० का आयात करने की अनुमति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में सुपर तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना

6094. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर तापीय विद्-युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजनावधि के दौरान फरक्का में 47 करोड़ रुपये की लागत पर एक केन्द्रीय ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक यूनिट के 1978-79 के दौरान चालू करने की संभावना है। छठी योजना के दौरान यह केन्द्र बड़े आकार का बन सकता है।

रसायनों की सप्लाई के लिये निर्माताओं द्वारा विदेशियों के साथ सौदे

6095. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रसायन निर्माताओं ने क्रेताओं द्वारा ऊंचे मूल्य देने की पेशकश की दृष्टि से विभिन्न मदों जैसे ब्यूटनाल, ब्यूटिल, एसिटेट तेजाब तथा ईथाइल एसिटेट की सप्लाई के लिये विदेशियों के साथ सौदे किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में इस संबंध में हुई विदेशी मुद्रा की आय की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली से पंजाब में बिजली भेजने के लिये पंजाब राज्य से अनुरोध

6096. श्री राम सहाय पांडे :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य के उत्पादक एककों को बिजली के संकट से बचाने के लिए दिल्ली से पंजाब में कुछ बिजली भेजने की व्यवस्था करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । पंजाब सरकार ने मार्च, 1974 में पंजाब में सिंचाई पम्पों की आवधित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है । पंजाब के लिए 1 जी० डब्ल्यू० एच०/दिन की सीमा तक तत्काल राहत की व्यवस्था की गई थी । बदरपुर के केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्र से 0.2 जी० डब्ल्यू० एच०/दिन विद्युत दिए जाने की व्यवस्था की गई थी और भाखड़ा से नंगल उर्वरक कारखाने को विद्युत की सप्लाई में कमी करके 0.79 जी० डब्ल्यू० एच०/दिन विद्युत दिए जाने की व्यवस्था की गई थी ।

पश्चिम रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों का इन्टरव्यू

6097. श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से मार्च, 1974 के बीच पश्चिम रेलवे प्रशासन ने कुछ वाणिज्यिक लिपिकों का इन्टरव्यू लिया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी इन्टरव्यू के लिए बुलाये गए थे और वास्तव में कुल कितने व्यक्तियों का इन्टरव्यू लिया गया और किन-किन पदों तथा कितने रिक्त स्थानों के लिए इन्टरव्यू लिया गया था ;

(ग) क्या उक्त इन्टरव्यू का परिणाम घोषित कर दिया गया है ; और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और अब इसके कब तक घोषित किए जाने की आशा है ; और

(घ) श्रम दिवसों की हुई हानि तथा इन्टरव्यू के लिए बुलाये गए प्रत्याशियों को दिये गए यात्रा तथा मंहगाई भत्ते के रूप में इस इन्टरव्यू पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ईंधनों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने के बारे में यात्रा एजेंटों की मांग

6098. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा एजेंटों ने सरकार से अनुरोध किया है कि पर्यटन के विकास के लिये ईंधनों पर से उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अगले वर्ष में भू-तापीय बिजली की खोज तथा विकास

6099. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष में भू-तापीय बिजली की खोज तथा विकास का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भू-तापीय विद्युत के अनुसंधान और विकास के लिए एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव है । इसमें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिकी संबंधी अध्ययन करने की परिकल्पना की गई है, इनमें से कुछ 1973-74 में किये जा चुके हैं और शेष 1974-75 में पूरे कर लिये जाएंगे । दो क्षेत्रों नामशः हिमाचल प्रदेश में मणिकरण ऊष्ण जल स्रोत क्षेत्र और महाराष्ट्र में पश्चिमी समुद्र तट पर ऊष्ण जल स्रोत क्षेत्र के और विस्तृत अध्ययन भी किये जाएंगे । क्षेत्र को भूतापीय शक्यता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन छिद्रण कार्य किया जाएगा और यदि अनुसंधान सफल हो गये तो भूतापीय विद्युत परियोजनाएं शुरू कर दी जाएंगी ।

1974-75 में लद्दाख में पुगा घाटी की भूतापीय शक्यता का निश्चय करने के लिए अनुसंधान करने का भी प्रस्ताव है ।

झरिया कोयला क्षेत्रों में जमा हुये कोयले को उपभोक्ता केन्द्रों में पहुंचाने के लिये रेलवे अधिकारियों का प्रयास

6100. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री के० मालन्ना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोयले को उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने में रेलवे की असफलता के कारण झरिया कोयला-क्षेत्रों में कोयले के भण्डार जमा हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जमा हुए कोयले को ले जाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विशेष कर पूर्वी क्षेत्र में कर्मचारियों और जनता द्वारा बार-बार किये गये आन्दोलनों के कारण, बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में रेल परिवहन और माल डिब्बों की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इस्पात कारखाने के लिए कोकिंग कोयले की मांग साथ-के-साथ पूरी की जाती रही है लेकिन , कर्मचारियों के हाल के आन्दोलनों के कारण झरिया कोयला क्षेत्रों से नान-कोकिंग कोयले की ढुलाई में बाधा पड़ी।

(ख) यदि कार्य की सामान्य स्थिति बनी रही तो झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान को अपेक्षित स्तर पर बनाये रखा जा सकता है।

Overtime bills pending with Divisional Accounts Officer, Kota (Western Railway)

6101. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of overtime bills from May, 1973 to December, 1973 pending with the Divisional Accounts Officer in Kota Western Railway Office;

(b) whether the Head Office has accorded sanction in respect of those 5 employees—M.S. clerks who worked with the Station Master; and

(c) if so, the reasons for not making the payments?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No overtime bills are pending with the Divisional Accounts Officer, Kota.

(b) Yes.

(c) The payment has since been arranged on 19-3-1974.

भारतीय रेलवे में जलपान संबंधी ठेकों को समाप्त करने संबंधी निर्णय

6102. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे में छ: वर्ष की अवधि के लिये जलपान संबंधी ठेकों का आबंटन करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या उक्त निर्णय के अनुसरण में भारतीय रेलवे में जलपान-ठेकेदारोंको उनके ठेके समाप्त करने के लिए दो महीने का नोटिस दिया गया था और उक्त नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक आगे कार्यवाही क्यों नहीं की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) ठेकेदारों के साथ रेलों द्वारा किये गये करार की शर्तों के अधीन इस नियम के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों में अपेक्षित यथोचित नोटिस दिया जाता है । हर रेलवे पर नोटिस की अवधि अलग-अलग होती है । सभी मामलों में जहाँ नोटिस दिये गये हैं, रेलें आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने तथा मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए पहले से ही कार्रवाई कर रही हैं ।

Changes in Railway Timings

6103. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the procedure followed for informing the public about the changes in the Railway timings; and

(b) whether the timings of the Jodhpur Mail bound for Delhi have been changed recently and if so, how the public was informed about these changes?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Normally public is informed about mid-term changes in the train timings through Press Notices published in important newspapers where time permits and through Station Notice Boards. In case changes in timings are necessitated due to any unforeseen circumstances at short notice such changes are notified through station Notice Boards and All India Radio where feasible.

(b) The changes in the timings of 94 Dn. Jodhpur Mail made recently could not be notified through Press for want of time and were, therefore, notified through notices on the Station Notice Boards and also through the Jodhpur Station of All India Radio.

बिहार राज्य में नई रेलवे लाइनें

6104. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य की जिन नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण 1972-73 में होना था, वह वर्ष 1973-74 के अन्त तक भी नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) झंझारपुर-लोकहा बाजार और हसनपुर-सकरी मीटर आमान की नयी रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण का काम 1972-73 मे शुरू किया गया था । झंझारपुर-लोकहा बाजार नयी लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । हसनपुर-सकरी लाइन के सर्वेक्षण का काम अभी चालू है । फिर भी इन लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव 1974-75 के बजट में शामिल कर लिए गये हैं और आशा है कि ये काम इस वर्ष के दौरान शुरू कर दिये जायेंगे । सरायगढ़-प्रतापगंज और प्रतापगंज-फारबिसगंज खण्डों के पुनःस्थापन के कामों को जिनका सर्वेक्षण 1973 में किया गया था, क्रमशः मई और अक्तूबर, 1973 में मंजूरी दी गयी थी और इस समय ये काम चालू हैं ।

वर्ष 1973-74 में डीजल रेलवे इंजनों की उत्पादन में कमी

6105. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में डीजल रेलवे इंजनों का उत्पादन इसके पूर्व वर्ष की तुलना में कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में डीजल रेल इंजनों का उत्पादन जो 1972-73 में 95 था, 1973-74 में घटकर 87 हो गया है।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्यत: बारबार बिजली बंद हो जाने के कारण पारियों की निरन्तर भंग हो जाने और श्रमिक अशान्ति के कारण हुई।

लेकिन निधि के आवंटन के अनुरूप पांचवीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उपाय किये जा रहे हैं।

अस्थिर उत्पादन वाले उर्वरक संयंत्र

6106. श्री वयालार रवि :
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे उर्वरक संयंत्रों की संख्या कितनी है जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है किन्तु उनमें निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों और मशीन खराबियों के कारण उत्पादन में अभी तक स्थिरता नहीं आई;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन में स्थिरता न आने के कारण देश को कितने उत्पादन की हानि हुई है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने के उत्पादन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तीन अर्थात् दुर्गापुर, कोचीन एवं गोआ।

(ख) और (ग) कुछ आधुनिक एवं आयातित मदों के उपकरणों जैसे सुधार किये गये, गैस बायलर, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, बायलर फीड वाटर हीटर, कुछ पम्पों आदि में आकस्मिक खराबियों के कारण दुर्गापुर एवं कोचीन संयंत्र अभी पूर्णात: सफलतापूर्वक प्रारम्भ नहीं हुआ है यद्यपि विभिन्न भारों पर परीक्षण उत्पादन किया गया है। इन कमियों का क्रमबद्ध रूप में पता लगाया गया है तथा सुधारात्मक क्या किये जा रहे हैं। गोआ संयंत्र के कार्बन डाइआक्साइड बूस्टर कम्प्रैशर में कुछ आरम्भिक कमियां भी थीं तथा इन पर कुछ काबू पा लिया गया है तथा उत्पादन को स्थीर बनाया जा रहा है।

कार्यान्वियन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत क्षमता के उपयोग के आधार पर 1973-74 में दुर्गापुर एवं कोचीन संयंत्र प्रत्येक को लगभग 165,000 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन करना चाहिए। इस के विपरीत इन संयंत्रों ने क्रमश: 13,500 तथा 31,500 मीटरी टन का उत्पादन किया। युरिया के 34,000 मीटरी टन की स्थापित क्षमता के साथ गोआ द्वारा इस आधार पर 170,000 मी० टन का उत्पादन किया जाना चाहिए किन्तु युरिया का 140,000 मीटरी टन का वास्तविक उत्पादन हुआ।

हावड़ा-आमता रेलवे का पुर्ननिर्माण

6107. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा कुछ संसद् सदस्यों ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान हावड़ा-आमता रेलवे की ओर दिलाया है ;

5—12 L.S.S. (ND)/74

(ख) उन्होंने समय समय पर जो मांगें की हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा-आमता रेलवे का पुनर्निर्माण करने का विचार छोड़ दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मुख्य मांग यह है कि उस क्षेत्र में रेल सुविधाओं की व्यवस्था फिर की जाये ।

(ग) जिस क्षेत्र में भूतपूर्व हवड़ा-आमता रेलवे चलती थी उसमें बड़ी लाइन बनाने का अपना विचार पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं छोड़ा है ।

फरक्का बांध के निर्माण कार्य पर हुआ व्यय

6108. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरक्का बांध के निर्माण कार्य के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : फरक्का बराज परियोजन का स्वीकृत संशोधित प्राक्कलन 156.29 करोड़ रुपये है । परियोजना पर मार्च, 1974 तक लगभग 125.4 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ।

पश्चिम बंगाल के सुंदर बन क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण करने संबंधी निर्णय

6109. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में रेलवे लाइनों का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित लाइनों की मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इन रेल-लाइनों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सुन्दरबन क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी लाइनों के यातायात सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है :—

(i) कुलपी होकर लक्ष्मीकान्तापुर से काकद्वीप तक ।

(ii) केनिंग से गोलाबाड़ी ।

(iii) प्रताप आदित्य नगर होकर हसनाबाद से केनिंग तक ।

(iv) सोनारपुर/चम्पाहटी से धमकली तक ।

इन प्रस्तावित लाइनों के अतिरिक्त बज-बज से नामखाना तक डाइमंड हार्बर होकर बड़ी आमान लाइन के निर्माण के लिए यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

सर्वेक्षण कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही उपर्युक्त सभी प्रस्तावों पर निर्णय किया जा सकेगा ।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण

6110. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में नई रेलवे लाइनों के लिए किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया और जितनी बार सर्वेक्षण किया गया, उनका तारीख-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन सर्वेक्षण-प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण को क्रियान्वयन के लिए स्वीकार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अतीत में सुन्दरबन क्षेत्र में किसी लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। लेकिन सुन्दरबन क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी लाइनों के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है :

(1) कुल्पी के रास्ते लक्ष्मीकांतापुर से काकद्वीप तक

(2) कैनिंग से गोलाबाड़ी तक

(3) प्रतापादित्यनगर के रास्ते हसनाबाद से कैनिंग तक

(4) सोनारपुर/चम्पाहाटी से धमखाली तक

इन प्रस्तावित लाइनों के अलावा डायमंड हार्बर के रास्ते बज-बज से नामखाना तक एक बड़ी लाइन के लिए भी यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के बाद ही इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जा सकता है।

वर्ष 1973-74 के दौरान केरल में ग्रामों का विद्युतीकरण

6111. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान केरल के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ख) वर्ष 1974-75 के अन्त तक कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) केरल के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 30 ग्राम।

(ख) 100 ग्राम।

(ग) 1975-76 के अन्त तक।

केरल में सिंचाई सुविधायें

6112. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है; और

(ख) राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल में 1973–74 तक बृहत् मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों से निर्मित की जाने वाली सिंचाई शक्यता कुल फसली क्षेत्र का 23 प्रतिशत होने की संभावना है ।

(ख) 3.28 लाख हैक्टेयर की अंतिम सिंचाई शक्यता के साथ केरल में सात बृहत् सिंचाई स्कीमों का निर्माण किया जा रहा है । केरल के पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्य-क्रम में, इन परियोजनाओं के लिए अधिकतम संभव प्रावधान करने का प्रस्ताव है। आशा है कि इस में से 6 परियोजनाओं को पांचवी योजना के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान केरल के लिये बड़ी सिंचाई योजनायें

6113. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केरल राज्य में आरंभ की जाने वाली बडी तथा अन्य सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इन योजनाओं की रुपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1974–75 के लिए केरल की वार्षिक योजना की अभी अंतिम रुप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े एजेंसी गृहों की आय में वृद्धि

6114. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रेल, 1970 से मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति के बाद से सेवा करार करके अपने नियन्त्रणाधीन चाय कम्पनियों से विलियमसन मैगोर, डन्कन ब्रदर्स, शावा-लेस, डेवनपोर्ट, आक्टोवियस स्टील, मैविलयाड, वाल्मेर, लारी, जेम्स फिनले और मैकील वैरी जैसे बड़े एजेन्सी गृहों ने अपनी आय में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली को समाप्त करने से पहले चाय कम्पनियों से मैनिजिंग एजेन्सी कमीशन से उनकी कितनी आय थी और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके नियन्त्र-णाधीन चाय कम्पनियों के साथ हुए सेवा करारों के कमीशन से प्राप्त आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेवा करारों के नये रूप में मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली की जारी रखने के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) 1969–70 के मध्य कम्पनियों से प्रवन्ध अभिकरण कमीशन से आय की बाबत सूचनायें संग्रहीत की जा रही है, एवं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेंगी ।

(ग) सरकार ने इस प्रकार की प्रक्रियाओं को पहलें ही अभिग्रहण कर लिया है एवं इस छिद्र के समुन्द्रण के लिये, कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 के खंड 17 में आवश्यक उपबन्ध जोड़ दिये गये है। कथित विधेयक के खंड 17 की बाबत, "खंडों की टिप्पणियां" में, प्रस्तावित संशोधन के कारणों को स्पष्ट किया गया है ।

टोस्टा बांध परियोजना के बारे में पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव

6115. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री समर गुह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाढ़ पर नियंत्रण करने और उत्तरी बंगाल में सिंचाई सुविधाओं के साधन प्रदान करने के लिए समूचे मास्टर प्लान के भाग के रुप में अनुमानतः 70 करोड़ रुपये वाली टोस्टा बांध परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं। टोस्ता तथा इसके साथ-साथ अन्य शेष मामलों के जिनपर उनमें मतभेद थे, विस्तृत अध्ययन करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने अगस्त 1972 में बिहार पश्चिम बंगाल नदी अध्ययन दल का गठन किया था जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी शामिल थे। दल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1973 में पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत कर दी थी । अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रियों से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए भी अनुरोध किया है।

माल डिब्बों के संचालन में धीमी गति को दूर करके रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने संबंधी उपाय

6116. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी बहुत आसान प्रक्रिया को प्रयोग में लाकर रेलवे के माल डिब्बों के संचालन में धीमी गति को दूर करके रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार करने सम्बन्धी कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसे अपनाने से रेलवे के वर्तमान कार्यभार में कमी होगी और वर्तमान रेल प्रणाली पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बुक की गई वस्तुओं की वास्तविक तोल से कम दिखाना

6117. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **रेल** मंत्री दिल्ली स्टेशन से पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाने सम्बन्धी जांच के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित पार्सल क्लर्कों को आरोप-पत्र दिया गया है और उन्हें दिल्ली मेन स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन का विचार वर्ष 1970 और 1971 के दौरान पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली से हावड़ा के लिये बुक की गई ताजा सब्जियों की वास्तविक तोल से कम दिखाने के बारे में सतर्कता विभाग से जांच करवाने का है जिससे यह पता लग सके कि रेलवे को इससे कितनी आय की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । सभी आठ पार्सल क्लर्कों को आरोप-पत्र दिये गये है और उनके स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिये गये है। उनमें से छः आपने स्थानांतरण पर चले गये है ।

(ख) इस तरह की जांच करवाने की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे में तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध

6118. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** :
श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में लगातार तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों से निपटाने के लिये, जिनके कारण पिछले एक साल के दौराम रेल संचालन गम्भीर रूप से अस्त व्यस्त रहा, उनका विचार क्या लचीला और गैरपारस्परिक दृष्टिकोण अपनाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सभी कोटियों के कर्मचारियों की वैध मांगों पर विचार किया जाता है और एक लम्बे अर्से से संवैधानिक और प्रयोजन-पूर्ण ढंग से काम कर रही सामूहिक आदान-प्रदान व्यवस्था के विभिन्न स्तरों अर्थात् स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के माध्यम से उन मांगों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, गैर मान्यताप्राप्त संगठनों सहित कहीं से भी प्राप्त होने वाले अध्या-वेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । जब अपनी शिकायतों को पेश करने और उन्हें दूर करवाने की इतनी गुंजाइश मौजूद हो, तब अवैध हड़ताल और 'नियमानुसार काम', 'संरक्षापरककाम' जैसे आंदोलनों के अचानक प्रस्फुटित होने के लिए वास्तव में कोई स्थान नहीं होना चाहिए ।

2. इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय रेलों पर श्रमिक सम्बन्ध एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के तत्वावधान में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ कई विशेष बैठकें बुलाई गयीं जो लाभदायक सिद्ध हुई हैं। केवल इतना ही नहीं, परम्परा से हटकर 4 फरवरी, 1974 को श्रमिक संबधों,

पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और श्रमिक समस्याओं में रुचि रखने वाले कुछ संसद् सदस्यों, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के कुछ नेताओं और दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था । इस सम्मेलन में एक उद्योग में एक यूनियन की नीति सिद्धान्त रूप से मान ली गयी है ।

3. भारत रक्षा नियम, 1971 का उपयोग करते हुए 25-11-73 को जारी किये गये आदेशों के अधीन रेलवे में 26-11-73 के छः महीने की अवधि के लिये हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गयी है । इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है ।

4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लघंन कर के अवैध हड़ताल करने वाले रेल कर्मचारियों को दण्ड दिया जा सकता है ।

5. हड़तालों और आंदोलनों का भड़कानेवाले तत्वों को निरुत्साहित करने के लिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू करने का विनिश्चय किया गया है ।

6. अनुशासन हीनता के सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

7. शिकायत निवारण व्यवस्था और कार्यान्वियन कक्ष में कर्मचारियों की संख्या उपयुक्त रूप से बढ़ायी जा रही है ।

8. यह भी विनिश्चय किया गया है कि निष्ठावान कर्मचारियों की सेवा को मान्यता दी जाये । अद्वितीय सेवा के लिए उनका सेवा काल बढ़ाया जाये, उन्हें पुरस्कार दिये जाए, अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाये निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को नौकरी देने में भी प्रशासनिक नियमों के भीतर तरजीह दी जायेगी ।

ईंधन मितव्ययता के लिये पेट्रोल में मैथेनाल का मिलाया जाना

6119. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, लकड़ी और घरेलू कूड़े-करकट से मैथेनाल बनाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल में मैथेनाल मिलाकर पेट्रोल को अधिक शक्तिशाली बनाने की किसी प्रक्रिया की सरकार ने खोज की है; और

(ग) क्या परिक्षणों से यह पता चला है कि इससे इंधन के खर्च में मितव्ययता हो सकती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाझ खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैथनोल की सप्लाई कम होने एवं ऊंचे मूल्यों के कारण अभी तक मैथनोल का पैट्रोलियम के साथ मिश्रण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये है ।

वर्ष 1973 के दौरान पूर्वी रेलवे में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि

6120. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1973 में डकैती, लूटपाट और चोरी की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़ें क्या है और उनसे निपटने के लिए क्या नये उपाय किये गये है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) (1) वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1973 के दौरान पूर्व रेलवे पर जहां लूट-पाट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है वहां यात्री सम्पत्ति की चोरियों के मामले में काफी कमी हुई है जैसा कि नीचे के आंकडों में दिखाया गया है :—

	1971	1973
लूटपाट . .	27	61
डकैती . .	28	37
यात्री संपत्ति की चोरियां . . .	1241	663

(2) पूर्व रेलवे पर ऐसे अपराधों की घटनाओं की रोकथाम के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे नीचे लिखे हैं —

(i) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात के समय सवारी गाड़ियों पर यथा संभव सशस्त्र/बिना अस्त्र के पुलिस मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाती है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार समय-समय पर आरक्षियों की संख्या में भी परिवर्तन किया जाता है। बिहार में मार्ग रक्षकों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा विशेष दल के दो प्लाटून सरकारी रेलवे पुलिस के सहायतार्थ रखी गयी है ।

(ii) खोजी गश्त की एक प्रणाली चालू की गयी है। ऐसी घटनाओं का पता लगाने और मौके पर अपराधियों को पकड़ने के लिए सशस्त्र खुफिया पुलिस के दस्ते सादी पोशाक में यात्री गाड़ियों में यात्रा करते हैं ।

आसूचना का काम तेज किया गया है और ऐसे अपराध-कर्मों में अंतर्ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों को आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में रखा जाता है ।

(iii) यार्डों और स्टेशन प्लेटफार्मों पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को रेल सम्पति की रक्षा करने, बुलाये जाने पर अपराध के ऐसे स्थलों पर तेजी से जाने और पीड़ितों को सभी संभव मदद करने के लिए कड़ी हिदायतें जारी की गयी है ।

(iv) गाडियों और रेल परिसरों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल में अपराध की घटनाओं में बढ़ती से चिंतित होकर रेल मंत्री ने नवम्बर, 72 में इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजा था और खासतौर से अति प्रभावित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गाड़ियों पर सशस्त्र रक्षकों के व्यवस्था करने का अनुरोध किया था । रेल मंत्री ने इस संबंध में 21-3-73 को कुछ राज्यों के गृह मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई ताकि यात्री जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके ।

वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक तथा मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को ज्ञापन

6121. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के 18 वाणिज्यिक लिपिकों ने क्लेम्स ट्रेसर्च ए० सी० एम० आईज के पद के लिए 1967–68 में हुए अनियमित चयन के संबंध में 21 मार्च, 1974 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक तथा मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को एक संयुक्त आध्यादेश भेजा है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 15 वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा हस्ताक्षरित 20-3-74 का एक संयुक्त अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) अभ्यावेदकों ने शिकायत की है कुछ व्यक्तियों को जो 150-240 रु० के वेतन मान में वाणिज्यिक लिपिक के रूप में स्थायी किये जा चुके थे, 1966–67 में आयोजित उपयुक्तता जांच परीक्षा में बुलाये गये थे । उन्होंने प्रार्थना की थी कि **उपर्युक्त कर्मचारियों तक** पेनल रद्द कर दिया जाय और जो अन्य कर्मचारी उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार पात्र थे, उन्हें उस पेनल में शामिल करने के बारे में विचार किया जाय ।

(ग) यह सच है कि कुछ लोग जो वाणिज्यिक लिपिकों के रुप में 150–240 रु० के वेतनमान में स्थायी किये जा चुके थे, परीक्षा में बुलाये गये थे । बाद में इस कार्रवाई को, मान्यताप्राप्त युनियनों के साथ विचारविमर्श करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा विनियमित कर दिया गया । ऐसे कर्मचारियों के बारे में, जो दावा ट्रेसर के पद के लिए पात्र हो सकते थे, लेकिन स्थायी वाणिज्यिक लिपियों के परीक्षा में बुला लिये जाने के कारण उस पद को पाने से रह गये अब पदोन्नति के लिए विचार नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत से लोगों का स्थायीकरण समाप्त करना पड़ेगा और फलस्वरूप कर्मचारियों से शिकायतें आने लगेंगी। फिर भी पात्र कर्मचारियों को उपयुक्कता जांच होने तक रिक्त पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है ।

दिल्ली के बदरपुर बिजलोघर के कार्यकरण के बारे में समिति की नियुक्ति

6122. **श्री राम प्रकाश** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बदरपुर बिजलीघर के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं और उसके सदस्यो के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में आयोजित आल इण्डिया यंग लायर्स कान्फ्रेंस में पारित संकल्प

6123. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 के महीने में श्री गोविन्द मुखोटी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित आल इंडिया यंग लायर्स कान्फ्रेंस में पारित संकल्पों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संकल्पों में उल्लिखित मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या इन संकल्पों के प्रभावों की जांच करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी ;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में और कमी करना

6126. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में मार्च, 1974 में और कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त कटौती जनवरी और फरवरी 1974 में की गई कटौती की तुलना में अधिक थीं ; और

(घ) क्या सरकार मिट्टी के तेल का थोक और फुटकर व्यापार अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) डीजिल तेल की बढ़ती हुई मांग, जिसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है, के कारण मिट्टी के तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध जारी है।

(ग) फरवरी 1974 में 20% और जनवरी 1974 में 15% की कटौती की तुलना में मार्च 1974 को 15% की कटौती की गई।

(घ) केन्द्र सरकार का मिट्टी के तेल के थोक तथा फुटकर व्यापार को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि एक या एक से अधिक राज्य सरकारें मिट्टी के तेल का थोक और/या फुटकर व्यापार अपने हाथ में लेना चाहें तो सरकार द्वारा इस बात की संतुष्टि कर लेने के बाद, कि इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेने से वास्तविक उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

बदरपुर ताप बिजली घर के इंजीनियरों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन

6127. श्री राम भगत पासवान :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप बिजलीघर के इंजीनियरों ने हाल ही में 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चूंकि क्षेत्रीय स्टाफ के लिए निर्माण भत्ते और प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ के लिए विद्युत–उत्पादन भत्ते की मंजूरी संबंधीं उनकी मुख्य मांगों को तब तक सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के इंजीनियरों ने 1–3–1974 को रविवार तथा छुट्टियों में काम न करने संबंधी एक प्रस्ताव पास करके 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन शुरु किया था।

इन मांगों पर विचार किया जा चुका है और सरकार निर्माण कार्य पर लगे व्यक्तियों को देय "बदरपुर के लिए विशेष निर्माण भत्ता" और विद्युत केन्द्र के प्रचालन तथा अनुरक्षण पर कार्य कर रहे तकनीकी स्टाफ, जिन्हें कोई अन्य विशेष वेतन अथवा समयोपरि भत्ता नहीं मिलता, को उत्पादन भत्ता देने के लिए सहमत हो गई है।

यद्यपि 'नियमानुसार काम करो' प्रस्ताव को औपचारिक रूप से वापस नहीं लिया गया है परन्तु परियोजना पर कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

फालतू नेफ्था का निर्यात

6128. श्री राम भगत पासवान :

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **पेट्रोलियम और रसान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय नेफ्था का उत्पादन उर्वरक कारखानों द्वारा की जा रही इसकी खपत की तुलना में बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू नेफ्था का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश ने नेफ्था का उत्पादन कुल योजित आवश्यकता से कम है। लेकिन वर्तमान उर्वरक संयंत्रों के सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के आने तथा कुछ नए उर्वरक संयंत्रों के चालू करने के कार्य में प्रारंभिक कठिनाइयां उत्पन्न होने और विलम्ब होने के कारण इस समय नैफ्था की खपत कम है।

(ख) जी, हां।

इलाहाबाद डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को एसिस्टेंट यार्ड मास्टरों (पूर्व रेलवे) के रूप में पदोन्नत करना

6129. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या **रेल** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दिसम्बर में इलाहाबाद डिवीजन के 205-280 रुपये वेतनमान वाले कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को 250-.380 रुपये वेतनमान में सहायक यार्ड मास्टर के रूप में अस्थायी और पर पदोन्नत किया गया ;

(ख) क्या उन्हें सहायक यार्ड मास्टरों के रूप में तीन महीने काम करने के दौरान सामान्य वेतन वृद्धियां नहीं दी गई और उन्हें केवल सहायक स्टेशन मास्टरों का वेतन दिया गया था; और

(ग) (एक) सहायक यार्ड मास्टरों के रूप में पदोन्नत किये जाने पर यदि वेतन वृद्धि दी जाती तो उस पर आने वाले खर्च और (दो) वर्तमान वैकल्पिक व्यवस्था करने पर जो समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है उस पर आने वाले खर्च की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और क्या अधिक खर्चीली वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने के कारण रेलवे को हानि हो रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नियमित रूप से चयन किये हुए सहायक यार्ड मास्टरों के अभाव में 205–280 रु० के वेतनमान के तीन सहायक स्टेशन मास्टरों से, सितम्बर, से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि में काम की तात्कालिकता को देखते हुए 250–380 रु० के ग्रेड के सहायक यार्ड मास्टरों का काम लिया गया था। उन्हें स्थानापन्न भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार स्वीकार्य है।

जनवरी, 1974 में इन तीन में से दो सहायक स्टेशन मास्टरों ने सहायक यार्ड मास्टर के रूप में काम करने से मना कर दिया । अतः वर्तमान कर्मचारियो से समयोपरि आधार पर काम लिया जा रहा है। इसी बीच रिक्त स्थानों को नियमित रूप से भरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों से स्थानापन्न वेतन और समयोपरि भत्ते के दावे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में तुलना करना सम्भव नहीं है।

विधान सभाओं तथा लोक सभा में स्थानों का आरक्षण

6130. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों की उन उप जातियों के नाम क्या है जिनके उम्मीदवार विधान सभाओं और लोक सभाओं में आरक्षित स्थानों का प्रतिनिधित्व करने के पात्र हैं ?

विधि, न्याय कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : उन अनसूचित जातियों और अनसूचित जन–जातियों की उप–जातियों के नाम, जिनके सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से विधान सभा और लोक सभा के लिए निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं, राष्ट्रपति द्वारा निकाले गए संविधान (अनसूचित जाति) आदेश और संविधान (अनसूचित जन–जाति) आदेश में दिए हुए हैं। ये आदेश निर्वाचन विधि निर्देशिका (सातवां संस्करण) में अन्तर्विष्ट हैं।

प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

6131. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार कच्चे माल के वितरण का कार्य अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है ताकि लघु उद्योग को नष्ट होने से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) प्लास्टिक का संसाधन करने वाले एककों, जो अधिकतर लघु और मध्यश्रेणी उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं को थर्मोप्लास्टिक रेजिनो के अभाव की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जिन एककों की स्थापना गत लगभग तीन साल के अन्दर की गई थी उन्हें इस अभाव का सामना करना पड़ रहा है। नए लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को रेजिन के देशज उत्पादन के मांग की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करने का विचार कर रही है।

प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली कम्पनियां और कच्चे माल का आयात

6132. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली कम्पनियों का नाम क्या है ;

(ख) क्या प्लास्टिक का उत्पादन करने के लिये कच्चे माल का आयात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों से और गत तीन वर्षों में देश-वार कितने कच्चे माल का आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) प्लास्टिक का माल तयार करने के लिये देश में निर्मित की जाने वाली प्रमुख मदों के ब्यौरे तथा विनिर्माताओं के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. पोलिथिलीन (कम घनत्व वाली)

(क) मैसर्स अल्कली कैमिकल कारपारेशन (इंडिया) लि०, कलकत्ता।

(ख) मैसर्स यूनियन कारबाइड (इंडिया) लि० (काराखाना बम्बई में) ।

2. पोलिथीलीन (उच्च घनत्ववाली)

मैसर्स पोलिओलिफिज इंडस्ट्रीज लि० बम्बई ।

3. पी डी सी

(क) मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं० लि०, बम्बई

(ख) मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक इंडिया लि० (कारखाना मैट्टर में)

(ग) मैसर्स नेशनल आर्गेनिक कैमकल इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई

(घ) मैसर्स श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, कोटा (राजस्थान)

(ङ) मैसर्स प्लास्टिक्स एण्ड रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स लि० अरुमुगेनेरी, साहुपुरम्, (तमिल- नाड)

4. पोलिस्ट्रीन

(क) मैसर्स पोलिकैम, लि० बम्बई।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान पोलिमर्स लि०, विशाखापट्टनम्।

5. सेल्लयूलोज एसिटेट मोलडिंग ग्रेन्युल्स

(क) मैसर्स ईस्ट एंगलिया प्लास्टिक्स इंडिया लि०, कलकत्ता।

(ख) मैसर्स मैसूर एसिटेट एण्ड कैमिकल्स लि०, कारखाना मांडया, कर्नाटक।

6. फोनोल फार्मलडीहाइड मोल्डिंग पावडर

(क) मैसर्स वैकलाइट यार्न लि०, सिकन्दराबाद।

(ख) मैसर्स इंडियन प्लास्टिक लि०, बम्बई।

(ग) टी० आई० पी० कं० --दी इंडस्ट्रीयल प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग कं० लि०, बम्बई।

7. यूरिया फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पावडर :

(क) मैसर्स नूकैम प्लास्टिक लि०, फरीदाबाद।

(ख) मैसर्स इंडियन प्लास्टिक्स लि०, बम्बई।

(ग) मैसर्स प्राग इंडस्ट्रीज लि०, कोयम्बतूर।

(घ) मैसर्स कैमपोफार्म लि०, बम्बई।

(ख) उपर्युक्त प्लास्टिक के निर्माण के लिये अपेक्षित मूल कच्चा माल अधिकांशतः देशज है। ये निम्नलिखित है :—

(1) ईथाइल एल्कोहोल

(2) कैलशियम कारवाइड

(3) क्लोरिन / हाइड्रोक्लोरिक एसिड

(4) वेंजीन

(5) नेफ्ता

(6) फीनोल

(7) यूरिया

(8) फार्मलडिहाइड

(9) सेल्लयुलोस एंसिटेट फ्लेक्स

(10) प्लास्टिसाइजर्स

(11) स्टेबीलाइजर्स एवं रंग

(12) उत्प्रेरक तथा अन्य प्रक्रिया रसायन

उपर्युक्त में से, सेल्लयुलोस एसिटेट फ्लेक्स, कुछ स्टेबीलाइजर्स, रसायन एवं उत्प्रेरकों और रोगजनों। रंगो का अंशतः आयात किया जाता है। निःसन्देह यह संभव है कि जब कभी समय समय पर कमियां उत्पन्न हो जाती है, इन में से कुछ वस्तूओं अर्थात् एल्कोहोल, फीनेल आदि, के आयात किये जाने की इजाजत दे दी जाती है।

(ग) आयात विभिन्न देशों, अर्थात् यू० एस० ए०, यू० के० पश्चिम जर्मनी, हालैण्ड तथा जापान से किया जाता है।

क्यों कि रसायन तथा उत्प्रेरक आदि एक प्लास्टिक अन्य प्लास्टिक से भिन्न भिन्न होती हैं और ये बड़ी संख्या में हैं यद्यपि मात्रा थोड़ी ही हो, इन आंकड़ों को अलग से बताना कठिन है। थरमोप्लास्टिक्स के निर्माण के लिये कच्चे माल, जिन के आयात किये जाने की इजाजत दी गई है का कुल मूल्य 40 से 70 लाख रुपये वार्षिक के बीच है और सेल्लयुलोस, मुख्य रूप से सेल्लयुलोस एसिटेट फ्लेकस्, का 30 से 110 लाख रुपये के बीच है।

फिनोलिक तथा यूरिया मोलडिंग सामग्रियों के बारे में आयात बहुत अधिक नहीं है, आयात मुख्य रूप से देशीय अन्तर को पूरा करने के लिये यू० एफ० फिनोल के लिये सेल्लयूलोस पल्प से और देश में फार्मलडिहाइड के उत्पादन हेतु जब दशीय मेथेनोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो फोर्मालडीहाइड की थोड़ी सी मात्रा से संबंधित है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधी के दौरान गुजरात राज्य में मीटर गेज लाइन की ब्राड गेज लाइन में बदलना

6133. श्री डी० पी० जवजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में वीरमगाम–औखा और कालानूस–पोरबन्दर (जिसमें कालानूस-सीका और जामनगर–बेदी शाखा लाइनें भी शामिल हैं) के बीच 557 कि० मी० लम्बे मीटर लाइन खण्ड का आमान परिवर्तन प्रगतिपर है। दिसम्बर 1971 में इस काम की मंजूरी दी गयी थी और इस पर 42.92 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह काम दिसम्बर, 1977 तक पूरा हो जायेगा।

दिल्ली अहमदाबाद लाइन को, जो आंशीक रूप से गुजरात राज्य में पड़ती है, बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक सर्वेक्षण भी किया गया है। रिपोर्ट विचाराधीन है।

जामनगर-बेदी लाइन पर यातायात

6134. **डी० पी० जाडेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर-बेदी लाइन निकट भविष्य में रेलवे यातायात के लिए बंद कर दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन वीरमगाम-ओखा और कानालुस-पोरबन्दर मोटर लाइनों) जिसमें जामनर-बेबी और कानालुस-सिका शाखा लाइनें शामिल हैं) को बड़ी लाइनों में बदलने का जो काम चल रहा है जिसके दिसम्बर, 1977 में पूरा हो जाने की आशा है उसके संबंध में हापा, जामनगर और बेदी के बीच वाली वर्तमान लाइन संरक्षण को जामनगर शहर के भोड़-भाड़ वाले क्षेत्र से हटाकर बाहर की और मोड़ा जा रहा है। ऐसा जामनगर से बेदी की और जाने के लिए वर्तमान प्रारम्भिक स्थल के तेज मोड़, को देखते हुए किया जा रहा है जो बड़ी लाइन के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही जामनगर में वर्तमान स्थल पर विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान न होने तथा जामनगर शहर के भीड़-भाड़ वाले और मकानों वाले इलाकों को बचाने के उद्देश्य से भी ऐसा किया जा रहा है। जामनगर स्टेशन के लिए नयी जगह तलाश की जा रही है। मार्ग परिवर्तन करके बनायी जाने वाली प्रस्ताविक लाइन से बेदी बन्दरगाह तक बड़ी लाइन के एक उपयुक्त रेल सम्पर्क की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मंत्रीयों और मंत्रालयों द्वारा पेट्रोल का उपयोग

6135. **श्री ज्योतिर्मय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1973 से जनवरी, 1974 तक, महीने वार प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री तथा मंत्रालय ने कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बिजली की दरें

6136. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बिजली की दरों में कमी करने का है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, उद्योग को बिजली सप्लाई करने वाले राज्य बिजली बोर्डों को इस कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) एक विशेष उद्योग के साथ विशेष व्यवहार करने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की स्थिति बिगड़ना

6137. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फरवरी और मार्च, 1974 के दौरान बिजली की सप्लाई की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है जिसके कारण बिना पूर्व सूचना के बार-बार तथा लम्बे समय तक बिजली को बन्द करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के बिगड़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल की बिजली, जिसकी सप्लाई कम है, किन आधारों पर उत्तर प्रदेश में रिहंद काम्प्लेक्स को दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) यह सत्य है कि पश्चिम बंगाल कुछ महीनों से बिजली की कमी का सामना कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप लोड-शेडिंग करके बिजली की खपत पर पाबन्दियां लगानी पड़ी हैं। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि राज्य में विद्युत जनन क्षमता में बिजली की मांग जितनी वृद्धि नहीं हुई है और संयंत्र उपलभ्यता कम थी।

(ग) पश्चिम बंगाल को नुकसान पहुंचा कर उत्तर प्रदेश को कोई बिजली नहीं दी जा रही है।

पांचवी योजना में ताप बिजली घरों के लिये स्थानों के चयन हेतु समिति की नियुक्ति

6138. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में बृहत ताप बिजली घरों की स्थापना के लिए स्थानों के चयन हेतु सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। समिति ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया है और इसके शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

आसाम के चरली नामक स्थान में तेल का पाया जाना

6139. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री तरुण गोग्रोई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेल के नये स्रोतों का हाल में पता लगा है ; और

6—12 L.S.S(ND)/74

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम के चरली नामक स्थान पर तेल का पता लगा था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

दिल्ली में गर्मी के महीनों में बिजली फेल होने को रोकने के उपाय

6140. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने आवश्यक कदम उठाये है कि गत वर्ष की भांति दिल्ली में गर्मी के महीनों में बार-बार बिजली फल नहीं हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने आगामी ग्रीष्म महीनों के दौरान अपने विद्युत केन्द्रों से इष्टतम विद्युत् उत्पादन बनाये रखने के लिए संयंत्र तथा उपस्कर के उचित रख-रखाव जैसे पर्याप्त उपाय कर दिये हैं।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा पारेषण में विद्युत् की हानि

6141. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को इस समय पारेषण में 10 प्रतिशत विद्युत की हानि होती है जो बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि को कम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को वितरण प्रणाली में 10 प्रतिशत हानियां हुई हैं जबकि पारेषण तथा वितरण हानियों की अखिल भारतीय औसत 18.3 प्रतिशत है।

(ख) अपनी प्रणाली में ऊर्जा हानियों को और कम करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान निम्न लिखित उपाय कर रहा है :--

(1) हानियों को कम करने के लिए 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर 5 एम० वी० ए० आर० 11 संधारित्रों (करेस्टिरों) का प्रतिष्ठापन किया जा चुका है। 11 के० वी० उपकेन्द्रों तथा लाइनों में कुल 6 एम० वी० ए० आर० क्षमता के 9 संधारित्रों का भी प्रतिष्ठापन किया जा चुका है। और संधारित्रों के प्रतिष्ठापन के संबंध में अध्ययन किये जा रहे हैं।

(2) पृथक-पृथक थोक उपभोक्ताओं के लिये विद्युत गुणांक में संशोधन की व्यवस्था करते हुए समझौता किया जाता है।

(3) दिल्ली के इर्द-गिर्द 220 के० वी० के एक वृत्त को शीघ्र पूरा किया जा रहा है जिससे बड़ी मात्रा में हानियों से बचा जा सके।

बलियापट्णम (केरल) में रेल तथा सड़क पुल की खराब हालत

6142. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलियापट्टणम, कन्नानुर, (केरल में रेल तथा सड़क पुल बहुत खराब हालत में हैं और पुल पर लगे लकड़ी के अधिकांश तख्ते टूट गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि इसके कारण यात्रियों तथा वाहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) इस पुल की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण रेलवे के कालीकत–मंगलूर खण्ड पर बलपट्टणम स्टेशन के समीप रेल एवं सड़क पुल के सड़क यातायात के लिए प्रचलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब डेक सहित 100 फुट के इस्पाती गर्डरों के 12 स्पैन और पैदल यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों ओर 2 फुट 6 इंच चौड़े पैदलपथ हैं जिन पर लकड़ी के तख्ते लगे है। भारी पैदल यातायात के कारण घिस पिट जाने से पैदलपथों के लकड़ीं के तख्तों के बार बार नवीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ये नवीकरण अविलम्ब किये जाते हैं। हाल ही में पिछली मार्च में पैदलपथों के 80 तख्तों का नवीकरण किया गया है और ये पैदल–पथ अच्छी हालत में हैं।

हावड़ा तथा हुगली जिलों में मार्टिन लाइट रेलवे के मार्गों के लिये बड़ी लाइन

6143. **श्री रानेन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को हावड़ा और हुगली जिलों में पुरानी मार्टिन लाइट रेलवे के मार्गों पर बड़ी रेल लाइन बनाने के लिये भूमि खरीदने के समूचे व्यय को उठाने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) हावड़ा–आम्ता और हावड़ा–शियाखला लाइनों के निर्माण कार्य की इस शर्त पर मंजूरी दी गयी है कि न केवल भूमि की कीमत बल्कि निर्माण और परिचालन खर्च का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को वहन करना होगा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

डी० जी० टी० डी० की अनुमति के बिना औषध फर्मों द्वारा कुछ वस्तुओं का विविधीकरण

6144. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध फर्मों ने कुछ वस्तुओं के विविधीकरण के लिए डी० जी० टी० डी० से अनुमति नहीं ली थी ;

(ख) यदि नहीं तो गत तीन वर्षों में औषध फर्मों की कुछ वस्तुओं के विविधीकरण के लिए दी गयी प्रत्येक अनुमति की सन्दभ संख्याएं तथा तारीखें क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई रिकार्ड नहीं रखा गया तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिनांक 27–10–1966 के प्रैस नोट की शर्तों के अनुसार (प्रतिलिपि लोक सभा के दिनांक 3 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 553 के साथ संलग्न की गई थी) औद्योगिक उपक्रमों को बिना किसी लाइसेंस के नई वस्तुओं के निर्माण के लिये उत्पादन में विविधीकरण करने को स्वतंत्रता दी गई थी, बशर्ते कि :

(1) देश में उपलब्ध होने वाले छोटे छोटे संतोलन उपकरणों को छोड़कर कोई अतिरिक्त संयंत्र अथवा मशीनरी स्थापित न की जाये ;

(2) विदशी मुद्रा संबंधी कोई अतिरिक्त व्यय न हो ;

(3) विविधीकरण कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक न हों ; और

(4) विविधीकरण में वे विशिष्ट मदें शामिल न हों जिन्हे मुख्य रूप से लघु पैमाने के उद्योगों के संरक्षण के लिये सूची में सम्मिलित किया गया था।

ऐसे उपक्रमों को अपने निर्माण संबंधी कार्यक्रमों तथा निर्मित की जाने वाली नई वस्तुओं के बारे में ब्यौरों को सूचना तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा संबंधित प्राधिकारियों को भेजने पड़ती थी। उत्पादन में विविधीकरण करने के लिये इस प्रकार की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेट्रोनिडाजोल बनाने के लिये मे एण्ड बेकर को जारी किया गया अनुमति पत्र

6145. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रोनिडाजोल बनाने के लिये मे एण्ड बेकर को वर्ष 1968 में अनुमति–पत्र जारी किया गया था और यदि हां, तो अनुमति पत्र में कितनी क्षमता का उल्लेख किया गया था और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मट्रोनिडाजोल और फ्लैजिल के मूल्यों की मंजूरी देने के लिये, जब पत्र में अधिकतम मूल्य दिया गया था, यक–मुश्त समझौता किया गया था ; और

(ग) गत तीन वर्षों में उन्होंने क्षमता से अधिक कितना उत्पादन किया और वह अनुमति पत्र जारी किये जाने के कारण प्रत्यक्ष तथा प्ररोक्ष रूप में कितनी विदेशी मुद्रा अन्य देशों को जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष 1968 में मैसर्स मे एण्ड बेकर को, औद्योगिक मंत्रालय के 27 अक्तूबर, 1966 के प्रैस नोट में बताई गई नीति के अनुसार, मैट्रोनाइडाजोल का प्रपुंज मात्रा में उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई :

(i) वे आवश्यकता पड़ने पर अपने उत्पादन का कम से कम 30% प्रतिशत भाग अन्य उत्पादकों और निर्माताओं को सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों के आधार पर देंगे।

(ii) वे समय समय पर उत्पादन विवरण तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजेंगे।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 को लागू करते समय कंपनी ने उसके अन्तर्गत "वैकल्पिक योजना" को अपनाया जिसके अनुसार निर्माता अपनी स्वेच्छा से उसके द्वारा विपणन किए गए समस्त नुत्रयोगों से संबंधित मूल्य योजना को सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेज सकते हैं ताकि कराधान से पहले समग्र कुल लाभ कुल विक्रय से 15% से अधिक का न हो। तदनुसार कंपनीने एक पैकेज प्रस्ताव भेजा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त फ्लागिल सम्मिलित था। इस उत्पाद के मूल्यों के बारे में स्थिति नीचे दिखाई गई है :—

पैक का आकार	15-5-70 से पूर्व के मूल्य रुपये	1970 से सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य (रुपये)	1-7-72 को एम एण्ड बी द्वारा स्वेच्छा से घटाये गये मूल्य	घटे हुए मूल्य जो सरकार द्वारा 1973 को अनुमोदित किए गए
10 टी० . . .	7.33	5.30	4.75	4.30
21 टी० . .	15.59	11.13	10.03	9.06
250 टी० . . .	144.11	119.34	107.42	95.44

यह देखा जाएगा कि सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 को लागू करने के बाद वाले मूल्यों से कम थे।

(ग) वर्ष 1971 से 1973 तक उनका उत्पादन निम्न लिखित रहा :—

1971	5941 किलोग्राम
1972	6922 किलोग्राम
1973	7645 किलोग्राम

देश में मेट्रोनिडाजोल का आयात निम्नलिखित रहा :—

वर्ष	मात्रा टनों में	मूल्य लाख रुपयों में
1970–71	3.31	3.60
1971–72	7.15	8.31
1972–73	16.26	21.66

विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के अनुसार 1 मीटरी टन मैट्रोनिडाजोल के उत्पादन के लिए अपेक्षित आयातित कच्चा माल का मूल्य 81,994 रुपये बताया गया था। इस निर्माण से परोक्ष रूप में बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा की मात्रा उपलब्ध नहीं है।

मैसर्ज जेसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड को माल-डिब्बों के लिये दिये गये आर्डर

6146. **श्री एस० एन० सिंहदेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड को कितने माल डिब्बों के लिये आर्डर दिये गये ; और

(ख) इस अवधि में इस कारखाने ने कितने माल डिब्बे सप्लाई किये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरे ी) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में बकाया आर्डर (पहली अप्रैल)	वर्ष के दौरान दिये गये नये आर्डर	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल आर्डर	वर्ष के दौरान माल–डिब्बों की सुपुर्दगी
1972–73 . . .	2,462	200	2159.5*	180.5
1973–74 . . .	1,979	900	2,879	680

पश्चिम बंगाल के माल-डिब्बा निर्माताओं को माल-डिब्बे बनाने के लिये मिले आर्डरों में कमी

6147. **श्री एस० एन० सिंहदेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में पश्चिम बंगाल के माल–डिब्बा निर्माताओं को माल–डिब्बों के लिये कम आर्डर मिले ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल के माल–डिब्बों औद्योगिक कारखानों को कारखाना-वार, वर्ष 1972–73 और 1973–74 में कितने माल–डिब्बों के लिये आर्डर दिये गये ; और

(ग) उक्त अवधि में इन कारखानों ने कितने माल–डिब्बे सप्लाई किये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6655/74**]

वर्ष 1974–75 के दौरान रेल माल-डिब्बों की आवश्यकता

6148. **श्री एस० एन० सिंहदेव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को वर्ष 1974–75 के दौरान कितने नये माल-डिब्बों की आवश्यकता होगी ;

(ख) रेल मंत्रालय के कहने पर 1974–75 के दौरान कितने माल–डिब्बे बनाये जायेंगे और अनुमानत: कितने परिव्यय का प्रस्ताव है ; और

(ग) उक्त अवधि में माल–डिब्बों की सप्लाई के लिये किन–किन यूनिटों को यूनिटवार आर्डर दिये गये हैं ?

*चौपहियों के हिसाब से इसमें 502.5 माल डिब्बों के आर्डर शामिल नहीं हैं।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1974–75 के दौरान और पांचवी योजना के परवर्ती वर्षों में माल यातायात की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से रेलवे का इरादा 1974–75 में लगभग 63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 14,000 माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) प्राप्त करने का है।

(ग) जिन फर्मों और रेलवे कारखानों को रेलों द्वारा माल डिब्बों के आर्डर पहले ही दिये जा चुके है और जो उपर्युक्त माल डिब्बों की सप्लाई करेंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	फर्म/रेलवे कारखाने का नाम
1	मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ
2	मैसर्स ब्रेथवेट
3	मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी
4	मैसर्स सिमको
5	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज
6	मैसर्स आई० एस० डब्ल्यू०
7	मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी
8	मैसर्स माडर्न इंडस्ट्रीज़
9	मैसर्स एस० स्ट्रक्चरल्स
10	मैसर्स टेम्पको
11	रेलवे कारखाना, अमृतसर
12	रेलवे कारखाना, गोल्डन राक
13	रेलवे कारखाना, समस्तीपुर

मैसर्स इण्डियन स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०, हावड़ा और मैसर्स टैक्समैको, कलकत्ता द्वारा वैगनों की सप्लाई

6149. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन स्टेण्डर्ड वैगन कम्पनी लि० हावड़ा और मैसर्स टैक्समैको, कलकत्ता को जितने वैगनों की सप्लाई करने के लिये क्रयादेश दिये गये थे, उनकी सप्लाई करने में उक्त कम्पनियां असफल रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इन दो कारखानों को कितने वैगनों की सप्लाई करने के लिए क्रयादेश दिये गये और गत तीन वर्षों के दौरान इन कारखानों ने कितने वैगन सप्लाई किये ; और

(ग) वर्ष 1974–75 में कितने वैगनों की सप्लाई करने के लिए इन दो कारखानों के पास क्रयादेश अनिर्णीत पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) इन दोनों फर्मों के पास प्रत्येक वर्ष, पहली अप्रैल को माल-डिब्बों के बकाया आर्डर, वर्ष के दौरान दिये गये नये आर्डर और जितने माल डिब्बे सप्लाई किये गये, उसका विवरण इस प्रकार है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लि०			मैसर्स टैक्समेको		
	पहली अप्रैल को बकाया आर्डर	नये आर्डर	सुपुर्दगी	पहली अप्रैल को बकाया आर्डर	नये आर्डर	सुपुर्दगी
1971–72 .	987.5	..	757.5	512.5	6439.5	1621
1972–73 .	230	2631.4	147.5	5331	3192.4	3280
1973–74 .	2713.9	511.4	82.5	5243.4	5655.2	3209.2

(ग) 1–7–1974 को इन दोनों फर्मों के पास माल-डिब्बों के लिए बकाया आर्डरों की संख्या इस प्रकार है :—

मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लि०, हावड़ा	3142.8
मैसर्स टैक्समैको	7689.4

मैसर्ज बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा को प्राप्त आर्डर में वैगनों की संख्या और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई सप्लाई

6150. **श्री एस० एन० सिंहदेव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा को कितने वैगनों के लिए आर्डर दिये गये थे ;

(ख) इस अवधि के दौरान उन्होंने कितने वैगनों की सप्लाई की ; और

(ग) वर्ष 1974–75 के लिए उन्हें कितने वैगनों का आर्डर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया आर्डर	वर्ष के दौरान दिये गये नये आर्डर	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल आर्डर	वर्ष के दौरान माल-डिब्बों की सुपुर्दगी
1971–72 . . .	770	*	770	250
1972–73 . . .	520	2590	3110	125
1973–74 . . .	2985	277.5	3262.5	22.5

*चौपहियों के हिसाब से 1023 माल-डिब्बे बनाने का प्रस्ताव कम्पनी ने मंजूर नहीं किया था ।

(ग) 1974-75 के चल स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत माल-डिब्बों की खरीद शीघ्र ही शुरु की जायेगी।

कटिहार डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के लोको कर्मचारियों की मांगे

6151. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण हाल में कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन लोको कर्मचारियों की मांगे क्या हैं और उस पर सरकारने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मांग है कि 10 घंटे की ड्यूटी अनुसूची तत्काल लागू की जाय। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ लोको रनिंग कर्मचारी 16-2-74 से प्रारम्भिक स्टेशन के लोकों शेड में हाजिरी लगाने से 10 घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद स्वतः आराम के लिए मांग करने लगे।

13-8-73 के मूल बयान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत 10 घंटे की ड्यूटी प्रारम्भ की जायेगी, बल्कि यह कहा गया था कि इसके कार्यान्वियन का तरीका निकाला जायेगा।

लोको रनिंग कर्मचारियों के मामले में 10 घंटे की ड्यूटी की अनुसूची का कार्यान्वियन 1-12-1973 से प्रारम्भ किया जा चुका है। चूंकि 10 घंटे की ड्यूटी-अनुसूची को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिए रनिंग रूम, कर्मीदल यान, लूप लाइन, कर्मचारी क्वार्टर और कर्मचारियों की भर्ती तथा लगभग 20,000 लोको कर्मचारियों के प्रशिक्षण के रूप में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सुविधाओं की जरुरत है अतएव यह योजना केवल चरण-बद्ध रूप में ही प्रारम्भ की जा सकती है।

Causes of Fire in a Railway Wagon at Khan Alampur Yard in October, 1973

6152. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given on the 11th December, 1973 to Unstarred Question No. 4159 regarding railway wagon containing explosive caught fire at Khan Alampur Yard in October, 1973 and state:

(a) whether the causes of the fire have since been investigated; and

(b) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The findings of the Officers' Enquiry Committee are that the fire, which was accidental, had originally started in a petrol tank wagon and involved 14/15 other wagons including the wagon containing explosives. No railway staff has been held responsible for the same.

प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन के चुनाव के लिये गुप्त मतदान

6153. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री रेलवे के लिये एक यूनियन से संबंधित 12 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1974 को हुई बैठक में हुए मतैक्य के आधार पर प्रत्येक रेलवे में कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से दो या तीन वर्ष की अवधि के लिये केवल एक यूनियन रखने के लिये प्रयास आरंभ हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्रियान्वयन का निर्धारित समय क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलों में एक युनियन के उद्देश्य की प्राप्ति के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। इसमें अन्तर्निहित पेचीदा मामलों के कारण इस उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये रेल कर्मचारियों की उपभोक्ता समितियां

6154. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री रेल कर्मचारियों को उचित दर दुकानों से राशन सप्लाई करने के प्रस्ताव के बारे में 12 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में रेल कर्मचारियों की कितनी उपभोक्ता समितियां खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए दुकाने चला रही है; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में किन-किन स्थानों पर ऐसी समितियां है और ऐसी प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) अनाज और दूसरी अनिवार्य वस्तुओं की दुकाने चलाने वाले रेल कर्मचारी उपभोक्ता समितियों की रेलवेवार संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं०	रेलवे/परियोजना	समितियों की संख्या जो वास्तव में उचित दर दुकानों की रूप में चल रही हैं या ऐसी दुकानें चलाती हैं
1	2	3
1	मध्य रेलवे	37
2	पूर्व रेलवे	53
3	उत्तर रेलवे	34

क्रम सं०	रेलवे/परियोजना	समितियों की संख्या जो वास्तव में उचित दर दुकानों की रूप में चल रही हैं या ऐसी दुकानें चलाती हैं
1	2	3
4	पूर्वोत्तर रेलवे	21
5	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	27
6	दक्षिण रेलवे	40
7	दक्षिण मध्य रेलवे	21
8	दक्षिण पूर्व रेलवे	39
9	पश्चिम रेलवे	43
10	चित्तरन्जन रेल इंजन कारखाना	1
11	अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ . .	1
12	भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग और दूर संचार संस्थान, सिकंदराबाद	1
	जोड़ .	318

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर जहां जहां ये समितियां है, उन स्थानों के नाम और प्रत्येक समिति की कुल सदस्य संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	सदस्य संख्या
1 गोरखपुर	1,818
2 मऊ जंक्शन	136
3 औनरीहार जंक्शन . . .	232
4 वाराणशी . . .	254
5 सिवान	322
6 छपरा	223
7 सोनपूर	312
8 मुजफ्फरपुर	308
9 नरकटियागंज	372
10 दरभंगा	366
11 समस्तीपुर	614
12 बरोनी जंक्शन	191

स्थान	सदस्य संख्या
13 गड़हरा (जी एम०वाई०)	340
14 सहरसा	208
15 गौंडा	316
16 लखनऊ	300
17 मैलानी	427
18 पीलीभीत	170
19 काठगोदाम	118
20 कासगंज	229
21 मथुरा छावनी	163

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर में पनबिजली के उत्पादन के लिये विशेष व्यवस्था

6155. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर जैसे राज्यों में पनबीजली के उत्पादन के लिए जहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संसाधन हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) योजनावधि के दौरान लाभों के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निम्नलिखित जल-विद्युत स्कीमें शामिल की गई हैं :—

राज्य	परियोजना का नाम	लाभ (मेगावाट में)
हिमाचल प्रदेश	1. गिरी बाटा	60
	2. बस्सी	15
	3. वैरा सियुल	201
जम्मू और कश्मीर	1. लोअर झेलम	105
	2. सम्बल	22
	3. चेनानी	9

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में डुलहस्ते जल-विद्युत स्कीम (3×110 मे०) पर कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करना प्रस्तावित है। इस स्कीम के छठी योजना के दौरान चालू होने की सम्भावना है। बाद की योजनाओं में हाथ में ली जाने वाली और जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया जा रहा है।

होशियारपुर तथा जालंधर (पंजाब) के बीच चलने वाली गाड़ियों से खतरे की जंजीरें हटाने की मांग

6156. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के एक वर्ग ने रेलगाडियों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर के भारी दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए होशियारपुर तथा जालंधर के बीच चलने वाली गाडियों से खतरे की जंजीर को हटाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) :(क) और (ख) जी हां, फिरोजपुर मंडल के रेलवे गाडी से अभ्यावदन मिलने पर जालंधर सिटी होशियारपुर खण्ड पर चलने वाली 6 जे एच/7 जे एच गाड़ियों में ख़तरे की जंजीर नाकाम कर देने के लिए उत्तर रेल प्रशासन द्वारा हिदायतें जारी कि गई हैं ।

होशियारपुर स्टेशन से बम्बई तथा कलकत्ता के लिये पांच-पांच सीटों का आरक्षण-कोटा

6157. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर रेलवे स्टेशन से बम्बई तथा कलकत्ता के लिए पांच-पांच सीटों के आरक्षण कोटे के लिए कोई अनुरोध मिला है ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इस मामले पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) गत वर्ष के उपयोग की सीमा के आधार पर, होशियारपुर से बम्बई और हावड़ा के लिए क्रमश: 32 डाऊन/4 अप फ्रंटियर मेल और 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल गाड़ियों में से प्रत्येक में तीसरे दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा, परीक्षण के तौर पर, 15-4-1974 से 6 महीने के लिए आवंटित किया गया है ।

पांचवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना

6158. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवी योजना में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) प्रत्येक योजना में कितनी लागत आयेगी तथा क्षमता क्या है और वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा अपने सम्पूर्ण विकासात्मक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत दिया जाता है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विशेष विकास या परियोजना सेक्टर से जुड़ी नहीं होती हैं ।

आन्ध्र प्रदेश की पांचवी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन को पूरा करना

6159. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन तक जाने वाली हसन-मंगलोर रेलवे लाईन किस वर्ष तथा महीने में पूरी हो गई थी ;

(ख) निर्माण की वर्तमान गति से इस पर कितना अतिरिक्त खर्च होगाई ; और

(ग) क्या यह लाईन बड़ी होगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हसन-मेंगलूर रेलवे लाइन के निर्माण का काम चल रहा है और आशा है कि दिसम्बर, 1976 तक यह काम पूरा हो जाएगा।

(ख) नवीनतम अनुमान के अनुसार लागत में 752 लाख रुपये की वृद्धि हो गई है।

(ग) जी नही। फिर भी पुलों की उपसंरचना को बड़ी लाइन मानक के अनुसार बनाया जा रहा है ताकि आगे चलकर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में सुविधा रहें।

Publication of 'Bhagirath'

6160. Shri Yamuna Prasad Mandal: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government had taken a decision to start the regular publication of Hindi magazine 'Bhagirath' last year and had assured the House to start its publication from October, 1973;

(b) if so, the reasons for which the said Magazine could not be brought out so far; and

(c) the arrangements being made for its early publication?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) Although a decision was taken last year to bring out an independent edition of "Bhagirath" in Hindi, it took some time to finalise the arrangements. The present acute shortage of paper has also contributed to the delay. These difficulties have now been resolved and the first issue is expected to be out next month.

Posts sanctioned for Hindi work in Ministry of Irrigation and Power

6161. Shri Yamuna Prasad Mandal: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of posts sanctioned for Hindi work in his Ministry and its attached offices and the rules governing appointments thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): A statement giving the requisite information is attached. [*Placed in Library. See No. LT*-6656/74.]

Shortage of Irrigation water due to silts in Kosi river

6162. Shri Yamuna Prasad Mandal: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the extent to which water in the canals has fallen short for irrigation because of silts in the Kosi river; and

(b) the steps being taken to desilt the Rajpur canal and to make adequate water available for irrigation purposes?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Some difficulties are experienced due to siltation problem in the Kosi canals, but this has not rendered them ineffective for irrigation purposes.

(b) The Government of Bihar have taken several measures to overcome the silting problem in the Rajpur canal. A careful watch is kept on the canal by the State Engineers. The desilting of the canal as and when necessary, is done. The canal is closed when the sediment concentration is high. Improvements have been effected in the regulation schedule. A bye-pass channel of 10,000 cusecs capacity is now being constructed at R.D. 12 and the headworks of Rajpur Canal are being shifted to this bye-pass channel. This is expected to improve the situation considerably.

As a result of works undertaken, the silt deposit in the canal has now come down in recent years.

गत तीन वर्षों में राज्यों को सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

6163. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में राज्यों को सिंचाई प्रयोजनों के लिए राज्य वार कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य ने उक्त सहायता की पूरी राशि का उपयोग किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने उक्त राशि का उपयोग नहीं किया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा विकास योजनाओं सम्पूर्ण कार्य के अन्तर्गत अपने बजट में की जाती है । केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिए सम्पूर्ण रूप में ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष शीर्ष अथवा सेक्टर अथवा परियोजना के लिए नहीं होती ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवी योजना के पहले वर्ष में रेल इंजनों की आवश्यकता

6164. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के पहले वर्ष में कितने रेल इंजनों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) उनको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में 60 बिजली और 161 डीजल रेल इंजन प्राप्त करने का प्रस्ताव है । पांचवीं पंच-वर्षीय योजना ने कुल व्यवस्था 1300 रेलइंजनों के लिए है । चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में उत्पादन की योजना तदनुसार बनायी जा रही है ।

तांबे के तार के कंडक्टरों के बदले एल्यूमिनियम तार के कंडक्टरों का प्रयोग

6165. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलों में तांबे के तार के कंडक्टरों के बदले एल्यूमीनियम तार के कंडक्टरों का प्रयोग करने का है ;

(ख) क्या एल्यूमिनियम तार कंडक्टर तांबे के तार कंडक्टर से सस्ता पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी राशि की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) राष्ट्रीय नीति के अनुरूप भारतीय रेलें अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए केवल एल्यूमीनियम कण्डक्टर इस्तेमाल कर रही है सिवाय कुछ बहुत ही विशेष मामलों के जैसे बिजली चल स्टाक जिनमे उपरी बिजली कर्षण तारों और केबुलों का इस्तेमाल होता है ।

(ख) अेल्यूमीनियम कण्डक्टर सस्ते पडते हैं और इनसे विदेशी मुद्रा बचती है ।

(ग) इस तरह की बचत की मात्रा के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

Stopping production of Urea at Gorakhpur Fertilizer factory for want of Power Supply

6168. **Shri Nawal Kishore Sharma:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Gorakhpur fertilizer factory has stopped production of urea because of stoppage of power supply;

(b) if so, the extent to which supply of urea will be affected on this account; and

(c) the action being taken by Government to resume full production of urea?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Production at the unit was affected by partial and on occasions, total power stoppages during the year 1973-74.

(b) About 23,620 tonnes of nitrogen equivalent to 51,350 tonnes of urea during 1973-74 on account of power constraint.

(c) Full power supply has been resumed from 1st April 1974 and the plant is expected to resume full production of urea after certain maintenance jobs are completed.

Hugli River Project

6169. **Shri Nawal Kishore Sharma:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have approved the Hugli River Project;

(b) if so, the expenditure, in Indian currency and in foreign exchange, likely to be incurred in connection therewith and the portion thereof to be shared by the State Government;

(c) the quantum of electricity and the irrigation facilities likely to be made available to West Bengal from the said project; and

(d) whether Government have under consideration any proposal to set up such a project in Rajasthan as well?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No such scheme has been received.

(b) to (d) Do not arise.

गुजरात में 15 मार्च, 1974 के हिंसात्मक आंदोलन के कारण हुई हानि

6170. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में तथा गुजरात के अन्य भागों में आंदोलनकारियों ने 15 मार्च, 1974 को रेल पटरियां उखाड़ी, यात्री गाड़ियों के डिब्बे को आग लगायी, गाडियों को रोखा तथा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को उस दिन कितनी क्षति हुई ;

(ग) क्या आवश्यक मरम्मतें प्रारम्भ कर दी गई हैं और यदि हां, तो रेल मार्ग कब तक ठीक कर दिये जायेंगे ; और

(घ) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 2.67 लाख रुपये ।

(ग) रेलपथ की मरम्मतका काम 19-3-1974 तक पूरा कर दिया गया था ।

(घ) लगभग 2.67 लाख रुपये ।

पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे गार्डों व्दारा नियमानुसार काम करने के आन्दोलन का कोयले के परिवहन पर प्रभाव

6171. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री गजाधर माझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे गार्डों के नियमानुसार काम करने के आन्दोलन का कोयले के परिवहन पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हाँ । कोयले के लदान के लिए खाली माल डिब्बे भरिया और करनपुरा कोयला खानों को नहीं पहुंचाये जा सके और उत्तर भारत में स्थित विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए कोयलाखानों से लदे माल डिब्बों का संचलन मुगलसराय की ओर नहीं हो सका । उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बिजली घरों को पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं मि ी जिसके फलस्वरूप उनका कोयले का स्टाक कम हो गया । अन्य बड़े और छोटे उद्योगों को कम कोयला मिला ।

इन्द्रप्रस्थ तापीय काम्पलैक्स में कार्य में अवरोध

6172. श्री मधु दंडवते : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजलीघर काम्पलैक्स में अभी हाल ही में एक नये 62.5 तापीय एकक के काम में अवरोध उत्पन्न हो गया था तथा तीन अन्य एककों में कम उत्पादन हुआ था ;

7—12 L.S.S./74

(ख) क्या इसके कारण हरियाणा राज्य के अनेक भागों में औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र स्थित बायलरों में सुपर हीटर ट्यूब में निःसरण के कारण 4 से 10 मार्च, 1974 तक यूनिट संख्या 4 और 22 से 28 मार्च, 1974 तक यूनिट संख्या 5 मजबूरन बन्द करनी पड़ी। यूनिट संख्या दो के अलावा अन्य यूनिटें संभव सीमा तक पूरा विद्युत उत्पादन नहीं कर सकीं।

(ख) मार्च के महीने में हरियाणा को सप्लाई की गई विद्युत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में इसके भाग से अधिक थी। बहरहाल, कुछ दिन दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान से हरियाणा को विद्युत सप्लाई कम रही और इससे औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ग) हरियाणा को बदरपुर और राजस्थान से राहत दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रबंध किया गया है कि आपात कालीन स्थिति में हरियाणा भाखड़ा प्रणाली से अधिक बिजली ले सकता है, परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार ली गई ऊर्जा आगामी कुछ दिनों में वापस कर दी जाए।

संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

6173. श्री मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की क्या प्रगति है ; और

(ख) परिसीमन की नई योजना से जिन संसद् सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है, क्या उन्हें परिसीमन आयोग के सामने अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड और मणिपुर राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने वाला परिसीमन आयोग का आदेश परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10(1) के अधीन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की बाबत आयोग के प्रस्ताव परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9(2) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं और संघ राज्यक्षेत्र में सार्वजनिक सभाएं भी की जा चुकी हैं। शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित कार्य प्रगति की विभिन्न आवस्थाओं में है।

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9(2) के अधीन प्रस्तावों के प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, प्रत्येक नागरिक को, जिनमें संसद् सदस्य भी हैं, राज्यसंभा राज्यक्षेत्र के संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के आयोग के प्रस्तावों पर आक्षेप करने और सुझाव भेजने का, तथा उन सार्वजनिक सभाओं में, जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में की जाएंगी, आयोग के समक्ष आने और अभ्यावेदन करने का, अवसर दिया जाएगा।

भारतीय फार्मसूटिकल्स फर्मों की बिक्री की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

6174. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फर्मों के लिये 2 करोड़ रुपये की बिक्री की सीमा निर्धारित करने में भारतीय फार्मसूटिकल्स उद्योग के विकास की तुलना में क्या आर्थिक पहलू अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) क्या यह निर्णय औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा लाइसेंस शुदा यूनिटों पर भी लागू होता है और यदि हां, तो इस निर्णय का प्रभाव कितनी भारतीय फर्मों पर पड़ेगा ;

(ग) क्या भारतीय एककों के विकास पर रोक लगाने के लिये ओ०पी०पी०आई० के दबाव में यह निर्णय लिया गया है; और

(घ) यह निर्णय किस तारीख को किया गया और क्या डी०जी०टी०डी०, डी०जी०एच०एस०, आई० डी० एम० ए० और ओ० पी० पी० आई० से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो भारतीय फार्मसूटिकल्स उद्योग के भारतीयकरण पर इस रोक की सिफारिश किस ने की थी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औषध और भेषज के उत्पादन करने वाली भारतीय कम्पनियों की बिक्री पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to construct over-bridge at Ramghat road crossing (Northern Railway)

6175. Shri Chandra Shailani: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of accidents that took place at the Ramghat road crossing of Northern Railway in Aligarh during the period from the 1st January, 1970 to the 31st December, 1973 and also the number of persons killed as a result thereof;

(b) whether his Ministry proposes to construct an over-bridge there; and

(c) if so, by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the four year period between 1-1-1970 and 31-12-1973, there were two accidents at level crossing gate No. 109 at Aligarh Junction. In these accidents, one person was killed and 3 others injured.

(b) and (c) The question of providing a road overbridge in replacement of this level crossing is under consideration in consultation with the Nagar Palika, Aligarh. The proposal is in a preliminary stage of investigation and the Nagar Palika is yet to give an undertaking to bear their share of the cost. It is not possible to indicate the target date for construction of the overbridge at this stage.

भारतीय और विदेशी फर्मों द्वारा औषध निर्माण में समानता

6176. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तथा विदेशी औषध निर्माता एककों के लिए थोक औषध उत्पादन में मूल्य की दृष्टि में कोई समानता निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुल बिक्री और थोक औषध उत्पादन के मूल्य में क्या सम्बन्ध स्थापित किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ फर्मों द्वारा फार्मूले बनाया जाना

6177. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ विदेशी फर्में केवल फार्मूल ही बनाती है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : निम्नलिखित विदेशी फर्मों को केवल औषधों के सूत्रयोगों का निर्माण करने के लिये लाइसेन्स दिया गया है तथा उनका पंजीकरण कया गया है :

अब्बोट्ट लेबोरेटोरीज लि०

एंग्लो फ्रैन्च ड्रग कं० लि०

बीचम लि०

लेबोरेटोरोज ग्रिमाल्ट लि०

स्मिथ कलाइन एण्ड फ्रैन्च लि०

इन फर्मों द्वारा तैयार किये गये सूत्रयोगों के नाम एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

मैसर्स एस० के० एफ० द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये एम्पिसिलिन का फार्मूला बनाया जाना

6178. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स एस० के० एफ० ने बिना अनुमति प्राप्त किय एम्पिसिलिन के फार्मूले (दवाइयों) बनाय है ; और

(ख) क्या आई० डी० एम० ए० ने सरकार को इस बात की जानकारी दी थी और सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) आई०डी० एम०ए० से यह शिकायत मिलने पर कि मैसर्स एस०के०एफ० ने बिना किसी अनुमति के एमसिलिन के सूत्रयोग बनाये ह, मामले की जांच की जा रही है ।

डायरक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट को प्रस्तुत की गयी उत्पादन विवरणियां

6179. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध फर्मों द्वारा डायरेक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपेंट को प्रस्तुत की जाने-वाली उत्पादन विवरणियों में केवल प्रत्येक श्रेणी के कुल उत्पादन का ही जिक्र होता है;

(ख) यदि हां, तो डायरेक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट को इस बात का पता कैसे लगा कि विविधिकरण के अन्तर्गत लायी गई कुछ मदों को कंपनी द्वारा नाम का जिक्र किये बिना उत्पादन विवरणीयों में शामिल किया गया है; और

(ग) क्या डायरेक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट में सांतीविनी को सी० ओ० बी० लाइसेंस देने की सिफारिश की है और यदि हां, तो डायरेक्ट्रेट जनरल आफ टेक्नीकल डेवलपमेंट ने जिस पत्र में उत्पादन का विविधिकरण करने की अनुमति दी है उसकी संख्या तथा तारीख क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) उन फर्मों, जो तकनीकी विकास महानिदेशक में पंजीकृत है द्वारा प्रस्तुत की गई उत्पादन विवरणियों में प्रत्येक मद के उत्पादन आंकडे अलग से दिखाये जाते है। जो कंपनी कभी भी किसी नई मद का उत्पादन विवरणी में दर्शाया जाता है तो तकनीकीविकास महानिदेशालय द्वारा इ` नोट कर लिया जाता है और अनुमोदित क्षमता के संदर्भ में इसकी जांच की जाती है।

(ग) इस मंत्रालय तथा लाइसेंसिंग समिति द्वारा यथा अनुमोदित तकनीकी विकास महानिदेशालय की सिफारिश पर सुत्रयोगों के निर्माण के लिये क्षमता के अन्तर्गत सांतीविनी को, शामिल करते हुए, मैसर्स सेन्डोज इंडिया लिमिटेड बम्बई को, विभिन्न सुत्रयोगों के निर्माणार्थ 6 जुलाई, 1971 को एक सी० ओ० वी० लाइसेंस दिया गया था।

विविधीकरण के अधीन औषध निर्माण के लिये जारी किये गये सी० ओ० वी० लाइसेंस

6180. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में उन वस्तुओं के लिये औषध निर्माण हेतु सी० ओ०वी० लाइसेंस दिये है जो कम्पनियों पहल विविधीकरण के अधीन बना रही थी; और

(ख) कितनी क्षमता की अनुमति दी गई है और उन वस्तुओं के नाम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख) दिनांक 27-10-66 के प्रैस नोट की शर्तों के अनुसार प्रतिलिपि लोक सभा के दिनांक 3 अप्रैल 1974 के अता० प्रश्न संख्या 5663 के साथ संलग्न की गई थी। औद्योगिक उपक्रमों को बिना किसी लाइसेंस के नई वस्तुओं के निर्माण के लिये उत्पादन में विविधिकरण करने की स्वतंत्रता दी गई थी, बशर्ते कि :

(i) देश में उपलब्ध होने वाले छोटे छोटे संतुलन उपकरणों को छोडकर कोई अतिरिक्त संयंत्र अथवा मशीनरी स्थापित न की जायें;

(ii) विदेशी मुद्रा संबंधी कोई अतिरिक्त व्यय न हो;

(iii) विविधीकरण कुल उत्पादन के 25% से अधिक न हो; और

(iv) विविधीकरण में वे विशिष्ट मदें शामिल न हों जिन्हें मुख्य रूप से लघु पैमाने के उद्योगों के संरक्षण के लिये सूची में शामिल किया गया था;

जुलाई 1970 में घोषित की गई नई लाइसेंसिंग नीति के आरंभ होने से, बडे बडे उद्योग घराने प्रमुख उपक्रम तथा विदेशी कम्पनियां आदि उपक्रमों के कुछ वर्गों को औद्योगिक लाइसेंस से छूट दिये जाने से वंचित कर दिया गया था। ऐसी कम्पनियों को, और बातों के साथ साथ, छूट की अवधि के दौरान विविधीकरण के अन्तर्गत उत्पादित की गई मदों, के लिये सी० ओ० वी० लाइसेंस दिये गये हैं। केवल विविधीकरण मदों के लिये दिये गये सी०ओ०बी०लाइसेंस के बारे में कोई अलग आंकडे नहीं बनाये जाते है। सरकार द्वारा दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्योरें समय समय पर "वीकली बुलिटन आफ इंडिस्ट्रीयल लाइसेंसिंग' 'इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग', 'इंडियन ट्रेड जर्नल' तथा 'जख्खत आफ इंडस्ट्री, एण्ड ट्रेड' में प्रकाशित किये जाते है।

कालीनदी पनबिजली परियोजना के सूपा बांध पर व्यय

6181. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर विद्युत निगम से सूपा बांध पर कोई धनराशि खर्च न करने को कहा है जो काली नदी पन बिजली परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रेलों में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के पदों पर आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

6182. **श्री अम्बेश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1974 को रेलवे के सभी जोनों में, जोन बार, सेवाओं की सभी श्रेणियों में, श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी है; और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नहीं है तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलों पर भर्ती वर्ष वित्तीय वर्ष ही होता है और सभी आंकड प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के अनुसार रखे जाते है। लेकिन गत वर्ष, लोक सभा में बहस के दौरान रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के संदर्भ में रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आर्ध वार्षिक अवधियों के आंकडे एकत्र किये जा रहे है। 30 सितंबर 1973 को क्षेत्रीय रेलों पर अनुसूचित जाति । अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गयी है [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6657/74**]

(ग) श्रेणी iii और iv में अनुसूचित जातियों को भर्ती सम्बन्धी स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। बहुत थोडी कोटियों में जहां तकनीकी अर्हता निर्धारित की गयी है वहां कुछ कमी है । जहां तक अनुसूचित जन जातियों का सम्बन्ध है, वे केवल जन जाति क्षेत्रों में ही उपलब्ध है और देश में समान रूप से नहीं फैले है यहां तक की कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी उनके लिए आरक्षित स्थानों से भी कम है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की भर्ती में सुधार करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। केवल इसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए, क्षेत्रीय रेलों के कार्मिक विभाग की संख्या अतिरिक्त वरिष्ट कार्मिक अधिकारी और अपेक्षित कर्मचारी रख कर बढा दी गयी है।

महाराष्ट्र में प्रत्येक नई रेल लाइन की प्रगति और उस पर व्यय

6183. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन नई रेल लाइनों के नाम क्या है जिनका निर्माण कार्य वर्ष 1974–75 में आरम्भ होगा या जारी रहेगा; और

(ख) वर्ष 1974–75 में इनमें से प्रत्येक रेलवे लाइन की प्रगति का लक्ष्य क्या है और उन पर कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) वानी चनाका रेल सम्पर्क (76 कि० मी०)

(ii) बेसिग रोड—दिवा रेल सम्पर्क (42 कि० मी०)

(ख) 1974–75 के बजट में इन लाइनों के लिए जितने परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, वह इस प्रकार है :–

वानी–चनाका	57 लाख
बेसिन रोड—दिवा	1.60 करोड

आशा है कि वानी–चनाका और बैसिन रोड–दिवा रेल सम्पर्क के निर्माण का काम क्रमश: 1977 के अन्त तक । 1976 के मध्य तक पूरा हो जायेगा ।

गाड़ियों में भोजनयान समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय

6184. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेल गाडियों में भोजनयान की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) वर्ष 1973–74 में किन किन रेल गाडियों से भोजनयान की व्यवस्था समाप्त की गई है और वर्ष 1974–75 के लिये इस संबंध में क्या प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) गाडियों में यात्रियों के लिए भोजन के स्तर में सुधार करने और अधिक स्वास्थ्यकर सेवा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, कुछ चुनी हुई गाडियों मे परंपरागत भोजन यान सेवा के बदले मार्गवर्ती स्थैतिक खान पान स्थापनाओं में तयार किये गये "परोसने के लिए तैयार" भोजन को एकत्र करने की नयीं प्रणाली अपनायी गयी है । इस प्रणाली के अंतर्गत मूल रसोइघरों में भोजन को ट्रे में रखकर गर्म पेटियों में रखा जाता है; तदुपरांत गाडियों की पेटी कार की गर्म पेटियों में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है और भोजन के समय यात्रियों को परोसा जाता है । इस व्यवस्था निम्नलिखित गाडियों में शुरू की गयी है :–

(1) बंबई सेंट्रल और नई दिल्ली के बीच क्रमश: 16-4-72 और 14-4-1973 से 3।4 फ्रांटियर मेल और 25।26 वातानुकूल । पश्चिम एक्सप्रैस गाडियों में ।

(2) मद्रास सेंट्रल और नयी दिल्ली के बीच 1-1-73 से 15।16 ग्रेड ट्रंक वातानुकूल एक्सप्रैस गाडियों में ।

(3) मुगलसराय और दिल्ली के बीच 1-7-1973 से 1/2 डाक गाडियों में।

(4) समस्तीपुर औच नयी दिल्ली के बीच 2-10-1973 से 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रस गाडियों में।

(5) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच 26.7.74 से 31/32 जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाडियों में।

लम्बी दूरी की अन्य महत्वपूर्ण गाडियों में भी इस योजना का उत्तरोत्तर विस्तार करने का प्रस्ताव है।

रेलवे के भोजनालयों में खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

6185. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के दौरान रेलवे के रेस्तरां में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने गुना तथा किस सीमा तक;

(ग) रेलवे भोजनालयों में भोजन के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) 1973-74 में कुछ मदों की दरों में केवल एक बार अर्थात् 1.12.1973 को संशोधन किया गया। जितनी वृद्धि की गयी वह संलग्न विवरण में बतायी गयी है।

(ग) और (घ) खान-पान के स्तर में सुधार करने के लिए रेलें सदैव प्रयास करती है सामान्यत: किस्म में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है:—

(i) अच्छे किस्म का भोजन परोसा जाय, इसे सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निरीक्षण किये जाते हैं।

(ii) लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाडियों में परम्परागत भोजनयान सेवा के बदले उत्तरोत्तर "परोसने के लिए तैयार" भोजन की प्रणाली अपनायी जा रही है। यह भोजन मार्गवर्ती विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित आधुनिक भोजनालयों में तैयार होता है ताकि यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक साफ सुथारी स्थिति में तैयार किया गया और अच्छे किस्म का भोजन दिया जा सके।

(iii) विभिन्न विभागीय यूनिटों में आधुनिक पाक-तकनीकी और उपकरणों का अपनाया जाना जैसे गर्म पेटियों, इन्सूलेटेड, ट्रालियां इडली पीसने का उपस्कर, रेफ्रीजटरों, निष्किटकों, धोने की मशीनों आदि की व्यवस्था।

(iv) विभागीय खान-पान स्थानाओं में नियोजित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देना।

(v) सभी शिकायतों की अच्छी तरह से जांच तथा इसके बाद दोषी कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध निवारक तथा दंडात्मक कार्रवाई करना।

(vi) विभागीय खान-पान यूनिटों के लिए अच्छे किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लाई सुनिश्चित की जाती है।

विवरण

	1-12-1973 से पहले की दर		1-12-1973 से संशोधित दर	
(क) और (ख)	रु०	पै०	रु०	पै०
(क) मानक थाली भोजन				
(i) शाकाहारी	1	50	2	00
(ii) सामिष	2	10	2	50
(ख) परोसने के लिए तैयार भोजन				
(i) शाकाहारी	2	00	2	50
(ii) सामिष	2	00	2	50
(ग) पश्चिमी ढंग का				
(i) नाश्ता (शाकाहारी और सामिष)	3	50	4	00
(ii) दोपहर/रात्री का भोजन				
(क) शाकाहारी	4	50	5	50
(ख) सामिष	5	50	6	50
(क) स्थैतिक यूनिटें				
(i) चाय-प्याला पाट		25		30
		50		60
(ii) काफी प्याला पाट		30		35
		60		70
(ख) चल यूनिटें				
(i) चाय ट्रे में (285 मि० का पाट)		60		70
(ii) काफी ट्रे में (285 मि० का पाट)		70		80

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) रेलवे में रेलवे गार्डों द्वारा अचानक हड़ताल

6186. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड सब-डिवीजन में रेलवे गार्डों नें 3 मार्च, 1974 को अचानक हडताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे गार्डों की की संख्या कितनी है जो इस हडताल के बाव-जूद काम पर आये थे;

(ग) हडताल करने के मुख्य कारण क्या थे और हडताली गार्डों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी गार्डों ने हडताल में भाग नहीं लिया था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां 2 और 3 मार्च, 1974 को ।

(ख) 118

(ग) कथित सामूहिक अनुपस्थिति का मुख्य कारण यह बताया गया था कि गार्ड ग्रेड 'ए' के पद पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों के विशेष आरक्षण के रोस्टर पर अमल नहीं हुआ। संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी नोटिस दिया गया था कि उनकी अनुपस्थिति की अवधि को "काम नहीं तो वेतन नहीं" माना जायेगा और उनको अन्य परिणाम भी भुगतानें पड़ेंगे।

(घ) उन्होनें हड़ताल में भाग नहीं लिया।

उड़ीसा को रेंगुली परियोजना का निष्पादन

6188. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा को रेंगूली परियोजना का निष्पादन करने हेतु चालू वर्ष में कुल कितनी राशि नियत की गयी है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए निर्माण का क्या विशेष कार्यक्रम है और बांध के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उडीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होनें 1974-75 में रेल परियोजना के लिए 5 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है और चालू वर्ष के लिए बनाया गया परियोजना संबंधी व्यय कार्यक्रम निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

1. प्रारंभिक कार्य	3.00
2. भवन	85.00
3. बांध	98.00
4. सिंचाई अनुसंधान	37.37
5. पुनर्वास	64.22
6. संचार	20.00
7. फुटकर कार्य	7.18

बांध को 1979—80 में पूरा करने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजना में उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

6189. **श्री गजाधर माझी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा राज्य में पांचवी योजना में शुरू की जाने वाली बडी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उडीसा की पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

Setting up of Soda Manufacturing Factories

6190. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of soda manufacturing units proposed to be set up in public joint and private sectors in the country during 1974-75; and

(b) whether any licence or letter of intent has been issued to anybody for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) It is presumed that the Hon. Member's question refers to soda ash manufacturing units.

A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Eight letters of intent/industrial licences have been issued for setting up new units of soda ash as per details below:—

Sl. No.	Name of the firm	Date of letter of intent/ industrial licence	Location	Capacity (Tonnes/ annum)
1	Maharashtra Co-operative Fertilizer; & Chemicals, Bombay.	13-10-1969 Letter of Intent	Tarapore (Maharashtra)	66,000
2.	Tuticorin Chemicals Ltd., Tuticorin.	18-1-1971 Letter of Intent	Tuticorin Tamilnadu	66,000
3.	Punjab State Industrial Dev. Corpn., Bhatinda.	23-12-1971 Letter of Intent	Bhatinda Punjab	60,000
4.	Orissa Industrial Dev. Corporation, Paradeep, Orissa.	23-12-1971 Letter of Intent	Paradeep Orissa.	60,000
5.	Shri A. C. Gulati, Kota, Rajasthan.	23-12-1971 Letter of Intent	Kotah Rajasthan	66,000
6.	Rajasthan State Industrial Development Corporation, Jaipur.	23-12-1971 Letter of Intent	Rajasthan	66,000
7.	Kerala Industrial Development Corporation Udyogmandal.	23-12-1971 Letter of Intent	Udyogmandal Kerala	73,000
8.	Fertilizers Corporation of India (Haldia Fertilizers), Haldia, West Bengal.	27-12-1971 Industrial Licence	Haldia (West Bengal)	60,000

Construction of major Irrigation projects in M.P.

6191. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of major irrigation projects under construction in Madhya Pradesh; at present; and

(b) the time by which they will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Five major irrigation projects *viz*. Chambal Stages I & II, Tawa, Barna, Hasdeo Right Bank Canal and Mahanadi Reservoir are under construction in Madhya Pradesh.

(b) All these projects are likely to be completed during the Fifth Plan.

भांप के इंजिनों का चलते रहने का समय

6192. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप इंजनों के चलते रहने का कोई समय निर्धारित है और यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के इंजिनों के बारे में वह क्या है ;

(ख) क्या रेलवे में विशेषकर, पूर्व रेलवे में, अनेक ऐसे इंजन अभी चल रहे हैं जिनके कार्य की अवधि समाप्त हो चुकी है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप चलते समय ये इंजन प्राय: खराब हो जाते हैं जिससे गाड़ियों के आने जाने में विलम्ब होता है और इसके कारण यात्रियों को कठिनाई होती है ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्व रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में ऐसे कितने इंजन चलाये जा रहे हैं जिनका समय समाप्त हो चुका है और उनके स्थान पर नये इंजन लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भाप रेल इंजनों की कोई कोटि-वार जीवनावधि निश्चित नहीं की गई है । भाप रेल इंजनों की सामान्य जीवनावधि 40 वर्ष है यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है कि यह अवधि पुरी करने पर उन्हे सूची से हटा दिया जायेगा ।

(ख) जी हाँ । विभिन्न रेलों पर जिनमे पूर्व रेलवे भी शामिल है, गतायु भाप रेल इंजनों की संख्या 783 है । यह संख्या भारतीय रेलों पर भाप रेल इंजनों की कुल संख्या का लगभग 9 प्रतिशत है ।

(ग) गतायु भाप रेल इंजनों का उयोग आमतौर पर आपेक्षाकृत कम महत्व की सेवाओं में किया जाता है, जसे शंटीग और मार्गदर्शी सेवाएं आदि । लेकिन पूर्व रेलवे पर 31 गतायु भाप रेल इंजनों का उपयोग सवारी गाड़ियों मे किया जा रह है । सवारी गाड़ियों मे उपयोग के लिए इनका समुचित पुनःस्थापन किया गया है । ऐसे इंजनों के खराब हो जाने का कारण गतायु नहीं है बल्कि परिचालन, अनुरक्षण और मानवीय आदि विभिन्न कारण है । उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते है ।

(घ) पूर्व रेलवे पर उपयोग में लाये जाने वाले गतायु भाप रेल इंजनों की मंडलवार संख्या निचे बताई गयी है :—

मण्डल	गतायु रेल इंजनों की संख्या
सियालदह	31
हवड़ा	92
आसनसोल	91
धनबाद	82
दानापुर	22

गतायु भाप इंचनों को हटा कर उनकी जगह किसी दूसरी कोटी के भाप रेल इंजन अथवा डीजल रेल इंजन चलाने का काम एक चरण बद्ध कर्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। तेल संकट के परिणामस्वरूप भाप रेल इंजन अधिकतम संख्या में, और यहां तक कि 40 वर्ष से अधिक आयु के इंजन भी उपयोग में लाये जा रहे हैं और उपलब्ध साधनों के अंतर्गत उनके पुनःस्थापन की व्यवस्था की जा रही है।

कर्नाटक द्वारा कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाना

6193. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट के कुछ बातों को उच्चतम न्यायालय में उठाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई 2 अप्रैल, 1974 को की गई थी और न्यायालय ने याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को उत्तर न देने के कारण फर्मों को जुर्माना

6194. **श्री तरुण गोगोई :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चार कम्पनियों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को उत्तर न भेजने के कारण जुर्माना किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना जुर्माना किया गया है और उन फर्मों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि इन फर्मों द्वारा समय पर जुर्माना नहीं दिया जाता तो अन्य क्या दण्ड देने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) कोई जुर्माना नहीं किया गया था, परन्तु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अपने दिनांक 5 मार्च, 1974 के आदेश द्वारा :—

(1) मे० जे० के० सिन्थैटिक्स, कानपुर,

(2) मे० गारवेयर नायलौन लि०, बम्बई

(3) मे० निर्लोन सिन्थैटिक्स फिब्रि एण्ड केमिकल्स लि०, बम्बई और

(4) मे० मोदी पान लि०, मोदी नगर (उ० प्र०)

नामक चार उत्तरवादियों में से प्रत्येक को, 250 रु० के हिसाब से मासिक लागतें, रजिस्ट्रार निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध, को देने का निदश दिया था।

(ग) आयोग ने लागतों की देनदारी के लिये कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की है, अतएव, यदि य अदायगी समुचित समय सीमान्तर्गत नही होती तो अयोग, इन लागतों के प्राप्त करने के लिए, की जाने वाली आगे की कार्यवाही के बारे में ठीक समय पर विचार करेगा।

ईरान द्वारा भारत को अशोधित तेल की सप्लाई

6195. श्री तरुण गोगोई :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से उस अशोधित तेल की सप्लाई शुरू हो गई है जिसके बारे में विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या 2, 50,000 टन अशोधित तेल शीघ्र भारत पहुंच जाएगा; और

(ग) क्या यह पहले सप्लाई किये गये अशोधित तेल के अतिरिक्त होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में हर तिमाही के अन्दर 2,50,000 टन अशोधित तेल का आयात कर रहा होगा।

(ग) जी, हां।

गुजरात राज्य के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण हेतु राशि का नियतन

6196. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में गुजरात राज्य के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण हेतु कितनी राशि का नियतन किया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में गुजरात राज्य को अब तक पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गयी है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक गुजरात के कितने गांवों में बिजली लगायी गयी और शेष कितने गांवों में बिजली लगायी जानी है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए गुजरात को 6.00 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी । पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावित आबंटन 10.00 करोड़ रुपये का है । राज्य योजनाओं में उपर्युक्त आबंटन के अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्ड को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम से भी सहायता उपलब्ध होती है । चतुर्थ योजना के दौरान गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की 27 स्कीमों को जिसमें 1235.235 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है, इस निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था । पांचवीं योजना के दौरान भी इसी तरह की सहायता उपलब्ध होगी ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की जाती । बहरहाल गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण की गति बहुत से अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत अच्छी है । 31-1-1974 को राज्य में 30 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था । उस तिथि को ग्राम विद्युतीकरण की अखिल भारतीय औसत केवल 26.4% है ।

(ग) गुजरात में 18584 ग्राम हैं । 31-1-1974 तक 5577 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे । चतुर्थ योजना के अन्त अर्थात् 31-3-1974 तक 5850 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित था । ऐसी संभावना है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यह संख्या 6880 तक पहुंच जाएगी । शेष 11704 ग्रामों के विद्युतीकरण पांचवीं योजना के पश्चात् होने की संभावना है ।

रेलवे गार्डों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के बाद उनकी शिकायतों पर विचार किया जाना

6197. **श्री प्रसन्नभाई महता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे गार्डों की शिकायतों पर विचार करने के लिए सहमत होने के पश्चात् रेलवे गार्डों ने अभी हाल में अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन समाप्त करने के बाद, रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली में उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और क्या कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस बात पर सहमत हो जाने के बाद कि वेतन आयोग की सिफारिशों में बताई गयी असंगतियों की जांच की जायेगी, आन्दोलन में भाग लेने वाले गार्डों को सताया नहीं जायेगा और साथ ही आन्दोलन की अवधि को 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के आधार पर माना जायेगा, आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप रेल कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि का भुगतान

6198. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के पश्चात रेलवे ने अपने कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वेतन-मान और भत्तों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को अमल में लाया जा रहा है। चूंकि वेतन के अन्तिम रूप से निर्धारण, बकाया राशि की संगणना और उसके भुगतान की प्रक्रिया में कुछ समय लगने की सम्भावना थी, इसलिए श्रेणी IV और III के रेल कर्मचारियों को बकाया राशि के रूप में क्रमशः 100 और 150 रुपये का 'लेखागत' एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, इस बात को देखते हुए कि सरकार ने संशोधित वेतन-मानों के लिए विकल्प देने की अवधि हाल में तीन महीने से बढ़ाकर पांच महीने कर दी है, आशा है कि अधिकांश रेल कर्मचारियों को अगले चार-छः महीनों के बीच वेतन और भत्ते की पूरी बकाया राशि का भुगतान हो जायेगा।

राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं की लाभप्रदता

6199. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है और यह पाया है कि राज्यों में अत्यधिक लागत पर लगायी गयी अधिकांश सिंचाई परियोजना अलाभकर सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने सिंचाई परियोजनाओं से लाभ अर्जित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं, और इस प्रकार की परियोजनाओं के आर्थिक पहलुओं का मुल्यांकन लाभ-लागत अनुपात की धारणा पर किया जाता है। सामान्यतया, शुरू की गई सभी सिंचाई परियोजनाओं का लाभ-लागत अनुपात अनुकुल रहा है। बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा प्रभारित जल की कम दरों परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण की लागत में हो रही वृद्धि और निर्मित शक्यता के समुपयोजन में कमी के कारण सरकार का राजस्व उत्तरोत्तर व्यय से कम होता जा रहा है और इस संदर्भ में सरकार के राजस्व में हानि हुई।

(ख) और (ग) 1967–68 अद्यतन वर्ष है जिसके ब्यौरे उपलब्ध हैं और इसमें मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में क्रमशः 12 लाख रुपये और 101 लाख रुपये का लाभ होने की सूचना मिली है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल उत्पादक देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

6200. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री निहार लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल समृद्ध देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों को सुविधाएं देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत ने नायजीरिया के अधिकारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य किन देशों को ऐसी सुविधायें दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) संयुक्त राष्ट्रों से अनुरोध पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने घाना से एक पेट्रोलियम भूगर्भ वैज्ञानिक को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। इस संबंध में दूसरा कोई अनुरोध नहीं है।

वार्ता असफल रहने के कारण रेलवे के सुपरवाइजरों द्वारा आंदोलन को जारी रखना

6201. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों तथा इण्डियन रेलवेज़ सुपरवाइज़र्स एसोसियेशन में वार्ता के असफल रहने के कारण रेलवे सूपरवाइज़र अपना आन्दोलन जारी रखेंगे।

(ख) वार्ता के असफल होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस आन्दोलन से देश में रेल सेवाओं में बाधा पड़ती रहेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कर्मचारियों ने आन्दोलन समाप्त कर दिया है।

विद्युत परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कार्यवाही

6202. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) विद्युत के उत्पादन के संबंध में प्रबंध परियोजना, निर्माण सामग्री उपयोग और धन लगाने की पद्धतियों में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्यत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये / किये जा रहे हैं :–

(1) जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों संयंत्रों के संबंध में फुटकर पुर्जों की पर्याप्त अपूर्ति सुनिश्चित करने और सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम का अनुपालन करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी जा चुकी है। जहां भी आवश्यकता होती है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से विशेषज्ञ सहायता भी दी जाती है।

(2) ताप संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :–

(1) पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त किस्म के कोयल और इधन तेल की सप्लाई और उसके परिवहन को सुनिश्चित करना।

(2) तीन अवस्था वाशरी मिड्लिंग्स तक उपयोग को सीमित करके (पूर्वी क्षेत्र में) वाशरी उपोत्पाद इधनों का प्रयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों के संबंध में ईंधन की किस्म में सुधार लाना।

(3) सुधार की संभाव्यताओं की जांच करने और उन पर सुझाव देने के लिये भारत सरकार द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों द्वारा दौरे करना।

(4) प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(3) आयात किये गये और स्वदेशी फुटकर पुर्जों की समय पर उपलब्धता और उपस्कर की मरम्मत के लिए सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत एक फुटकर पुर्जे और सेवा यूनिट का गठना किया जा रहा है।

(ख) विद्युत जनन, प्रबंध इत्यादि सहित विद्युत आपूर्ति उद्योग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

अपर कृष्णा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना माना जाना

6203. **श्री ए० के० कोत्रशट्टी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से अपर कृष्णा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का रूप दिये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अपर कृष्णा, परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में ले लेने को व्यावाहारिक समझती है, ताकि इस राज्य के सूखाग्रस्त भागों में परियोजना के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाई जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार केन्द्र द्वारा अपर कृष्णा परियोजना पर धन लगाने के लिए आग्रह कर रही है। बृहत सिंचाई परियोजनाओं पर धन लगाने के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने कई अवसरों पर विचार किया और अंतिम रूप से यह निर्णय लिया था कि सिंचाई परियोजनाएं राज्यों की विकासात्मक योजनाओं के भाग के रूप में रखी जानी जारी रहेंगी और राज्यों को कुल केन्द्रीय सहायता के 10 प्रतिशत का आबंटन चालू बृहत सिचाई और विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिट्टी के तल के मूल्य में अन्तर

6204. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये जा रहे मिट्टी के तेल के मूल्यों की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल पम्पों के द्वारा सप्लाई किये जा रहे मिट्टी क तेल का मूल्य अधिक होता है तथा उत्तर प्रदेश में इसका मूल्य कम होता है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण है; और

(ग) क्या इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भारत-भूटान करार

6205. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान में 84 करोड़ रुपये की लागत वाली चुखा जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भूटान सरकार के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। करार की एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6658/74]**

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा समेकित स्थानान्तरण नीति की मांग

6206. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने समूची भारतीय रेलवे में समेकित स्थानांतरण नीति (अर्थात लेंडर पोस्टिंग सिस्टम) लागू करने की मांग की है;

(ख) क्या अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा आन्दोलन करने के पश्चात इसे दिल्ली, बीकानेर, फिरोजपुर, जोधपुर तथा उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों में लागू कर दिया गया था;

(ग) क्या दिल्ली डीवीजन के डिवीजनल सुपरिटेन्डेट ने मान्यता प्राप्त संघों के कहने पर रेलवे बोर्ड को इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर रेलवे के सभी मण्डलों में समेकित स्थानांतरण प्रणाली किसी न किसी रूप में लागू रही है । इस प्रणाली में मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करन के पश्चात केवल कुछ संशोधन किये गये है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदपुर-कटवा (नैरोगेज लाइन) का रखरखाव

6207. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदपुर-कटवा, (नैरोगेज लाइन) के रेल पथ का रखरखाव तथा मरम्मत उचित रूप से की जाती है और लकड़ी के तख्तों को उचित रूप से बदला जाता है,

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कौन सी कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या इस रेल पथ की विद्यमान स्थिति के बारे में नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है; और यदि हां, तो हाल में किये गये निरीक्षण की मुख्य बातें क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। इसके परिणाम स्वरूप 1974-75 में पूरे 8 किलो मीटर रेल पथ का नवीकरण करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

भारतीय रेल निगम द्वारा ग्राहकों को सप्लाई किये जाने वाले तेल को मापने के लिये प्रबन्ध

6208. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने विभिन्न केन्द्रों में उपभोक्ताओं को बिक्री करते समय तेल को मापने के लिये अपना पृथक प्रबन्ध किया हुआ है;

(ख) क्या ग्राहक टैंक लारी क्षमता पर निर्भरता के कारण बेचने के लिये तेल को मापते समय भारतीय तेल निगम को व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर ठगा जा रहा है;

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रों में भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने के पश्चात् ग्राहक के स्वामित्व वाले टैंक में तेल की क्षमता क सम्बन्ध में मापांकन को बदल दिया जाता है; और

(घ) क्या इस प्रकार की ठगी को रोकने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों को तेल एवं माप विभागों द्वारा व्यासमापन तथा प्रमाणित किए जाने के आधार पर ग्राहकों को टैंक लारियों में तेल की मात्रा बेची जाती है। लेकिन भारतीय तेल निगम के फुटकर विक्रेताओं द्वारा अपने ग्राहकों को तेल वितरण पम्पों द्वारा बेचा जाता जाता है जिनका व्यासमापन, प्रमाणीकरण तथा सील करने का कार्य राज्य सरकारों के संबंधित तोल और माप विभागों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुल सप्लाई की प्रतिपरीक्षा उन टैंकों जिनमें से इन उत्पादों को दिया जाता है में मापक डूबाने के आधार पर की जाती है।

(ग) राज्य सरकारों के संबंधित तोल एवं माप विभागों के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जारी किया गया व्यासमापन परिमाण पत्र, भारतीय तेल निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता।

(घ) धोखेबाजी के किसी भी मामले के सामने आने पर भारतीय तेल निगम द्वारा उसका प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाता है।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य

6209. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में 2·3 मिलियन किलोवाट विद्युत् जनन क्षमता का योग करने का लक्ष्य है। यह 12 जल विद्युत् और 10 ताप विद्युत् संयंत्रों में होगी, जिन पर चौथी योजना के दौरान कार्य किया जाता रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य

6210. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, 422.5 मैगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के प्रति केवल 182.5 मैगावेट की उत्पादन क्षमता चालू हुई है। शेष 240 मैगावाट को पांचवीं योजना में लेजाया गया है ।

(ख) बालिमेला जल विद्युत परियोजना पर अतिरिक्त उत्पादन यूनिटों के चालू होने में देरी हुई है। लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त न करने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) पैन स्टाक के लिए बायलर गुणवत्ता की इस्पात प्लेटों की कमी, आक्सीजन और असेलीटेन गस सिलिंडरों की अपर्याप्त सप्लाई और मृदवाही मशीनों के लिए फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता ।

(2) रुसी विशेषज्ञों को स्थल पर पहुंचने में देरी ।

(3) एक टर्बाइन का मार्ग में खो जाना ।

(4) जनित्र कायल की क्षति ।

नई रेल लाइनों के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशें

6211. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले कुछ समय से आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य में कुछ नयी लाइनों के निर्माण के अभ्यावेदन देती आ रही है। ये प्रस्ताव और इनसे सम्बन्धित वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1. नागार्जुन सागर के रास्ते ओंगोल से हैदराबाद	सिकन्दराबाद (बीबीनगर) से नडिकुडे तक नई लाइन और गुंटूर-मंचर्गा खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यह लाइन नागार्जुन-सागर क्षत्र से गुजरेगी। इस सम्पूर्ण परियोजना को 1974–75 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
2. बेलाडिल्ला से कोडेगोदाम (भद्राचलम रोड)	पहले किये गये सर्वेक्षणों से पता चला था कि यह लाइन तभी औचित्यपूर्ण होगी जब दण्डकारण्य क्षेत्र में बडे पैमाने पर औद्योगिक विकास हो जिसके बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है ।
3. भद्राचलन–कव्बूर रोड	कुछ समय पहले जो व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किये गये थे और हाल में उनके जो अद्यतन आंकडे तैयार किये गये थे, उनसे पता चला था कि यह रेलवे लाइन बडी अलाभप्रद होगी। इसलिए इस लाइन पर विचार नहीं किया जा रहा ।
4. निजामाबाद–पेडपल्लि	पहले की गयी जांच पडताल से पता चला था कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से औचित्य पूर्ण नहीं होगी । फिर भी, पहले किए गये इंजीनियरिंग सर्वेक्षण को उद्यतन बनाने और रामगुडम से निजामाबाद तक की लाइन के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है । इस सर्वेक्षण को 1974-1975 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

रेल लाइनों के फिर से बिछाने/मरम्मत करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशें

6212. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने किन्हीं रेल लाइनों को फिर से बिछाने मरम्मत कराने के बारे में सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो कितने मील की दूरी के लिये इस प्रकार के कार्य का सुझाव दिया गया है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में वायरलेस आपरेटरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

6213. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में मदुराई में वायरलेस आपरेटरों को दिसंबर 1972 तक श्रम प्रधान कर्मचारी समझ लिया गया था और उन्हें समयोपरि भत्ता दिया गया था;

(ख) क्या उसी मद्रास-मदुराई टैली-प्रिंटर लिंक के दूसरे छोर मद्रास में काम करने वाले वायरलैस आपरेटरों को दिसंबर 1972 तक समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कार्य घंटा विनियमों को विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार मद्रास के वायरलेस आपरेटर के कार्यभार के सम्बन्ध में किये गये कार्य विश्लेषण के परिणाम के आधार पर वहां काम करने वाले वायरलैस आपरेटरों का पुनर्वर्गीकरण 20-8-1970 से 'सतत' कर्मचारियों के रूप में कर दिया गया था और उन्हें इस तारीख तक आवश्यक समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया था। किंतु मदुरै में काम करने वाले इस तरह के कर्मचारियों की काम की स्थिति भिन्न थी तथा इन कर्मचारियों को 'सतत' के रूप में 16-12-1972 से पुनः वर्गीकृत किया गया था। ऐसा कर्मचारियों का एक समान किफायती प्रतियान तैयार करने और उनके कार्यभार का मूल्यांकन करने के बाद किया गया था। अतः मदुरै के इन कर्मचारियों को उसी तारीख तक समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया जिस तारीख को उनक वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया था।

भारतीय रेलवे के वायरलेस आपरेटरों के संबंध में संशोधित वेतनमानों में स्थिरता

6214. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय रेलों के वायरलैस आपरेटरों को, जो 1 जनवरी 1972 से पूर्व अधिकृत वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके थे तृतीय वेतन आयोग के द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतन मानों में 2 जनवरी 1973 से वेतन वृद्धियां दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उन वायरलैस आपरेटरों की रेलवे बार संख्या क्या है, जो 2 जनवरी 1975 को 330–560 रुपये के संशोधित वेतनमान में अधिकतम सीमा पर पहुंच जायेंगे; और

(घ) उन वायरलेस आपरेटर को वेतन वृद्धि स्थिरता से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है जो संशोधित वेतनमान में 2 जनवरी 1975 को अधिकतम सीमा पर पहुंच जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) रेलों को आदेश दिये जा चुके हैं कि वायरलैस आपरेटरों सहित श्रेणी ii, iii और iv के ऐसे सभी कर्मचारियों को जो 1 जनवरी, 1973 को एक वर्ष से अधिक समय तक अपने मौजूदा वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं, संशोधित वेतनमान में 2 जनवरी, 1973 से अगली वेतनवृद्धि दे दी जाये।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) संशोधित वेतनमान को लागू करने के फलस्वरूप अवरोध वतन वृद्धियां-मंजूर करने की परिपाटी को कायम रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

वायरलैस आपरेटरों के सम्बन्ध में जिनके किसी विशेष तारीख को अपने ग्रेड के अधिकतम पर पहुंच जाने की संभावना है, कोई विशेष कारवाई करने का विचार नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रलवे क दार्जिलिंग हिमालियन सैक्शन का अनुरक्षण

6215. श्री डी० क० पंडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग के लोगों से दिनांक 16 जनवरी, 1974 का कोई ज्ञापन मिला है जिसमें पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के दार्जिलिंग हिमालियन सैक्शन के संचालन तथा उसके अनुरक्षण का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन की मांगों तथा उसमें दिये गये सुझावों का परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में जो मुख्य बातें कही गयी हैं वे ये हैं : दार्जिलिंग हिमालियन खण्ड के कार्य निष्पादन में रेलों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसकी हानि को कम करने के लिए यथेष्ठ उपाय किये जाने चाहिए, यह सुनिश्चित करने क लिए कि सडक परिवहन के पर्मिट अंधाधुंद और रेलों को हानि पहुंचा कर जारी न किये जायें, राज्य सरकार से सम्पर्क रखा जाये। और आगे मांग की गयी है कि दार्जिलिंग हिमालीयन खण्ड को कोयले के लदान के लिए न्यू जलपाईगुडी में एक साइडिंग होनी चाहिए, परेषणों के भेजने में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जाय और खण्ड पर चल रहे माल डिब्बों को बदला जाय।

(ग) और (घ) ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न मांगों/सुझावों पर विचार किया जा रहा है। अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करके, सेवाओं में सुधार व्यापारियों और राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करके और लाईन के संचालन में खर्च को कम करके दार्जिलिंग–हिमालीयन खण्ड को अर्थक्षम बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

नीलाम्बूर-शोरानूर रेलवे लाइन का कालीकट तक विस्तार

6216. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे की नीलांबूर-शोरानूर रेलवे घाटे पर चल रही है, और

(ख) क्या सरकार इसे लाभदायक बनाने के लिये कालीकट तक इसका विस्तार करने हेतु सर्वेक्षण करने के आदेश देगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) कठिन वित्तीय स्थिति और बहुत कम यातायात की संभावना को देखते हुए इस सुझाव पर विचार करना कठिन होगा।

केरल के मालाबार भाग में मेलाटूर-फैरोक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

6217. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केरल के मालाबार भाग में कोई नई रेलवे लाइन बिछाई गई थी ; और

(ख) क्या सरकार ने मेलाटूर फेरोक रेलवे का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है जो शोरानूर नीलाम्बूर रेलवे लाइन को जारी रखना मात्र है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली क्षेत्र में रेलवे के श्रेणी I, II, III तथा IV के कर्मचारियों के पास क्वार्टर

6218. **श्री राम प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रेणी I तथा II रेलवे अधिकारियों के पास सरकारी क्वार्टरों है कितने प्रतिशत श्रेणी III तथा IV के कर्मचारी दिल्ली क्षेत्र में रेलवे क्वार्टरों में रह रहे है,

(ख) ऐसे क्वार्टरों की संख्या क्या है, जो पहले श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए बनाये गये थे और बाद में अधिकारियो के अलाट करने हेतु इनका दर्जा बढाया गया,

(ग) दिल्ली क्षेत्र में श्रेणी I, II, III तथा IV के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन करने में कितना समय लगता है : और

(घ) उन क्वार्टरों का दर्जा घटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है जिनका दर्जा पहले बढा दिया गया था?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) श्रेणी I के अधिकारी 88 प्रतिशत

(ii) श्रेणी II के अधिकारी 80 प्रतिशत

(iii) श्रेणी III के कर्मचारी

(क) अनिवार्य कोटि 66 प्रतिशत

(ख) गैर-अनिवार्य कोटि 16 प्रतिशत

(iv) श्रेणी IV के कर्मचारी

(क) अनिवार्य कोटि 33 प्रतिशत

(ख) गैर-अनिवार्य कोटि 22 प्रतिशत

(ख) 126

(ग) (i) श्रेणी I के अधिकारी-6 महीने से $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक । यह उनके ग्रेड पर निर्भर करता है ।

(ii) श्रेणी II के अधिकारी लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्ष

(iii)	टाइप III और उससे उपर	टाइप II
अनिवार्य कोटि . . .	1 वर्ष	9 से 10 वर्ष
गैर-अनिवार्य कोटि . . .	12 वर्ष	20 से 22 वर्ष

(iv) श्रेणी IV के कर्मचारी

अनिवार्य कोटि	1 से 12 वर्ष तक
गैर-अनिवार्य कोटि	20 से 25 वर्ष तक

(घ) अधिकारियों द्वारा खाली किये जाने के बाद क्वार्टरों का दर्जा घटाया जा रहा है ।

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के 1971 तथा 1972 कि निर्वाचनों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय

6219. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 तथा 1972 के लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पृथक्-पृथक् कितना व्यय किया गया ; और

(ख) क्या खर्चे को कम करने के लिए लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के आगामी निर्वाचनों को साथ-साथ कराने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6659/74]**

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का कराना संबंधित सदनो की अवधि पर और अन्य ऐसे तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिनके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भारतीय रेलवे के यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों के अधिकारियों का स्थायी करण

6220. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के यातायात तथा वाणिज्यिक विभागों के बहुत से अधिकारियों को जिनकी भर्ती वर्ष 1957 तथा 1958 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी अभी स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं । इस तरह के केवल 5 अस्थायी अधिकारियों को स्थायी किया जाना बाकी है ; 37 को स्थायी किया जा चुका है। इन पांच अधिकारियों को स्थायी करने के मामले पर अतीत में विचार किया गया था लेकिन उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया । तथापि, उनके मामले पर इस वर्ष फिर विचार किया जायेगा ।

भारतीय रेलवे के बारे में गृह मंत्रालय से जारी आदेशों का लागू किया जाना

6221. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग से सेवा शर्तों के बारे में जारी किये गये आदेश भारतीय रेलवे में लागू नहीं होते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 91/5/72 दिनांक 22 फरवरी, 1972 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश रेलवे में भी लागू किये गये हैं तथा वर्ष 1957 और 1958 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अस्थायी रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नियमित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण को छोड़कर ।

(ख) रेल सेवाएं अन्य सिविल सेवाओं से पृथक हैं और उनकी सेवा की शर्तों का विनियम न करने के लिए अलग नियम/आदेश हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कमर्शियल क्लर्कों के प्रतिनिधिमंडल की 12 नवम्बर, 1973 की रेलवे बोर्ड के मेम्बर (स्टाफ) से वार्ता

6222. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1973 को रेल भवन में श्री चन्द्रिकाप्रसाद संसदीय सदस्य के साथ कमर्शियल क्लर्कों के प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे के मेम्बर (स्टाफ) से भेंट की तथा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया ;

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सलंग्न है जिसमें उनकी मांगों का सार दिया गया है ।

(ग) जहां तक संलग्न विवरण की मद (1) और (2) का सम्बन्ध है वेतन आयोग ने वाणिज्यिक क्लर्कों के संशोधित वेतनमानों की सिफारिश करते समय उन तर्कों की ओर उचित ध्यान दिया था जो कर्मचारियों की इस कोटि का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ने अपने इस दावे के पक्ष में दिये थे कि उनके दायित्वों को देखते हुए उन्हें ऊंचे वेतनमान दिये जाने का औचित्य है । सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर मान लिया है और इन सिफारिशों को लागू किये जाने से यदि कोई असंगतियां पैदा होंगी तो उनकी जांच विभागीय परिषद की एक उप समिति द्वारा की जायेगी जो इस प्रयोजन के लिए गठित की जा रही हैं ।

वेतन आयोग ने मद (3) पर दर्ज मांग की भी विशेष रुप से जांच की है । आयोग ने कहा है कि उसे वाणिज्यिक विभाग के कार्यालय क्लर्कों को वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था में कोई आपत्तिजनक बात दिखायी नहीं देती क्योंकि उसका विचार है कि पदोन्नतियों को अत्यंत सीमित कर देना वांछनीय नहीं है ।

जहां तक मद (4) का सम्बन्ध है, वेतन आयोग ने इस बात की अलग से सिफारिश की है कि श्रेणी iii के विभिन्न संवर्गों में पदक्रमों के अनुसार पदों के वितरण की समीक्षा युक्तिसंगत आधार पर की जानी चाहिए । इस दिशा में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और आशा है कि इस के परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसरों में सुधार होगा । इस समय उन कर्मचारियों की सिद्धता वेतन वृद्धि दी जाती है जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर दो वर्षों से अधिक समय से रुके पड़े होते हैं । इस प्रणाली को वेतन के संशोधित ढांचे में भी जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । स्पष्टतः मात्र वाणिज्यिक क्लर्कों को किसी खास तरह की राहत नहीं दी जा सकती ।

जहां तक मद (5) का सम्बन्ध है जिन कर्मचारियों को डाक्टरी आधार पर उनकी कोटि से बाहर किया गया हो उनके हितों की देख-भाल करनी होगी ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में वर्तमान नियम समाहित किये जाने वाली सभी कोटियों पर समान रुप से लागू होते हैं जिनमें वाणिज्यिक क्लर्क भी शामिल हैं । जहां इन नियमों में संशोधन करना सम्भव नहीं होगा वहां कोटि से बाहर किये जाने वाले कर्मचारियो को और अधिक कोटियों में समाहित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि समाहित की जाने वाली किसी कोटि में कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों पर खास प्रभाव न पड़े ।

विवरण

(1) वाणिज्यिक क्लर्कों के कर्मों तथा उनकी जिम्मेदारियों की तुलना कार्यालय क्लर्कों के साथ नहीं की जानी चाहिए।

(2) वाणिज्यिक क्लर्कों का वेतन ढांचा स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन ढांचे के समान होना चाहिए।

(3) कार्यालय क्लर्कों को वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के अवसर नहीं दिये जाने चाहिए।

(4) संशोधित वेतनमानों में रुद्धता से बचने के उद्देश्य से जिन वाणिज्यिक क्लर्कों का वेतन किसी खास संशोधित वेतन मान में किसी ऐसे स्तर पर निश्चित किया जाना हो जो अगले ऊंचे वेतनमानों के न्यूनतम से ऊंचा हो तो उसे वह ऊंचा वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(5) कोटि से बाहर किये जाने वाले जिन कर्मचारियों को किसी अन्य कोटि में समाहित किया जाता है उनकी वरिष्ठता उस पदक्रम में वर्तमान सभी कर्मचारियों से नीचे निश्चित की जानी चाहिए।

अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क संघ की मिरज शाखा द्वारा उठाये गये मामले की जांच

6223. श्री पन्नालाल बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क संघ की मिराज शाखा द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करने के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें जांच करने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या जांच अब तक पूरी हो चुकी है ; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) अखिल भारतीय रेलवे कर्मशियल क्लर्क संघ से प्रात पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक, हुबली और सहायक सुरक्षा अधिकारी, हुबली।

(ख) जांच पूरी हो चुकी है। माल-निरीक्षक, मिरज और प्रधान रक्षक, मिरज इसके लिये उत्तरदायी ठहराये गये हैं और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

(ग) अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संघ के महासचिव से एक पत्र मिला था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि मिरज स्थित रेलवे सुरक्षा दल की तथाकथित धांधली की तुरन्त जांच की जाये। रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारियों के रवैये के विरुद्ध जनवरी, 1973 में एक पेम्फलेट निकाला गया था जिसकी प्रतिलिपि भी संलग्न थी। उक्त पत्र में जो प्रमुख बातें कही गयी हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. टी पी शेड के काम में तथाकथित बलपूर्वक दखल देना।
2. बिना किसी ठोस कारण के एक एक करके टी पी/शेड कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की चुनौती देना।
3. 22-1-73 को अकारण ही भापक्रेन कर्मचारियों को हिरारत में लेना और क्रेन का काम पंगु कर देना।

4. 22-1-72 को हवलदार रगिया ने माल निरीक्षक को उनके कार्यालय में ही अपमानित किया और उसके साथ मारपीट की।

5. रेलवे सुरक्षा दल, मिरज के उपनिरीक्षक श्री राम कृष्णैया ने कई बार माल निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया।

Railway lines in Bastar area during Fifth Five Year Plan

6224. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to lay a railway line in Bastar area during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) A Final Location Engineering Survey for Dhalli Rajhara-Jagdalpur railway line in Bastar area has been sanctioned and the survey work is in progress. The decision regarding inclusion of this project in the 5th Five Year Plan will be taken after the results of this survey are known.

दाहोद (पश्चिम रेलवे) में उपरि पुल का निर्माण

6225. **श्री लालजी भाई परमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दाहोद स्टेशन पर उपरिपुल बनाने के लिये बजट में कोई उपबन्ध किया गया था, परन्तु अब तक रखी गयी धनराशि जमा होती रही है ;

(ख) क्या इस प्रकार जमा हुई राशि को वर्ष 1974-75 में खर्च किया जायेगा ;

(ग) क्या उपरिपुल बनाने में कोई कठिनाइयां हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या और उन पर काबू पाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या गुजराथ की राज्य सरकार खर्च का अपना हिस्सा, जैसा, कि अपेक्षित है, देना स्वीकार कर लिया है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) क्या दाहोद नगर पालिका ने अपनी नगर सीमाओं में से होकर जाने वाली उप-सड़क बनाना स्वीकार कर लिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध पर दाहोद के समपार नं० 45 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य सर्वप्रथम पश्चिम रेलवे के 1964-65 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

बाद में राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि इस निर्माण कार्य को 1969-70 से आगे के लिए स्थगित कर दिया जाय क्योंकि ऊपरी पुल के स्थान-निर्धारण में उन्होंने कुछ कठिनाइयां महसूस की थीं। तदनुसार, इस कार्य को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम से हटा दिया गया।

राज्य सरकार ने इस निर्माण को 1972-73 में प्रारम्भ करने का फिर प्रस्ताव किया। तदनुसार सामान्य व्यवस्था, सरेखन और रेलवे तथा राज्य सरकार के बीच लागत के विभाजन अनुमान को अंतिम रुप दिया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जा सके। जैसे ही अपने हिस्से की लागत वहन करने का राज्य सरकार का अनुमोदन और पहुंच-मार्गों के निर्माण हेतु उसका कार्यक्रम प्राप्त होगा, इस काम को मंजूर एवं कार्यान्वित करने की आगे की कार्यवाई की जायेगी।

(ड.) इसके सम्बन्ध में रेलवे को कोई जानकारी नहीं है।

Official Language (Legislative) Commission

6226. Shri Yamuna Prasad Mandal: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the composition and main functions of Official Languages (Legislative) Commission;

(b) the terms and tenure of the offices of the Chairman, Members and Secretary of the Commission;

(c) whether the post of the Secretary has been lying vacant for the last one year and the Chairman has not been vested with any administrative powers; and

(d) if so, the arrangements being made for making regular appointments in the said Commission and for giving proper powers to its Chairman?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) In accordance with the Resolution of the Government of India in the Legislative Department, No. F. 39/61-Adm. I, dated the 8th June, 1961, the functions of the Official Language (Legislative) Commission shall be :—

(i) to prepare and publish a standard legal terminology for use, as far as possible in all official languages;

(ii) to prepare authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;

(iii) to prepare authoritative texts in Hindi of all rules, regulations and orders made by the Central Government under any Central Act or any such Ordinance or Regulation;

(iv) to arrange for the translation of Central Acts, Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and

(v) to perform such other duties as may be assigned to the Commission by the Government of India from time to time.

The Commission which is a Standing Commission of legal experts is constituted generally for a period of two years at a time and is reconstituted on the expiry of that period. The term of the previous Commission expired on the 31st March, 1974. It has been decided to reconstitute it for a further period of two years from the 1st April, 1974. The Commission will consist of a Chairman and 17 Members (5 Members for Hindi and one Member for each of the remaining language mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, except Sanskrit and Sindhi).

(b) and (c) The terms and conditions of the appointment of the Chairman and members of the present Commission are being finalised and a copy thereof will be laid on the Table of the House as early as possible. The post of Secretary in the Commission is at present vacant. The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance which undertook a work study of the Official Language (Legislative) Commission has recommended that there is no justification for a post of full-time Secretary in the Commission. No final decision on this recommendation has yet been taken.

The Chairman of the Commission has been given the necessary administrative powers to enable the Commission to perform the functions assigned to it satisfactorily.

(d) Does not arise.

टिकिट ट्यूबों से टिकटों के गुम होने और राशि को बुकिंग क्लर्कों के नामखाते में च ाना

6227. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन तथा प्रत्येक डिवीजन में टिकट ट्यूबों से टिकटोंके गुम होने तथा कोरे कागजों के टिकटों के गुम होने पर पृथक-पृथक कुल कितनी राशि बुकिंग क्लर्कों के नामखाते चढ़ायी गयी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6660/74**]

भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान

6228. **श्री पन्ना लाल बरूपाल** :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के वाणिज्यक कर्मचारियों ने नवम्बर, 1973 के महीने में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था तथा भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितने पोस्ट कार्ड प्राप्त हुये ;

(ग) वाणिज्यिक कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां; आन्दोलन और भूख हड़ताल केवल थोड़े से स्थानों पर किये गये। कितने पोस्ट कार्ड मिले इस बारे में ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है और इस बारे में सूचना इकट्ठी करना परिणामों के अनुरूप न होगा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वाणिज्यिक कर्मचारियों की मुख्य मांगें ये हैं :--

(i) प्वाइंट-दर-प्वाइंट वेतन निर्धारण के साथ 450-1200 रु० का निरन्तर वेतनमान।

(ii) पदनाम बदलकर वाणिज्यिक सहायक करना।

(iii) ऐवज़ी और विश्रामदाता कर्मचारियों की व्यवस्था करने के साथ-साथ रिक्त स्थानों को तुरन्त भरना।

(iv) उठाईगीरी, हानि या चोरी आदि के मामले में पूरा उत्तरदायित्व रेलवे सुरक्षा दल पर डालना।

(v) दावा क्षतिपूर्ति पर "एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति" और प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन।

(vi) क्वार्टरों के आबंटन के लिए अनिवार्य श्रेणी के कर्मचारी के रुप में मानना।

(vii) परिवहन कर्मचारियों से भिन्न स्वतंत्र कोटि मानना जैसा कि बहुत सी समितियों ने सिफारिश की है।

ऐसे मुद्दे मान्यता-प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं और स्थायी वार्तातंत्र तथा विभिन्न स्तरो पर संयुक्त वार्तातंत्र की बैठकों में विचारविमर्श द्वारा तय किये जाते हैं। साथ ही, गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों सहित किसी भी स्रोत से मिलने वाले अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और जो भी कार्रवाई ठीक समझी जाती है, की जाती है। प्रशासन के समक्ष जैसी भी मांगें रखी जाती हैं, उन पर वित्तीय संसाधनों, नियमों एवम् विनियमों के स्वरूप, मांगें मानने के लिए औचित्य और मांगों के मान लेने पर होने वाली प्रतिक्रियाओं जैसी बातों का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक सहानुभूति के साथ उन पर उचित विचार किया जाता है।

दिल्ली में भूमि के गलत ढंग से कथित आवंटन किये जाने के बारे में

RE. ALLEGED IRREGULAR ALLOTMENT OF LAND IN DELHI

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दिल्ली में भूमि-घोटाले के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैंने दूसरी सूचना दी है कि उप राज्यपाल . . .

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव के लिये उचित विषय नहीं है। अतः मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I have a Privilege Issue.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गम्भीर मामला है। इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I had given a notice on 29th March in this regard. I wanted to seek information under Adjournment Motion, Call Attention and Rule 377.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो दिन पूर्व इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। मुझे बताया गया था कि ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसमें कोई विवाद नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have also written to the Home Minister as well in this regard. Moreover when I had given the notice the matter was not sub-judice.

Mr. Speaker: When you had given the notice?

Shri Atal Bihari Vajpayee: On 29th. I had informed the Home Minister and Housing Minister on 28th. At that time it was not before the court.

अध्यक्ष महोदय : दो दिन पूर्व मुझे बताया गया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। आप केवल तथ्यों के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह ठीक है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है परन्तु मैं मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम केवल उस पर चर्चा चाहते हैं, जो कल समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणियां तो न्यायालय के विचाराधीन नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों के समाचार के संदर्भ में आप तथ्य पूछ सकते हैं । उसके बारे में मैंने नहीं रोका है ।

लखीसराय रेलवे स्टेशनपर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारीयों द्वारा संगीनों से कथित हमला किये जाने के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में अशुद्धता के बारे में

RE. INACCURACY IN MINISTER'S STATEMENT ON ALLEGED BAYONET CHARGE BY R. P. F. PERSONNEL AT LAKHISARAI RAILWAY STATION

Shri Madhu Limaye (Banka): The Hon. Railway Minister has tried to mislead the house in his statement about firing and Bayonet charges in Lakhi Sarai of District Monghyr. He has denied the bayonet charge, but the fact is that bayonets were penetrated into abdomen of boys aged 13-14 years. The Minister has accepted that children received punctured injuries. Medical authorities say that punctured injuries can be caused by bayonet charges but the Minister says that its causes are being investigated. When the investigations have not been completed how it can be said that injuries were not caused by bayonet charges. I visited the injured boys in the Hospital and in the presence of Doctors they stated that they were attacked with bayonets by R.P.F. and Railway Protection Force personnel.

In the circumstances whether the statement of the Minister is not misleading. This matter may be referred to the Privilege Committee.

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि मंत्री महोदय ने इस मामले में जानकारी नहीं दी । मुझे महा-सचिव ने अभी-अभी सूचित किया है कि उत्तर आज प्राप्त हुआ है ।

Shri Madhu Limaye: He has given wrong information. The matter may be referred to the Privilege Committee.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का उत्तर आज प्राप्त हुआ । मैं उसे पहले पढूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं । जब इस प्रकार का कोई विषय उठा दिया गया हो तो आपको तत्काल मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का आदेश देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी मैंने मंत्री महोदय को मामला निर्देशित कर दिया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप को ठीक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये । इस समय एक समान प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा । कई अवसरों पर विशेषाधिकार के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं । जैसा कि माडर्न बेकरीज के मामले में हुआ । परंतु कई बार स्वीकार नहीं किये जाते । हमारे विशेषाधिकार प्रस्तावों का हमें पता चलना चाहिये कि उनका क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। मैंने किसी विशेषाधिकार प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारे विशेषाधिकार प्रस्ताव के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

श्री एच० एम० पटेल (धाधुंका): श्रीमान लिमये ने यह मामला पहले भी उठाया था। माननीय मंत्री ने अपनी वक्तव्य में कहा कि गंभीर चोटें आईं परंतु संगीनों से नहीं। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार चोटें किसी तेज हथियार से ही आ सकती हैं। अतः मंत्री महोदय को इस बात का उत्तर देना चाहिये। यह किस आधार पर कहा जा रहा है कि संगीनों का प्रयोग नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह श्री मधु लिमये ने मुझे कहा कि उन्हें उत्तर नहीं मिला है अतः मंत्री महोदय से पूछा जाये। अब मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय ने अपना उत्तर भेज दिया है। मैंने उत्तर नहीं देखा। मुझे भी उसे देखने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है। परन्तु ऐसी अवस्था में यह किस आधार पर कहा गया है कि संगीनों से हमला नहीं हुआ। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उत्तर नहीं देखा है। मुझे वक्तव्य को देखने का अवसर दें।

प्रो० मधु दण्डवतें (राजापुर) : सदन में एक आरोप लगाया गया है और मंत्री महोदय भी सदन में उपस्थित हैं। उन्हें वक्तव्य देने को कहा जाना चाहिये।

Mr. Speaker : I must see the statement first.

Shri Madhu Limaye : It is a privilege issue because the hon. Minister is not giving facts.

Mr. Speaker : I have not seen the Statement.

मैं उसे देखने पर ही अपना निर्णय दूंगा।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। पहले सभी सदस्य बैठ जाएं और मेरी अनुमति से कोई भी न बोले।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I have a point of order. We who act obediently do not get a chance to speak.

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Madhu Limaye : Kindly allow me to make a submission. Later I will submit to your decisions.

Shri Shankar Dayal Singh : I want to raise a point of order but you are not allowing me. Kindly allow me.

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं भी श्री लिमये से बात कर रहा हूं।

Shri Shankar Dayal Singh: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: Let me first listen to him.

Shri Shankar Dayal Singh: I was on my legs before him therefore I should be allowed to put my point first.

Shri Madhu Limaye: Sir, let me first State facts. In my privilege notice on 1st April. You informed me that my notice had been sent to the hon. Minister and that a decision would be taken by you after receipt of reply from him. When I met you today. You wanted me to raise the issue as his reply was not received. Sir, now that a reply has been received ... (*Interruption*) only ten minutes back.

Mr. Speaker: Let me see it first.

Shri Madhu Limaye: When did I say that you have seen the reply. I was only saying that his reply of 3rd ... (*Interruption*). When you are not aware of its contents. Let him make a statement.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप के बिना देखे यह उनके पास कैसे भेज दिया गया?

अध्यक्ष महोदय : जब यह उत्तर आया, उस समय मैं यहां (सभा में) था । यह उत्तर दफ्तर में आया और सीधे उनके पास भेज दिया गया ।

श्री मधु लिमये : यह उत्तर तो आपको 3 अप्रैल को भेजा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप जब मेरे पास आए थे, तभी आपने कहा था कि अभी तक आप को उत्तर नहीं मिला है । मुझे भी अभी नहीं मिला है । इसे मेरे कक्ष में मेरी अनुपस्थिति के दौरान भेज दिया गया था । तब मैं यहा बैठा था इस लिए मैंने उसे नही देखा है । बिना देखे आप कैसे आशा करते है कि मैं अपनी राय उस पर दे दूं ?

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : श्री लिमये का कहना यह है कि आपके दफ्तर में यह उत्तर 3 अप्रैल को आ गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस की जांच करनी होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समय हमारे देश में अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है अतः मैं 40 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शंकर दयाल सिंह जी, आप बैठ जाएं । श्री बसु का मामला व्यवस्था का नहीं है अतः मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

I have permitted only one point of order which was raised by Shri Vajpayee. Others have not been allowed.

Shri Shankar Dayal Singh: I want your ruling on the following point of order. According to rule 350, 351, 352 and 361, all members should keep sitting while the speaker is on his legs and they should speak only when called by the chair to do so etc.

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि आपको अध्यक्ष के अधिकारों की इतनी चिन्ता है। I need not give my ruling on things like.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री लिमये के प्रश्न पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले वक्तव्य देख तो लूं।

श्री इन्दजीत गुप्त : उन्हें इसे पढ़ने तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह दफ्तर में पहुंच चुका है। इसे पढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। पहले मैं इसे देखूंगा।

सभा पटल पर रखें गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

1974-75 के लिये मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974-75 के लिये निम्न लिखित मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कृषि मंत्रालय,

(2) गृह मंत्रालय,

(3) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय,

(4) योजना मंत्रालय,

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग और

(6) एलैक्ट्रानिक्स विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6652/74]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति।

(एक) मोटरगाड़ी सहायक उद्योग की समीक्षा के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1973)।

(दो) दिनांक 29 मार्च, 1974 का सटारी संकल्प संख्या 11(1)——टार/73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि-में उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6653/74]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

39 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 39 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

103 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, 1970 के अध्याय पांच तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक का वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल)——राजस्व प्राप्तियां——के बारे में लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 103 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) दिल्ली में भूमि का गलत ढंग से आवंटन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to raise a matter of public interest under Rule 377. There is a society named New Friends Co-operative House Building Society in New Delhi and Lt. Governor of Delhi is its Chairman. On 25th January allotments of land to its 100 old members were cancelled on the pretext that they had not paid the arrears. On 26th January a permission was sought from Lt. Governor for enrolment of 100 new members. Although according to rules of Delhi Development Authority, new membership was not allowed after August, 1967. But

Lt. Governor did not care for the rules and gave permission for the same. There were 103 persons already on the waiting list and chance should have been given to them first. On 28th February new members were enrolled and land was allotted to them on 5th March at old rates. Each member was allotted 500 square yards. Home Secretary to the Government of India, Shri N. Mukherjee, Joint Secretary, Foreign Trade and Relations, Shri L. N. Saklani, Additional Secretary, Home Ministry, Shri Ashok Sen, Shri B. K. Nehru, Commissioner of Municipal Corporation, Shri B. R. Tamta and Shri Naresh Kumar Gujral were among the persons who were allotted plots in this way.

The matter has been referred to Supreme Court and the Court has permitted certain petitions for consideration. I want that the hon. Minister should place before the House all the facts concerning this matter. Such land grabbers should be produced in the court. I would like to ask some questions. Is it a fact that Lt. Governor of Delhi has misused his office? Is it also a fact that D. D. A's rules were ignored and Public Notice was not issued for enrolment of new members? Is it also a fact that new members who are related to political leaders or are V. I. P's were given land and 103 persons in the waiting list were not given chance to become members of the Society for which they were eligible and entitled?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक गम्भीर मामला है। यही कारण है कि उपराज्यपाल के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। क्या यह सच है कि उपराज्यपाल की पत्नी के नाम पहले से ही एक प्लाट है ? क्या यह सच है कि 60 आवंटनों में से 31 आवंटनों के लिए नाम-निर्देशन उपराज्यपाल द्वारा किया गया था और सूची में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम थे ? क्या यह भी सच है कि 60 व्यक्तियों में से 14 या 15 प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, श्री जगजीत सिंह के सम्बन्धी हैं ? क्या यह भी सच है कि एक महिला ने इस कार्य के लिए 50,000 रुपये उपराज्यपाल के विशेष सहायक श्री जैन को दिए थे ? क्या यह सच है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाह लिए बिना भवन-निर्माण की अनुमति दी है ? मैं इन सब प्रश्नों का गृह मंत्री से उत्तर चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उपराज्यपाल को शीघ्र ही मुअत्तिल कर दें और उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिन्होंने प्लाट प्राप्त करने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग किया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रकट किए गए निर्णयों पर विचार कर लिया है और क्या अनियमितताओं के बारे में जांच शुरु कर दी गई है और यदि जांच शुरु नहीं की गई है तो इस मामले में कब जांच शुरु करने का विचार है। इस मामले में केवल उपराज्यपाल ही नहीं बल्कि गृह सचिव भी अन्तर्ग्रस्त है। इसलिए दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, Sir, the affidavits entered by the Government are public documents and not sub-judice and therefore they should be make available.

(दो) जोधपुर में श्री नाथुराम मिर्धा के मकान पर हमले का समाचार

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu): I would like to draw the attention of the House towards the matter which is of concern for all the hon. Members. According to today's newspaper, the house of Shri Nathu Ram Mirdha, Member Parliament, was forcibly intruded on 6th April at 2 A.M. by the Fascist elements and his old mother was assaulted. This is a very serious matter. A question of community or caste is not involved in it. It will be wrong to give the matter a colour of conflict between Jat and Rajput. Assault was made by Fascist elements. Government's intelligence in the matter has failed.

Mr. Speaker : Please. Sit down.

डा० हरिप्रसाद शर्मा (अलवर) : इस प्रश्न का सम्बन्ध सदस्यों के मौलिक अधिकारों से हैं। यह एक गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य की 80 वर्षीय वृद्धा माता को चोटें पहुंचाई गईं और माननीय सदस्य के घर को आग लगा दी गई और फसलें जला दी गईं। हमारा संरक्षक होने के नाते आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): A parliamentary Committee should be set up to go into the matter.

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रकुमार गुजराल एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I rise on a point of order. During my speech, I referred to the name of Shri Naresh Kumar Gujral and not Shri I. K. Gujral.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि वह एक स्पष्टीकरण देना चाहते है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can he make personal explanation? I have not referred to his name.

Mr. Speaker : You have referred to his son's name.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : अप्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम लिया गया है। समाचार पत्रों में भी मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। वास्तविकता यह है कि मेरे पिता वर्ष 1958 में न्यू फ्रेंडस को आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सदस्य बने थे और सोसाइटी द्वारा समय समय पर मांगी गई राशि का भुगतान करते रहे। इस प्रकार वर्ष 1958 से 1968 तक उन्होंने 8,510 रुपये की राशि का भुगतान किया। वर्ष 1968 में सोसाइटी ने 1,250 रुपये मांगे थे और मेरे पिताजी ने उनको चैक भेजा था परन्तु सोसायटी ने यह बहाना करके कि चैक विलम्ब से मिला है चैक लौटा दिया और उन्हें दोषी ठहराया गया। तब उन्होंने दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण से मामले में हतस्क्षेप करने के लिए कहा लेकिन मामले पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका। फरवरी, 1974 में प्रबन्ध समिति ने उनके पौत्र श्री नरेश कुमार गुजराल को सदस्य बनाने की पेशकश की और पिताजी ने अपनी धनराशि सोसायटी से लेकर अपने पौत्र को दे दी और पौत्र, श्री नरेश कुमार गुजराल का नाम सदस्य के रूप में लिखा गया।

वर्ष 1971 में जब मैं निर्माण और आवास मंत्री था, तब राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने सोसाइटी के बारे में प्रश्न पुछा था मैंने प्रधानमंत्री को सम्बन्धित फाइल भेज दी और अनुरोध किया कि कोई और मंत्री इस मामले पर विचार करें क्योंकि मेरे पिता इस सोसाइटी के सदस्य हैं। तब श्री कृष्णचन्द्र पंत ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त मेरा पुत्र मुझ पर आश्रित नहीं है। वह 26 वर्ष का और चार्टर्ड एकाउन्टन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार मैंने सरकारी पद का किसी भी भांति दुरूपयोग नहीं किया।

अनुदानों की मांगे, 1974-75--जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75—*Contd,*

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम शिक्षा तथा समाज कल्याण और संकृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

***श्री माधुर्य हाल्दार** (मथुरापुर) : 'पीकाक रीडर' पुस्तक में गलतियों की भरमार है । शिक्षकों को पढ़ाने में कठिनाई होती है और छात्रों को गलत जानकारी मिलती है ।

भारत में शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है लेकिन सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया ।

शिक्षा के एक समान स्तर तथा एक समान पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर 600 रुपया व्यय किया जाता है जबकि माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत कम है । मेरा अनुरोध है कि इस राशि में वृद्धि की जाए ।

25 मार्च के 'युगान्तर' समाचार-पत्र में 'विश्वभारती' विश्वविद्यालय के बारे में आरोप लगाए गए है और यह कहा गया है कि 'शांतिनिकेतन' के उपकुलपति अपनी मनमानी कर रहे हैं और शांतिनिकेतन निहित स्वार्थ वाले तत्वों का केन्द्र बन गया है । 'विश्वभारती' के सभी विभाग निष्क्रिय हो चुके हैं और वहां निराशा और असंतोष का वातावरण छाया हुआ है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1971 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय पर 65 लाख रुपये व्यय किए गए है । वहां केवल 1,281 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । इससे लगता है कि बहुत ज्यादा फिजुलखर्ची की गई हैं । दूसरी ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय में धनराशि के अभाव में काम ठप्प हो गया है । कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । मंत्री महोदय को इस ओर तथा अन्य विश्वविद्यालयों पर ध्यान देना चाहिए ।

शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए कई शिक्षा आयोगों ने प्रतिवेदन पेश किए हैं । शिक्षा पद्धति में सुधार न करने के कारण नकल करने की आदत बल पकड़ती जा रही है और पश्चिम बंगाल में यह प्रथा बहुत प्रचलित हो गई है नकल करने से मना किए जाने पर छात्रों द्वारा शिक्षकों को छुरा मारने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वर्ष भर छात्र की आवधिक परीक्षाओं के आधार पर छात्र को उत्तीर्ण किया जाना चाहिए ।

---

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजो अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री माधुर्य्य हाल्दार]

हमारे देश में निरक्षरता बढ़ती जा रही है जबकि अन्य देशों में निरक्षरता को समाप्त कर दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं को काफ़ी धनराशि आवंटित की गई थी। लेकिन उन्होंने इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया है, यह पता नहीं लग सका है।

आदिवासी तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वृत्तिका तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की वही राशि मिल रही है जो देश की स्वतन्त्रता के समय मिल रही थी। मैं मांग करता हूं कि इस राशि में वृद्धि की जाए।

Shri Sudhakar Pandeya (Chandauli): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of Ministry of Education. Earlier, 7% of the Budget was spent on education but this year only 4.6% of the Budget is proposed to be spent on education. One can easily imagine the progress we can achieve with such a petty amount.

Political parties in India are exploiting wrath of the students for their own interests. We will have to tolerate the repercussions of the same. A committee should be set up to go into the demands and problems of the students whenever raised.

Teachers do not take pain in teaching and they never go prepared in the class. Teachers should not shirk work and they should teach the students sincerely. Text books written by the teachers, who are also Members of Board of studies, should not be admitted and instead books published by private publishers should be admitted.

Our country is facing crises of character. Teachers have got no character. Unless they maintain their character, our country cannot go ahead. Several times a demand has been raised to go into the working of U. G. C. but the demand has not been acceded to. The hon. Minister should clearly state whether he is prepared or not to go into the working of U. G. C. An evaluation should be made about the U. G. C's grant to universities. A committee was set up for the examination reform. May I ask whether the report submitted by the Committee will be implemented or not? A cell should also be created in U. G. C. and Ministry which should deal with all the universities.

Fund allocated for adult education is being misused. Efforts should be made to make good use of the funds and adult education should not be restricted to literacy but technical education should also be imparted to the villages.

The hon. Minister has stated that higher education should be restricted and it should be limited to the number for which jobs can be provided. But this is possible only when secondary education is made job-oriented. This matter should not be put off on the pretext that it is a state subject or central subject. Salaries of teachers of the colleges affiliated to Kashi Vishvavidyalaya are three fourth as compared to the salaries of university teachers. This is injustice to them. Either Government should not give affiliation and if it does so, it should pay them the salary equal to university teacher.

Scarcity of paper is being highly felt these days. If papers are not made available, political parties will take undue advantage and public will be put to inconvenience. A policy should be made about the availability of papers for publication of constructive literature.

Working of a number of Akademies in cultural sphere is not satisfactory. There is no dearth of genious artists in the country but they are not brought into limelight because they lack the art of flattery. Efforts should be made to encourage such persons so that people may know more about them.

Primary teachers are not trained. They, however, managed to get teaching job. I want that adequate arrangement should be made for their training and after a period five years no teacher should be left untrained.

It is true that the Government are working with full devotion for the progress of Hindi. But no Chairman or Director has been appointed in the Scientific Commission for the purpose. How long it will work without Chairman or Director?

The University Grants Commission has given Rs. 4,50,000 to Banaras Hindu University for preparing comparative Grammar, but the University cannot prepare such a Grammar as it does not have a workshop, big library and manuscripts. The grants should be given to the eligible institutions.

Hindi work is going on in various ministries and literature work is also going on, but there is no co-ordination in them. A co-ordination committee should be set up for this purpose.

The Government publications are not being sold in large numbers. It is very surprising. The youths should be appointed as Commission Agents for this purpose.

It would be better if corrupt literature is banned. Their quota of papers should be reduced. I would like the Minister to implement the suggestions made by me.

Shri R. V. Bade (Khargone): I come from an area where 62 lakh tribal people reside. The education is going to the dogs, because it is divided between the Centre and the States. The education of tribal people should be taken over by the Central Government. Only one teacher is provided in a school for every forty students. Good teachers should be appointed for tribal students. These teachers do not have any knowledge of the tribal language. These teachers are always in search of other jobs. This service should not be a stepping stone. The students are not getting text books and Note-books. It is said that there is acute shortage of papers. The Government should make efforts to bring down the prices of text books and exercise books. The Government should ensure that text books and stationery is available to the students at reasonable prices.

The Government has given extensive education to the tribal people. Now the Government should pay more attention to Ashram or Gurkul type of education. At many places teachers are there, but students do not attend the schools. More facilities should be provided to the teachers. The amount of scholarship should be raised to Rs. 100 from Rs. 30 or Rs. 40.

It has been said in the Report that the services of large numbers of College students will be utilised for the programme. Every effort will be made to ensure that college students who are desirous of contributing to the national effort in these areas are provided the opportunity and assistance for making at least 5 persons literate before they obtain the first degree. In Madhya Pradesh, 60 thousands of rupees are spent in every district. The teacher is there, but people do not attend the night classes. The Government should ensure that the scheme is successful.

There is wide spread students unrest in the country and it is suggested that students should not take part in politics. The students resort to agitation, when their grievances are not looked into. Their grievances and difficulties must be removed. The students must take part in politics, because the future of the country depends on the youths.

[Shri R. V. Bade]

According to 105th Report of PAC, there is wide spread corruption and nepotism in the appointments in I.I.Ts. It has been said in the Report that the Ministry did not follow up with the I.I.T. regarding the review of the recruitment of non-teaching staff as suggested by them in 1968. During the period from 1964-65 to 1972-73, eighty per cent of the appointments were made without keeping in view the requisite qualifications.

A dismissed employee of Himachal Pradesh was appointed and promoted to the higher post. The C.B.I. has also registered a case in this regard.

The Report further says that the Institute has decided that in future no appointment shall be made by relaxing the prescribed qualification without prior approval of the competent authority. But what would be done about the appointments made so far. The Committee further says that the responsibility for the lapse in not even obtaining the approval of the Board of Governors for the relaxation has been fixed. This should be done forthwith and investigation should be done by an independent and high level Committee. The Ministry should not take the remarks of PAC very lightly.

The Government does not take effective steps to remove the grievances of the students and when students resort to agitations, the Government blames the political parties.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The education system should develop the feeling of nationalism, discipline and patriotism. The education is a state subject and there are different educational systems in various States. But for the integration of the country, it is absolutely necessary that education is made a Central subject. There are various educational institutions based on religions. These institutions are not furthering the cause of national integration. I had studied in Kashi Vidyapith, where there was no differential treatment with the teachers and the taught.

The expenditure on education has been reduced from 7 per cent to 4.6 per cent. It has been said in the Ministry's report that the number of the unemployed in the country is 76,000, whereas there are 15 million jobless people. A provision of Rs. 30 crore cannot solve the unemployment problem.

The country can progress only when education is made free and compulsory. At present, 90 million children are studying in the schools and 50 million children are in the pre-school age. The education must be free and compulsory at least to these 140 million children.

It is very essential that teachers from Primary level to the University level are provided sufficient pay and adequate facilities, so that they might prepare good citizens in the future. The teachers should be sent abroad for training.

There should be adequate hostel accommodation for the students. They should get the text books and good food. There should be well equipped libraries. If the students are not given all the facilities, they would certainly resort to agitations.

All the revolutions in the world had been brought about by the students. Our educational system does not provide jobs to the people. The education system should be job-oriented. China has got a system, where nobody is unemployed. The Central Government should take over the education so that there might be more facilities for the teachers and the students.

USA always sends Professors as ambassadors. India sends service class people or politicians as ambassadors. I would like to know whether the teaching community would be given due respect.

When the teachers and students are agitated as they are agitated now, a serious problem has emerged. I want that there should be talk with the students. I demanded the other day that the representatives of the teachers and students of Bihar should be called over here and the Prime Minister and the Minister of Education should talk with them. It is a subject of the Centre. If it is a State subject, why the military is deployed in the State? Let the police face it. The Central Government should pay serious attention to education.

Why the Central Schools are opened only in urban areas? Central Schools should be opened in villages.

There is no Central School in Bihar.

So long as the present education system continues, the children of the poor will not be able to receive higher education. Opportunities of higher education should be given to the intelligent and deserving students. The Government should appoint psychologists in every school to judge the taste of the students.

The theory of basic schools and basic education propounded by Gandhiji has almost ended.

The rules and regulations regarding education system should be modified.

There should have been a uniform standard of education throughout India after independence but still the old system prevails.

The standard of the teachers is required to be ameliorated.

It is written in the Constitution that equal opportunities shall be provided to all but there is discrimination between the children of the rich and the poor. Therefore, the Central Government should control the education system throughout the country, I would like to see the education a Central subject.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : नये वेतनमानों का लगभग सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है। कुछ लोग इस उपबंध से संतुष्ट नहीं हैं कि 1300 रुपये की अवस्था पर पहुंचने पर उनके चरित्र की जांच की जायेगी परंतु मेरा अनुभव है कि यह एक स्वस्थ उपबंध है।

आज के छात्र और युवक महसूस करते हैं कि रोजगार प्राप्त करने के मामले में केवल योग्यता ही काफ़ी नहीं है परन्तु सिफारिश की भी जरुरत होती है।

बिहार में आज जो छात्रों का आन्दोलन चल रहा है उसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये बातचीत करने का कष्ट नहीं किया।

रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि बेरोजगार स्नातकों, मैट्रिक और स्नातकोत्तरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पांच लाख रोजगार योजना के अन्तर्गत 76,000 व्यक्तियों और शिक्षित बेरोजगारों के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 97,000 व्यक्तियों को नौकरियां दी जा सकी हैं।

[श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा]

इस संदर्भ में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अब सरकार का विचार शिक्षित युवकों के लिये रोजगार के संभावित अवसरों के अनुरूप उच्च शिक्षा में प्रवेश को नियमित करने का है। रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि ऐसा किस प्रकार किया जायेगा।

इस नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उस दिशा में बल दिया जायेगा परंन्तु मुझे पता नही कि गत वर्ष से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है। मुझे पता लगा है इन निर्णयों की क्रियान्विति के मामले में प्रत्येक राज्य सरकार अपने ढंग से चलती है।

यह एक ऐसा विभाग है जिसके सम्बन्ध में अनेक समितियां और आयोग गठित किये गये और उन्होंने सिफारिशें दी। इस रिपोर्ट में यह कुछ नहीं कहा गया है कि उन सिफारिशों को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है। इस बारे में प्रतिवेदन में विस्तारपूर्वक कहा जाना चाहिये था। शिक्षा मंत्रालय ने गत जून में दस्तावेज प्रस्तुत किया था। यदि उसे कठिनाइयों का अनुभव हुआ हो तो उसे चाहिये कि वह उन्हें सभा के समक्ष रखे। मंत्रिमंडल में पूरे दर्जे का शिक्षा मंत्री होना चाहिये। दूसरे, यदि सरकार चाहती है कि रोजगार के अवसरों के साथ शिक्षा को जोड़ने की नीति सफल हो, तो जनशक्ति विभाग को शिक्षा मंत्रालय के प्रभार के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये।

मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता हैं कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये गये हैं परन्तु इस बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिये थी।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये सभी कह रहे हैं, परन्तु परिवर्तन करने को कोई तैयार नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक गुण होंगे परन्तु इसका एक अवगुण यह है कि इसने मौलिक विचारों को पंगु बना दिया है, आज इस प्रणाली से ऐसी कोई बात नहीं बनी है जिससे इसमें आमूल परिवर्तन किया जा सके आज हम समूचे देश में युवा पीढ़ी में असंतोष की लहर पाते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व तो स्थिति यह थी कि परीक्षाओं में अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को नौकरी के अच्छे अवसर मिल जाते थे। परन्तु आज ऐसे छात्रों को अधिक पद नहीं मिल पाते। धनी वर्ग ही अधिक नौकरियां प्राप्त कर पाता है।

खेद है कि स्वतंत्रता के 27 वर्ष पश्चात् भी भारतीय इतिहास की एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो विशुद्ध रूप से भारतीय हो। क्या कारण है कि किसी भी प्रोफेसर को राजदूत बना कर नहीं भेजा जाता है। यदि हम वास्तव में शिक्षा पद्धति में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें प्रोफेसरों को उचित स्थानों पर नियुक्त करना चाहिए।

नेशनल बुक ट्रस्ट का उद्देश्य था देश में पुस्तकों के प्रति आकर्षण पैदा करना तथा सस्ते मूल्य पर अच्छे साहित्य का निर्माण करना। मैं समझता हूं कि अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। पुस्तकों का व्यापक प्रसार नहीं हो सका। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 54 लाख पुस्तकों को गोदाम में रख कर ट्रस्ट अपने कार्य को कैसे पूरा करेगा ? कितने अच्छे लेखक ट्रस्ट को आसाम, केरल, उड़ीसा अथवा तमिलनाडु के राज्य से उपलब्ध हुए हैं ? ऐसा लगता है कि ट्रस्ट वास्तव में पुस्तकों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने का कार्य नहा कर रहा है।

यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय एकता लाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की जीवनियां प्रकाशित करनी चाहिएं जिनमें न केवल राष्ट्रीय स्तर के अपितु क्षेत्रीय महत्व के व्यक्तियों को भी लिया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं में ऐसा उत्साह पैदा करना चाहिए कि वे भी वैसे ही योग्य बन सकें।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि ट्रस्ट के सम्पादक संवर्ग में पर्याप्त विशेषज्ञ हैं परन्तु उनपर सभी प्रकार का भार लाद दिया जाता है जैसा वह उस कार्य को नहीं कर पाते जिसके लिये उन्हें नियुक्त किया जाता है। असमी, मलयालम आदि भाषाओं के लिये कोई भी सहायक सम्पादक नहीं हैं। इन भाषाओं के लिये कम से कम एक-एक सहायक सम्पादक तो होना चाहिए।

ऐसा जान पड़ता है कि देश भर में हिंदी के पर्याप्त प्रसार की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। हिन्दी शिक्षकों को उचित वेतन भी नहीं मिल पाते।

Shri Madhu Limaye (Banka): A few days ago you had declared new pay grades for college teachers. But the demand that there should be one grade for University teachers has not been acceded to.

The report does not indicate anything regarding service security to University and College teachers.

In Bombay two lady teachers were removed from service as they wanted to appoint persons of their own seat. Similar things are happening in all parts of the country. The Centre should immediately enact laws providing for security of service for teachers.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]
[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

The scheme of scholarships to scheduled castes and scheduled tribes students was started long ago and since then there has been 154 per cent rise in the cost of living index. The amount of all such scholarships meant for Harijan students should be increased, so that the actual value of the scholarships is not declined.

So many things have been stated in the report in respect of small children. Was not the Government thinking in terms of passing a Resolution for the protection and welfare of children, since long? This matter should be expedited.

The legislations enacted for the welfare of women, like 'Hindu Succession Act' and 'Hindu Marriage Act' etc. need to be amended. The changes may be brought about in view of the experience of last eighteen years.

Working women have various problems like residential accommodation in the cities etc., but it is strange that no action has yet been taken in the matter.

Even in cities like Delhi, there are no facilities for the popularisation of drama and music. Cannot the Government provide land for such purposes near about old Delhi, so that they may not be required to resent to land grab movement?

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : पांचवीं योजना के लिये कुल परिव्यय निर्धारित 3200 करोड़ रुपये से घटाकर 1726 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

1726 करोड़ रुपए की इस राशि में से 500 करोड़ रुपए केन्द्र के लिये तथा 1226 करोड़ रुपए राज्यों के लिये रखे गये हैं। परन्तु मुझे आशंका है कि राज्यों द्वारा इस राशि का सदुपयोग नहीं किया जायेगा। क्योंकि राज्य सदा धन की मांग करते रहे हैं। परन्तु वे अपने लेखा पुस्तकों को दिखाने में संकोच करते रहे हैं। सितम्बर 1972 में एक संकल्प प्रस्तावित किया गया कि केन्द्रीय सरकार को उच्चतर शिक्षा की जिम्मेदारियों की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिये एक समिति का गठन किया जाये।

समिति की नियुक्ति की जा चुकी है। इस समिति का कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की असमन्वित रुप से प्रगति है। देश में पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और अभी और अधिक स्थापित किये जा रहे है। किन्तु संविधान के अनुसार किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के प्रस्ताव से की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य-क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने की शक्ति नहीं है। चंडीगढ और हरयाणा के लोग काफ़ी समय से चण्डीगढ़ में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग करते रहें हैं किन्तु उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए जो कि एक आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करे।

कुलपतियों के चयन, नियुक्ति तथा सेवा बढ़ाने के मामले में एकरुपता बरती जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करने के लिये देश के लिये एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

छात्रों के असंतोष के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में समिति की नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया। इस समिति की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। छात्र असंतोष सारी सीमाएं पार कर चुका है और अब यह राजनीतिक आन्दोलन का रुप ले रहा है।

अत: यह उचित समय है जब कि छात्रों की मांगों को पूरा किया जाये। मंत्री महोदय को छात्र असंतोष की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक अध्यापकों का संबंध है, दिल्ली की तरह राज्यों में लेक्चररों के लिये एक समान रनिंग ग्रेड होना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बद्ध कालेजों तथा राज्यों के कालेजों के लिये विभिन्न मानदंड रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

संघ राज्य-क्षेत्र मिजोरम का रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। पिछली बार भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। देशवासियों को जानना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में देश में क्या हो रहा है।

साहित्य अकादमी का कार्य भाषाओं का विकास करना है। मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व बताया था कि हमने कुछ रुपया भाषाओं और कुछ व्यवस्थाओं पर खर्च किया है। परन्तु यह पता नहीं कि किस मद में अधिक रुपया खर्च हुआ।

संविधान की आठवीं अनुसूची में केवल 16 भाषाओं का उल्लेख है जब कि साहित्य अकादमी 22 भाषाओं को मान्यता देती है। मंत्री महोदय को इस संम्बन्ध में कुछ किये जाने के लिये अपने प्रभाव को काम में लाना चाहिए।

Shri G. C. Dixit (Khandwa): The problem of this country is that the policy introduced by the British regime during 1853 has not been changed. Would the Government take steps to change the pattern of education to end social evils and to provide avenues of employment with the expansion of technical knowledge?

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandasur): You are in the ruling party and still you wish the education policy to be changed.

Shri G. C. Dixit: In the absence of freedom of language the political freedom is baseless. There is no socialistic or even other country of whose administration is not run in its own language. The English language provides jobs, money and power to a limited circle. It is a matter of great shame that people's language could not become the official language. There is no other language in the world that could be equal to Sanskrit. No other language is as nearer to Sanskrit as Tamil is. Today individual and society are one. It should be the aim of our education to develop the individual.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): Ever since the independence every educationalist and every teacher has expressed that the present pattern of education does not suit the country. Today there are too many educated persons who fluently speak English but there are cases of corruption against such persons. So the system of education requires change.

Some time ago the Prime Minister stated that a new education policy has been thought over and it would be implemented soon.

Therefore, there is wide-spread discontent among the young men and now they have resorted to violence. The example of Bihar can be cited in this context. When the property of the country worth crores of rupees is destroyed, only then Government takes note of that. We should evolve such system of education as may help one to become a real citizen.

We should impart moral education or religious education, so that the young men may be taught discipline.

I want to draw the attention of the Hon'ble Minister towards the declared policies which are not being implemented. It was long ago decided that the mother-tongue of State should be the medium of instruction, but generally it is seen that higher education is not being imparted in the Universities in the regional languages.

I have also to say something about Sanskrit also. It has been badly affected by three language formula. Sanskrit cannot survive unless it receives Government's protection.

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापत्तनम) : भारत की एकता और एकीकरण के लिये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है । एकता और एकीकरण ही हमारी शिक्षा पद्धति की मूल बात है । इस संबंध में मैं भारत सरकार को बधाई देता हू । भारत में समान शिक्षा लागू करने के बारे में नवम्बर, 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के लिये 10 वर्ष की शिक्षा, विश्वविद्यालय पूर्व के लिये दो वर्ष की शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा तीन वर्ष तक की होगी । प्राथमिक, निम्न-माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद की अर्थात् विश्वविद्यालय पूर्व की शिक्षा को तकनीकी शिक्षा का नया रूप दिया जाना चाहिये ।

[श्री पी० वी० जी० राजू]

मैं एक और सुझाव भी देना चाहता हूं । कुछ वर्ष पूर्व जहां तक मुझे याद है, यह वर्ष 1963 ही था जब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें यह अप्रत्यक्ष सुझाव दिया गया था कि अखिल-भारतीय शिक्षा सेवा अवश्य ही बनायी जानी चाहिये । 1964 में भारत सरकार ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा था , किन्तु इस सेवा को अभी तक नहीं बनाया गया है । मेरा सुझाव है कि भारत में समान शिक्षा लागू करने के साथ-साथ अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को भी अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिये ।

हमने सारे देश के लिये त्रिभाषाई सूत्र, अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा को स्वीकार किया था । इसलिये यदि त्रिभाषाई सूत्र को लागू कर दिया जाये तो राज्य सरकारों की अब यह आपत्ति, कि ऐसी सेवा का अभिप्राय ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा जो स्थानीय भाषा को नहीं जानते होंगे, नहीं होगी ।

मैं यह महसूस करता हुं कि भाषा के बारे में चर्चा करते समय हमें व्यावहारिक और देशभक्त होना चाहिये । संस्कृत और फारसी के बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं हैं । हमें आधुनिक बातों और आधुनिक तथ्यों के बारे में विचार करना चाहिये । इस संबंध में भारत में समान भाषा का ढ़ांचा बनाया जाना चाहिये । बेशक ऐसा बोलने वाली भाषाओं के बारे में नहीं किया जा सकता ।

संस्कृति के बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हुं । हम ने पंचायतीराज को स्थानीय प्रशासन का आधार माना है और इसे संस्कृति के साथ संबंधित किया जाना चाहिये । संस्कृति संबंधी मामलों को पंचायतों के सुपुर्द किया जाना चाहिये । प्रत्येक पंचायत अथवा नगरपालिका का एक थियेटर होना चाहिये और यह पंचायतीराज प्रशासन के अधीन होना चाहिय ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढाना) : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग की मांगों का समर्थन करते हुये मैं कुछ शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं । यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 26 वर्षों के पश्चात् और संविधान के लागू होने के 23 वर्षों के बाद तक हम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 के अन्त तक लगभग 87 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे जिसका अभिप्राय यह है कि मार्च, 1974 तक 13 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे होंगे । यह बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है ।

दाखिल हुये बच्चों की शिक्षा के संबंध में स्थिति बहुत ही निराशाजनक है । लगभग 60 प्रतिशत बच्चों चौथी श्रेणी तक पहुंचते-पहुंचते स्कूल में पढ़ना छोड़ देते हैं ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पांचवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गयी है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा सुविधाओं के विस्तार तथा इस के स्तर को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जायेगा । पाठ्यक्रम में सुधार करने, अध्यापकों की योग्यता के स्तर को ऊंचा करके अध्यापन की उचित प्रणाली को अपनाने तथा जिला स्तर पर शिक्षा के प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है । मंत्री महोदय को चाहिये कि वह प्राथमिक शिक्षा के मामले में पिछड़े राज्यों से जवाबतलन करें ।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में बताये गये विश्वविद्यालय के उद्देश्य से पांचवीं योजना में दिये गये उच्च शिक्षा के उद्देश्य भिन्न हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि दाखिला शिक्षित युवकों के लिये पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, परन्तु योजना में विश्वविद्यालय में बहुत अधिक छात्रों के जाने को नियमित करने की बात कही गयी है। आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। शिक्षा संस्थाओं में रोजगार के आधार पर दाखिले को नियमित करना हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत व्यावहारिक नहीं होगा यदि इस नीति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस का अभिप्राय गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति भेदभाव करना होगा।

अब मैं विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में कहूंगा। शिक्षा आयोग ने कालेज अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है। इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज अध्यापकों के लिए गोष्ठियों का आयोजन करता है। यह प्रशिक्षण गुण और संख्या की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। अतः कालेज अध्यापकों की तैयारी पर विचार करने के लिये यदि आवश्यक हो, तो पूर्णकालिक संस्थान स्थापित किये जाने चाहियें।

हमारी शिक्षा और परीक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। यदि हम इसे ऊंचा करना चाहते है, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अध्यापकों की तैयारी को सुधारा जाये और उन्हें अधिक दक्ष बनाया जाये। उनके वेतनमानों को बढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षण के स्तर, तैयारी तथा काम को भी ऊंचा किया जाना चाहिये। यह इस देश की युवा पीढ़ी के लिये अधिक लाभकारी होगा।

वार्षिक प्रतिवेदन में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि का उल्लेख करना एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारा उन लाखों व्यक्तियों के प्रति दायित्व है जिन्हें स्कूल अथवा कालेज जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः 'मुक्त' विश्वविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा देना सराहनीय प्रयास है।

महाराष्ट्र सरकार ने दो प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे हैं। अभी तक उन के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मत के बारे में सूचित नहीं किया गया है। इस के साथ ही मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहिली बार प्रस्तुत की गयी मांगों के रूप में इन पर विचार करना होगा। शिक्षा बजट और शिक्षा योजना नियतन से अत्यन्त गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के लिये 3,200 करोड़ रुपये का नियतन करने का प्रस्ताव किया था जिसे बाद में कम करके 2,200 करोड़ रुपये कर दिया गया, किन्तु जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना को अन्तिम रूप दिया गया, तो इसे और घटा कर 1,726 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे ही पता चल जाता है कि हमारे देश में ऊपरी स्तर से ही शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य और किये गये वास्तविक काम में भारी अन्तर है।

संविधान निर्माताओं ने कहा है कि सभी के लिये अनिवार्य शिक्षा इस देश में संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात् तक क्रियान्वित की जायेगी। किन्तु हम इस सम्भावना की प्राप्ति न तो बजट प्रस्ताव में और न ही योजना प्रस्तावों में इस शताब्दी में ही देख सकते हैं। निरक्षरता भी काफ़ी अधिक है। यह स्थिति भी बड़ी दुखद है।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

मैं यह महसूस करता हूं कि भविष्य में भी यदि ऐसा होता रहा, तो हमारी शिक्षा संबंधी क्षेत्र का भविष्य और भी अन्धकारपूर्ण हो जायेगा और आप इस आर्थिक संकट का सब से बड़ा शिकार बनोंगे जिसका आज देश सामना कर रहा है। शिक्षा पर इस संकट का सब से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

देश में व्याप्त छात्र असंतोष का उल्लेख किया गया है। लोग इस संबंध में बहुत स्पष्ट है। किन्तु मेरे विचार से इस समस्या को किसी और ढंग तथा दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस देश में छात्र समुदाय के व्यवहार की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं होगा। व हमारे समाज के अंग है। उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जिसमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह शिक्षा प्रणाली अब पुरानी हो गयी है। इसका अब कोई समुचित उद्देश्य एवं लक्ष्य नहीं है। यदि छात्र शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करके वर्षों तक बेरोजगार रहे तो वे असन्तुष्ट तो होंगे ही।

क्या मंत्री महोदय का विचार किसी प्रकार परीक्षा सुधार संबंधी समस्या से प्रभावी रूप से निपटाने का है? हर बार जब भी बजट पेश होता है, जब नीति संबंधी वक्तव्य दिया जाता है, तो यह बताया जाता है कि आज की परीक्षा प्रणाली खराब है, अवैज्ञानिक है और इसे पूर्ण रूप से बदला जाना चाहिऐ। समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया है, किन्तु सारी पद्धति को बदलने के लिये कौन कौन व्यावहारिक पग उठाये गये हैं? सरकार ने चाहे इस संबंध में थोड़ा बहुत कार्य किया भी हो, किन्तु शिक्षा प्रणाली वही पुरानी ही बनी हुई है। इस में आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली नहीं बनायी जानी चाहिये जो छात्रोंको पाठ्य पुस्तकों को कंठस्थ करने के लिये विवश करे। परीक्षाओं के संबंध में हमें खुली पुस्तक नीति लागू करने की सम्भावना पर अधिक से अधिक विचार करना चाहिये।

छात्रों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करने संबंधी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देश में सभी छात्रों संघों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें केवल नाम मात्र के लिये प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वे तो यह चाहते कि उन्हें सभी नीति-निर्धारण शैक्षणिक और प्रशासनिक निकायों में वास्तविक और उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा विश्वविद्यालय शिक्षा में अव्यवस्था बनी ही रहेगी इसलिए इस में सुधार किया जाना चाहिये। आप अनिवार्य रूप से उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी में शामिल करें।

इस बजट में राजा राम मोहन राय स्मारक पुस्तकालय आन्दोलन के लिये 25 लाख रुपये का नियतन किया गया है। नेहरु युवक केन्द्र लाइब्रेरी के लिये और 6 लाख रुपये का नियतन किया गया है। इसके साथ ही पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति का अंग बनाया जाना चाहिये, केवल ऐसा करके ही हम उन्हें समुचित रूप से सभी सम्भव सहायता दे सकते हैं।

यह मंत्रालय खेलकूद संबंधी कार्यकरण की भी देख-रेख करता है। कोई भी खेलकूद संघ किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य नहीं कर रहा है। सरकार को इनके कार्यकरण में परिवर्तन करना चाहिए। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद के संविधान में संशोधन करके उसे इस प्रकार शक्तिया प्रदान की जानी चाहिये जिससे वह अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके।

गत सप्ताह हमने एक ज्ञापन भेजा था और मेरे विचार में इस की एक प्रति शिक्षा मंत्रालय को भी प्राप्त हो गयी होगी। इसलिये जब गुजरात में छात्रावास में खाने की दरों को बढ़ाया गया तो छात्रों ने आन्दोलन कर दिया। ज्ञापन में यह मांग की गयी है कि छात्रों को देश भर में रियायती दरों पर खाना दिया जाना चाहिये तथा वह दर 1971 की दर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

देश भर में सभी होस्टलों में सभी छात्रों को इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सस्ते परिवहन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर छात्रों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिये सलाहकार समितियों का गठन किया जाना चाहिए तथा इन समितियो में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं पर वह विचार करें। मैं इन शब्दों के साथ मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): I support the demands for Grants relating to the Ministry of Education. The Central Government should formulate a national education policy and should give a lead to the States in this matter. It seems that the Ministry of Education has confined itself to the disbursement of grants alone. The Central Government should get the policies effectively implemented by States.

Education is an important part of life. Proper education should be given to each and every student. Education to a student should be given according to his interest and aptitude towards a course.

Education should be compulsory for all the students upto secondary stage and higher education should be given in consultation with the psychologist.

There is acute shortage of paper and books could not be published without the paper. The Ministry should seriously consider the problem and find out a solution.

Under Demand No. 24, there was provision of a sum of Rs. 1.05 crore which has been raised to Rs. one crore and eighteen lakh. Keeping in view the rising prices, this increase is insufficient.

The grant for National Council of Educational Research and Training has been increased from Rs. 2 crore and 48 lakh to Rs. 4 crore and 16 lakh. The Educational Research and Training should be encouraged. The Central Schools Organisation has been doing commendable work. The grant for this organisation has been increased from Rs. 6.6 crores to Rs. 8.23 crores. But the Central Schools should not be concentrated in the big cities alone. These should be opened in rural areas also.

A provision of Rs. 46 crores has been made for the University Grants Commission. This amount has to be spent on universities such as Delhi, Banaras, Aligarh, Vishwa Bharati and Jawahar Lal Nehru. 25 per cent of the total provision is spent on Delhi University alone. I take exception to this. This is encouraging the tendency of people rushing towards Delhi. There should be a Central University in each State.

No university has so far been opened in the name of Harijans. **(Interruptions).** The Harijan College at Ghaziabad, which has five thousand students on its rolls, should be converted into a University.

Government should pay special attention towards adult education. I would like to thank the Government for publishing the U.G.C. Report regarding pay and allowances of university teachers.

The number of research scholars is very little. The teachers who guide such research scholars should be given adequate pay and encouragement.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): I rise to support the demands for Grants of the Ministry of Education. The purpose of education is all round development of students. But the present system of education is inducing a sense of frustration among students. We have to seriously consider the steps which could do away with such feeling.

Even after the Silver Jubilee year of our independence, the children of the rich are receiving education in convent schools. Whereas such education is not available to the children of the poor. At the time of mid-term polls for Lok Sabha, we had declared that efforts would be made to do away with social and economic imbalances. We should take steps to provide education of uniform standard to the rich as well as the poor. Efforts should be made to provide opportunities to all according to capabilities.

There is a serious problem of indiscipline among students. This problem cannot be solved unless vocational education is included in our education system.

It is provided in the Constitution that Hindi would be the official language of India, but I am sorry to say that even after 25 years of independence, Hindi has not been given its due place. Mahatma Gandhi, Pt. Jawahar Lal Nehru, Dr. Zakir Hussain, Shri K. Kamraj and Smt. Indira Gandhi, all have supported Hindi as the official language, as it would be a unifying factor for the people of the country. Hindi should be given its due place.

I hope education policy would be formulated according to the ambitions of the people of the country so that the country could go ahead.

Shri Ramkanwar (Tonk): There is wide spread frustration as far as the education system of the country is concerned. There is no co-ordination between the Central Education Minister and the State Education Ministers. That is why our education system is deteriorating.

Untouchability is practised in schools even after 27 years of Independence. The gap between the rich and the poor in the matter of education should be removed. The children of the rich study in good schools, whereas the children of the poor study in a rural school. Then how could the rural students compete with their urban counterparts?

The practice of untouchability in schools should be enquired into. The food served to Harijans and tribal students in the hostels is not fit for human consumption. They should be served better quality food. More hostels should be opened for Harijans. The amount of scholarship for Harijans should be increased and their fees should be reduced. Transport should also be provided to them. In rural areas, the teachers generally do not attend to all their duties. Steps should be taken so that they may attend to all duties.

श्री बी० आर० शुक्ल (वहराइच) : मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई है कि शिक्षा के लिए मूलत: 3,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जो बाद में घटाकर 2,200 करोड़ रुपये कर दी गई थी और अब अन्तिम रूप से इसे और घटाकर 1,726 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पांचवीं योजना के कुल परिव्यय का केवल 4.6 प्रतिशत है। इसमें शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति सभी शामिल हैं। इसलिए यह अनुदान आशा से बहुत कम है।

यह कहा जाता है कि मैकाले द्वारा प्रवर्तित शिक्षा पद्धति का उद्देश्य देश में क्लर्कों की फौज तैयार करना था। यह पद्धति समय की कसौटी पर खरी उत्तरी है। बड़े बढ़े पण्डित और मौलवी भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। आज के आन्दोलनों, निराशा और कुण्टा के लिए शिक्षा पद्धति दोषी नहीं है।

आज के आन्दोलन, निराशा आदि के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक ढाँचा तथा वर्ग-भेद उत्तरदायी है। इसलिए अगर इस प्रकार की, शिक्षा पद्धति को समाप्त भी कर दें, तो भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

5 करोड़ रुपये की धन राशि की व्यवस्था बाल सुरक्षा सेवायें और 140 करोड़ रु० का प्रावधान समेकित बाल विकास सेवा योजना के लिए किया गया है। इस धनराशि को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खर्च किया जायगा। ये संगठन सामान्यत: इस धन का दुरुपयोग और गबन करते हैं। इस प्रकार से धन खर्च करने के बजाय कुछ ठोस कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहिए जिससे कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त हो सकें। प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ आधार दिया जाना चाहिए। जिन लोगों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वास्तविक रुचि और प्रतिभा है, उन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को अधिक संख्या में खोला जाता है, तो विश्वविद्यालयों और कालेजों में अधिक भीड़भाड़ नहीं होगी।

बौध धर्म के लिए श्रावस्ती एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध ने 25 वर्ष तक तपस्या की थी। इस जगह बर्मा, श्रीलंका और चीन से तीर्थयात्री आते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, परन्तु भगवान बुद्ध के नाम पर किसी कालेज की भी स्थापना नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि बौद्ध इतिहास के इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर वही ध्यान दें।

देश में 12 ग्रामीण उच्च शिक्षा केन्द्र हैं। पता नहीं वे कहाँ पर स्थित हैं। मेरा जिला उत्तर-प्रदेश में शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, इसलिए सर्वाधिक उपेक्षित लोगों के लाभ के लिए एक उच्च ग्रामीण शिक्षा केन्द्र बहराइच में स्थापित किया जाए।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu): The number of universities has gone up from 45 to 101 and that of colleges from 1,542 to 4,158 in 1972-73 in comparison to 1960-61. Therefore, we cannot say that we have not made any progress in the field of education, but the quality of education has not improved.

The imbalance between urban and rural education has increased and rural areas have been completely neglected in the matter of education. The students in rural areas have to travel four to five miles even for Primary education. The rural students do not get full facilities for education and that is why they are unable to complete with their urban counterparts. Generally good schools like Public Schools are opened in urban areas only. Adequate educational facilities should be provided in rural areas also.

The Ministry of education has opened Primary Schools for providing jobs to teachers. This attitude towards education is wrong. The teacher pupils ratio is 1 : 70, which is much more than that of the cities. This ratio needs to be brought down.

Various activities are undertaken in schools. One of the activities is discipline, for which instructors and teachers have been appointed. But the incidents of Bihar and Gujarat show that they are not learning discipline. The teachers of Government schools who are engaged in indiscipline, must be dealt with firmly.

In rural areas, there is no sitting accommodation for the students and no residential accommodation has been provided for the teachers. More facilities should be provided to teachers, so that good teachers might be attracted to the rural areas.

Though Hindi is the official language, but a feeling of hatred is being created towards Hindi in the minds of the people. There could not be any integration until official language and regional languages are given due recognition.

[Shri Shiv Nath Singh]

There are certain deemed universities in addition to 101 universities. The Birla Institute of Technology and Science, Pilani is a centre of black marketing, tax evasion and the slaughter house for the students as well as the teachers. This is a Centre of C.I.A. activities. The Minister should enquire into the affairs of this Institute.

Under Rule 32, any amendment in the rules shall be subject to the approval of the Government of India. Now through a resolution (No. 11 of 29th April, 1971) the Institute has deleted this para. How could the Government have a control over the Institute, if they are allowed to change the rule in this manner? The Gwalior Rayons has given 20 lakh rupees to the Institute, but they have not been utilised properly.

Many schemes have been formulated for the disabled and the widows, but these are not functioning properly. The Government should set up a home for such persons.

There are defects in our education system, but we are proud of the great Engineers, Doctors who have qualified in the country during the last 25 years.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी): जब भी खर्च में मितव्ययता बरतने का सवाल उठता है, तो शिक्षा पर ही कुल्हाड़ा गिरता है। शिक्षा मंत्रालय को खर्च करने वाला विभाग माना जाता है। शिक्षा मंत्रालय को खर्चीला विभाग मानने की बजाय उसे पुंजी विनियोजन वाला विभाग माना जाना चाहिए।

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक उपबन्ध को भुला दिया गया है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केरल में कुल राजस्व का 45 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है और वहाँ 60 प्रतिशत साक्षरता है, जो अखिल भारतीय औसत से दुगुनी है। इसलिए नये विश्वविद्यालयों को खोलने के बजाय अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

शिक्षा मुख्यत: राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार की भूमिका समिति है। उच्च शिक्षा के लिए सरकार चयनात्मक ढंग से प्रवेश देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह अच्छी बात है।

पिछड़े तथा अल्पसंख्यांक वर्ग के ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी स्कूलों तथा कालेजों में प्रवेश नहीं मिलता है। यदि प्रवेश के लिए योग्यता को ही आधार माना जाता है तो दो वर्ग पैदा हो जाएंगे। एक शिक्षित लोग, जिनके पास सत्ता होगी और दूसरे अशिक्षित लोग, इसलिए सरकार को इस विषय में सावधानी बरतनी होगी।

जबतक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित नहीं किया जाता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, मुस्लीमों की मांगों तथा आकांक्षाओं के अनुसार इसका संशोधन किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि बंग समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रत्येक शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग उर्दु बोलता है, परन्तु वहां उर्दू को वह स्थान नहीं मिला है जो उसे मिलना चाहिए। यदि यहां उर्दू की उपेक्षा होती है तो वह कहाँ जाएगी? सरकार को ऐसा कानून लाने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए जिससे अल्पसंख्यांक वर्ग के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन होता हो।

मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वे शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ी हुई हैं, सरकार को उन्हें वैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए जैसी हरिजनों को दी जाती हैं।

जैसा कि मैंने पहिले ही कहा है कि शिक्षा राज्यों का विषय है, इसलिए शिक्षा में एकरूपता लाने के उत्साह में राज्यों के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिए। इससे क्रांति उत्पन्न होगी, सरकार इस संबंध में निदेश दे सकती है, शिक्षा के मामले में केन्द्र के हस्तक्षेप की भी सीमा होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना सही कदम है। पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिकता होने के प्रश्न की जांच के लिए श्री के० जी० सईदीन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, मैं नहीं जानता कि सरकार ने उस प्रतिवेदन का क्या किया है, अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय एकता के हित में कुछ किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिक अंशों को निकाल दिया जाना चाहिए।

शिक्षा न केवल रोजगार प्रधान होनी चाहिए अपितु ऐसी शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, यही कारण है कि आज हजारों की संख्या में शिक्षित तकनीकी व्यक्ति बेरोजगार हैं, हमने केरल में 'सैंडविच कोर्स' पद्धति का परीक्षण किया है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ज्योंही कोई विद्यार्थी कालेज या विश्वविद्यालय से निकलता है, उसे किसी उद्योग में कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए, इसके लिए हम केरल में उद्योगों से भी सहयोग ले रहे हैं। ऐसी योजनाएं अन्य विश्वविद्यालय में भी आरम्भ की जानी चाहिए।

संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है इसलिए इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। चूंकि अरब देशों और खाड़ी के देशों में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं इसलिए अरबी भाषा का अध्ययन कराया जाना चाहिए। मालाबार इसके लिए उपयुक्त स्थान है, हमें अपने लड़के लड़कियों को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें अन्य देशों में रोजगार मिल सके, इससे देश में बेरोजगारी की समस्या को काफी सीमा तक हल होने में मदद मिलेगी।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वस्थता दल को भंग कर दिया है, सरकार किसी योजना को आरंभ करती है और फिर दो तीन साल बाद उसे बंद कर देती है। इस योजना के साथ भी ऐसा हुआ है। इसके फलस्वरूप बेरोजगार हुए कर्मचारियों के मामलों पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, इसी प्रकार सरकार द्वारा भाषा संस्थान को मिलने वाला अनुदान बंद होने से वहां काम करने वाले लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : शिक्षा तथा विद्यादान का अर्थ आज के संदर्भ में कुछ कुछ भिन्न हो गया है, आज के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ ज्ञान का देना नहीं रहा है। ज्ञान मानवीय संवेदनात्मक क्षमता द्वारा दिया जाना चाहिए, हम रंग तथा आकार को देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आप जो रंग तथा आकार देखते हैं, वह सच नहीं है, प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को विद्यार्थियों को किस प्रकार समझाया जाय। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सृष्टि विज्ञान, ऊर्जा, चेतना तथा मानव का अध्ययन होना चाहिए, अमेरिका का अध्ययन होना चाहिए, अमेरिका इस दिशा में प्रयत्नशील है।

पुस्तकों में बताया गया है कि योग द्वारा जीवन शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व में न कोई रंग है न कोई आकार है परन्तु एक योगी अपनी अलौकिक चेतना से इसको देखता है, वही शिक्षा है, योग द्वारा आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते है। अन्य देशों के लोग इस ज्ञान के लिए हमारा मार्गदर्शन चाहते हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह योग की ओर ध्यान दे और इसके लिए और अधिक धन की व्यवस्था करे यह कोई शारिरीक शक्ति को वृद्धि करने का साधन नहीं है अपितु मानसिक क्षमता का विकास करने का एकमार्ग है। मुझे आशा है भोग की शिक्षा के लिए अधिक धन का प्रावधान किया जायेगा।

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netan): I would like to speak on social welfare which is getting popular day by day. In the Fifth Five Year Plan, provision of Rs. 229 crores has been made in comparison to Rs. 41 crores in the Fourth Plan.

[Shri Arvind Netam]

Regarding Women's hostels, the point raised by Shri Madhu Limaye, the work done by the Government in this respect cannot be called satisfactory. But now in the provision for 1974-75, about Rs. 70 lakhs have been allocated. I hope with this amount much work will be done.

I do not agree with Shri Limaye that a separate committee should be constituted to look into the problems of children. The Ministry is already looking into this problem in detail. There is a committee under the Ministry which is studying all the aspects pertaining to women in India. It has constituted task forces to look into the social, political, educational and employment problems of women. It is not correct to say that voluntary organisations misuse the grants. However if it is found correct, we will stop the grants.

Shri Chandrappan has rightly expressed dissatisfaction over the activities of sports organisations. We have prepared guidelines after consulting All India Council of sports. We are going to give grants to organisation and association only if they follow the guidelines. Regarding change in the constitution of All India Council of Sports, we should see the results of guidelines. Only then this point can be given due consideration.

Regarding child welfare scheme, this Department has given top priority to child welfare programme. We have prepared an integrated child development scheme under which we will give package service to pregnant mothers and children below six years of age. This service will be introduced in backward areas. This integrated child development service scheme is intended to provide protection and care to children.

This ministry does important work in the field of women welfare. There is a provision in the fifth Plan to start functional literary camps in the rural areas. Under this scheme subjects like maternity, child welfare, nutrition, health, education, home economics will be taught to rural women-folk. Besides this they will be taught kitchen gardening, poultery keeping etc. to supplement their income. The provision of condensed course for examination of pre-secondary and higher secondary examinations for adult women will be expanded. They will be given vocational training like Bal sevika training, radio repairing, house-keeping, catering etc. In comparison to fourth plan, more funds have been provided for handicapped persons in fifth five year plan. Provision of scholarships for them has been made. Voluntary organisations are also doing service in this respect. The handicapped teachers training programme is also being expanded. As voluntary organisations have proved helpful to a great extent to social welfare, their role in Fifth Plan has been specified so that Government may able to utilize their service. The Ministry will strengthen the central social welfare board at district level. It is being reorganised to make it more autonomous and increase its efficiency. I hope the hon. Members will support Demands.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): I support the demands of Education Ministry whole heartedly. The education policy of our country. . .

Mr. Speaker: You may continue it tomorrow.

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 10 अप्रैल, 1974/20 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, April 10, 1974/Chaitra 20, 1896 (Saka).

GIPN—S6—10 L.S.S.(ND)/74—5-8-74—400